



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कोटा मास्टर प्लान (2012 – 2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959
के अन्तर्गत तैयार किया गया)

नगर विकास न्यास, कोटा

नगर नियोजन विभाग
राजस्थान, जयपुर

आभार

कोटा नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में नगर के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नगरिकों तथा विकास योजना को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस शहर के विकास कार्यों के साथ-साथ नगर का मास्टर प्लान बनाये जाने में अपना अमूल्य समर्पित किया है।

मैं, जिला कलेक्टर, कोटा की विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को संकलित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल-प्रदाय, शिक्षा एवं वन इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उपरोक्त सभी विभागों नगर विकास न्यास, कोटा एवं नगर निगम कोटा को अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही नगर नियोजन विभाग के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिन्होंने मास्टर प्लान को अंतिम रूप प्रदान करने में सहायता की, की भी प्रशংসा करती हूँ।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी0बी0 सिविल रिट पीटीशन नं0 1554/2004 के अन्तर्गत हुए निर्णय एवं तदनुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक प10(44) नविवि /3/2009 पार्ट ॥ दिनांक 25/07/2017 के तहत् कोटा शहर के मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को अग्रिम आदेश तक यथावत् रखा जाना है। अतः मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित भूउपयोग, मास्टर प्लान-2023 के अनुरूप, राज्य सरकार के अग्रिम निर्देशों अथवा क्षितिज वर्ष 2023 तक मान्य होंगे।

साथ ही 2031 की आवश्यकताओं के मद्देनजर मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित परिसंचरण नेटवर्क में न्यास द्वारा तैयार किये गये अनुमोदित सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों एवं अन्य प्रस्तावित सड़कों का समावेश किया गया है। अतः मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अंतः क्षेत्रों में भी प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित परिसंचरण नेटवर्क ही मान्य होगा।

अंत में, मैं कोटा नगर के सभी नागरिकों से आशा करती हूँ, कि भविष्य में भी मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना पूर्ण सहयोग बनाए रखेंगे।

३
२८.१.१७
(श्रीमति इन्द्रा चौधरी)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

योजना-दल

नगर नियोजन विभाग

| | | | |
|-----|-----------------------|---|------------------------|
| 1. | श्रीमति इंदिरा चौधरी | मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर | |
| 2. | श्री प्रवीण जैन | मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर | (दिनांक 31.01.2016 तक) |
| 3. | श्री एन.के. स्वरे | मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर | (दिनांक 30.09.2013 तक) |
| 4. | श्री प्रदीप कपूर | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) | (दिनांक 31.08.2017 तक) |
| 5. | श्री आर.के.विजयवर्गीय | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) | |
| 6. | श्री संदीप दंडवते | वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा | |
| 7. | श्री विनय कुमार दलेला | वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा | |
| 8. | श्रीमति रूचि गुप्ता | सहा० नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा | (दिनांक 30.09.2013 तक) |
| 9. | श्री पद्मनाभन शर्मा | सहा० नगर नियोजक, न० वि० न्या०, कोटा | (दिनांक 30.09.2013 तक) |
| 10. | श्री विष्णु गुप्ता | सहा० नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा | |
| | | (दिनांक 30.09.2013 से दिनांक 28.02.2014 तक) | |
| 11. | श्री धनेश रूणवाल | सहा० नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा | |
| 12. | श्री जगदीश कलवार | सहा० नगर नियोजक (मास्टर प्लान) जयपुर | (दिनांक 30.09.2015 तक) |
| 13. | श्री गोपाल कृष्ण जैन | सहा० नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा | (दिनांक 31.05.2017 तक) |
| 14. | श्री चैतन्य गौतम | सहायक अभियंता, कोटा जोन, कोटा | |
| 15. | श्री ओम प्रकाश शर्मा | सहायक अभियंता, कोटा जोन, कोटा | |
| 16. | श्री रामकिशन कुमावत | नगर नियोजन सहायक, कोटा जोन, कोटा | |
| 17. | श्री रतन बैरवा | वरिष्ठ लिपिक, (मास्टर प्लान प्रकोष्ठ) जयपुर | |
| 18. | श्री शिव प्रकाश नामा | अतिरिक्त निजी सचिव, कोटा | (दिनांक 31.03.2017 तक) |
| 19. | श्री प्यारा सिंह | निजी सहायक, कोटा | |
| 20. | श्री गुलाब चन्द बैरवा | अन्वेषक ग्रेड-द्वितीय, कोटा | |

सलाहकार

आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा (राज०)

| | | | |
|----|-----------------------|---|------------------------------|
| 1. | श्री पीयूष कुमार गोयल | : | मुख्य सलाहकार एवं नगर नियोजक |
| 2. | सुश्री श्वेता शर्मा | : | सलाहकार एवं प्रारूपकार |
| 3. | श्री अनिल जैन | : | अभियान्त्रिकी सलाहकार |
| 4. | श्री अनिल जैन | : | मुख्य सर्वेयर |
| 5. | श्री शलभ शर्मा | : | सर्वेयर |
| 6. | श्री किशन सिंह | : | कम्प्यूटर ऑपरेटर |

विषय – सूची

| क्र.सं. | विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| | आभार | i-ii |
| | योजना दल | iii |
| | तालिका सूची | ix |
| 1.0 | परिचय | 1–8 |
| 2.0 | विद्यमान विशेषताएँ | 9–42 |
| 2.1 | भौतिक स्वरूप और जलवायु | |
| 2.2 | क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य | |
| 2.3 | ऐतिहासिक | |
| 2.4 | जनांकिकी | |
| 2.5 | व्यावसाचिक संरचना | |
| 2.6 | विद्यमान भू-उपयोग | |
| 2.6 (1) | आवासीय | |
| 2.6 (1) अ | आवासन | |
| 2.6 (1) ब | कच्ची बस्तियां | |
| 2.6 (2) | वाणिज्यिक | |
| 2.6 (3) | औद्योगिक | |
| 2.6 (4) | राजकीय | |
| 2.6 (4) अ | सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय | |
| 2.6 (4) ब | सरकारी आरक्षित | |
| 2.6 (5) | आमोद-प्रमोद | |
| 2.6 (5) अ | उद्यान एवं खुले स्थल | |
| 2.6 (5) ब | स्टेडियम एवं खेल मैदान | |
| 2.6 (5) स | अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन | |
| 2.6 (5) द | मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ | |

| | |
|-------------------|---|
| 2.6 (6) | सार्वजनिक एवं अद्वैत सार्वजनिक |
| 2.6 (6) अ | शैक्षणिक |
| 2.6 (6) ब | चिकित्सा |
| 2.6 (6) स | सामाजिक/सांस्कृतिक |
| 2.6 (6) द | धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल |
| 2.6 (6) च | अन्य सामुदायिक सुविधायें |
| 2.6 (6) र | जनोपयोगी सुविधायें |
| 2.6 (6)-र (i) | जलापूर्ति |
| 2.6 (6)-र (ii) | जल-मल निकास |
| | एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन |
| 2.6 (6)-र (iii) | विद्युत आपूर्ति |
| 2.6 (6)-र (iv) | श्मशान एवं कब्रिस्तान |
| 2.6 (7) | परिसंचरण |
| 2.6 (7) अ | यातायात व्यवस्था |
| 2.6 (7) ब | बस तथा ट्रक टर्मिनल |
| 2.6 (7) स | रेल एवं हवाई सेवा |
| 2.7 | गत मास्टर प्लान के प्रस्ताव एवं वर्तमान् विकास की समीक्षा |
| 3.0 | नियोजन की संकल्पना 43–52 |
| 3.1 | नियोजन की नीतियाँ |
| 3.2 | नियोजन के सिद्धांत |
| 4.0 | भावी आकार 53–68 |
| 4.1 | जनांकिकी |
| 4.2 | व्यावसायिक संरचना |
| 4.3 | नगरीय क्षेत्र |
| 4.4 | नगरीयकरण योग्य क्षेत्र |
| 4.5 | योजना क्षेत्र |
| (अ) | परकोटा नगर योजना क्षेत्र |

| | |
|------------|--|
| (ब) | बूंदी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र |
| (स) | बूंदी सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र |
| (द) | उम्मेद भवन योजना क्षेत्र |
| (य) | बाराँ सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र |
| (र) | बाराँ सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र |
| (ल) | कन्सुआं (आधोगिक) योजना क्षेत्र |
| (व) | दादाबाड़ी योजना क्षेत्र |
| (ह) | रंगबाड़ी योजना क्षेत्र |
| (ष) | रानपुर योजना क्षेत्र |
| (त्र) | परिधि नियंत्रण योजना क्षेत्र |
| 5.1 | भू-उपयोग योजना 69–114 |
| 5.1 | आवासीय |
| 5.1 (1) | आवासन |
| 5.1 (2) | इन्फोरमल सेक्टर के लिये आवास |
| 5.1 (3) | मिश्रित उपयोग |
| 5.1 (4) | नगरीय नवीनीकरण/कच्ची बस्तियां |
| 5.2 | वाणिज्यिक |
| 5.2 (1) | शहरी केन्द्र |
| 5.2 (2) | उप नगर केन्द्र |
| 5.2 (3) | जिला केन्द्र |
| 5.2 (4) | अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र |
| 5.2 (5) | विशिष्ट एवं थोक व्यापार |
| 5.2 (6) | भण्डारण एवं गोदाम |
| 5.3 | औद्योगिक |
| 5.4 | राजकीय |
| 5.4 (1) | सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय |

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 5.4 (2) | सरकारी आरक्षित |
| 5.5 | आमोद-प्रमोद |
| 5.5 (1) | उद्यान एवं खुले स्थल |
| 5.5 (2) | स्टेडियम एवं खेल मैदान |
| 5.5 (3) | अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन |
| 5.6 | पर्यटन |
| 5.7 | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक |
| 5.7 (1) | शैक्षणिक |
| 5.7 (2) | चिकित्सा |
| 5.7 (3) | सामाजिक/सांस्कृतिक |
| 5.7 (4) | धार्मिक स्थल/ऐतिहासिक |
| 5.7 (5) | अन्य सामुदायिक सुविधायें |
| 5.7 (6) | जनोपयोगी सुविधायें |
| 5.7 (6) अ | जलापूर्ति |
| 5.7 (6) ब | जल-मल निस्तारण व्यवस्था |
| 5.7 (6) स | ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन |
| 5.7 (6) द | विद्युत आपूर्ति |
| 5.7 (7) | श्मशान एवं कब्रिस्तान |
| 5.8 | हाईवे ड्वलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र |
| 5.9 | विशेष क्षेत्र |
| 5.10 | परिसंचरण |
| 5.10 (1) | प्रस्तावित यातायात संरचना |
| 5.10 (1) अ | सड़कों का मार्गाधिकार |
| 5.10 (1) ब | सड़कों का चौड़ा करना |
| | एवं उनका सुधार |
| 5.10 (1) स | चौराहों का सुधार |
| 5.10 (1) द | पार्किंग व्यवस्था |
| 5.10 (2) | बस तथा ट्रक टर्मिनल |

| | | |
|------------------|--|----------------|
| 5.10 (3) | रेल एवं हवाई सेवा | |
| 5.11 | परिधि नियंत्रण पट्टी | |
| 5.11 (1) | ग्रामीण आबादी क्षेत्र | |
| 5.12 | विशेष नगरीय विस्तार केन्द्र | |
| 5.12 (1) | रानपुर सैटेलाइट सेन्टर | |
| 5.12 (2) | शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर | |
| 5.13 | बाढ़ नियंत्रण | |
| 5.14 | क्षेत्रीय विकास | |
| 6.0 | योजना का क्रियान्वयन | 115–120 |
| 6.1 | वर्तमान आधार | |
| 6.2 | प्रस्तावित आधार | |
| 6.3 | जन सहभागिता एवं जन सहयोग | |
| 6.4 | भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति | |
| 6.5 | विस्तृत योजना हेतु अतिरिक्त बिन्दु | |
| 6.6 | उपसंहार | |
| 6.7 | योजना का क्रियान्वयन | |
| परिणिष्ठ :- 1- अ | राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण | |
| 1- ब | राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण | |
| 2 | राजकीय अधिसूचना दि. 27/12/2001 | |
| 3 | राजकीय अधिसूचना दि. 15/04/2005 | |
| 4 | राजकीय अधिसूचना दि. 16/05/2013 | |
| 5 | राजकीय अधिसूचना दि. 04/09/2013 | |
| 6 | राजकीय अधिसूचना दि. 04/08/2014 | |
| 7 | राजकीय अधिसूचना दि. 17/05/2016 | |
| 8 | राजकीय अधिसूचना दि. 18/05/2016 | |
| 9 | राजकीय अधिसूचना दि. 22/11/2017 | |

तालिका – सूची

| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--------------|
| 1. | जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति–कोटा–1901–2011 | 13 |
| 2. | व्यावसायिक संरचना–कोटा–2001–2012 | 14 |
| 3. | विद्यमान भू–उपयोग–कोटा–2012 | 15 |
| 4. | कृषि उपजमण्डी में कृषि उत्पादों की आवक | 18 |
| 5. | विद्यमान औद्योगिक इकाईयां एवं कर्मचारियों की संख्या–2012 | 20 |
| 6. | औद्योगिक गतिविधियों का विवरण–कोटा–2012 | 20 |
| 7. | सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय –कोटा–2012 | 22 |
| 8. | शैक्षणिक संरचना कोटा–2012 | 26 |
| 9. | विद्यमान चिकित्सा सुविधायें –कोटा–2012 | 28 |
| 10. | जलापूर्ति कनेक्शन–कोटा–2012 | 31 |
| 11. | विद्युत कनेक्शन एवं उपभोग–कोटा–2012 | 33 |
| 12. | भू–उपयोग समीक्षा, कोटा – 2001, 2012, 2023 | 42 |
| 13. | जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति–कोटा–1901–2031 | 54 |
| 14. | व्यावसायिक संरचना–कोटा–2031 | 55 |
| 15. | योजना क्षेत्र–कोटा–2031 | 57 |
| 16 अ | प्रस्तावित भू–उपयोग–कोटा–2023 | 70 |
| 16 ब | प्रस्तावित भू–उपयोग–कोटा–2031 (2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात् अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र) | 71 |
| 17. | प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण–कोटा–2031 | 75 |
| 18. | प्रस्तावित ज़िला केन्द्र–कोटा–2031 | 77 |
| 19. | प्रस्तावित विशिष्ट एवं थोक व्यापार–कोटा–2031 | 78 |
| 20. | औद्योगिक गतिविधियों का विवरण कोटा–2031 | 79 |
| 21. | प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र –कोटा–2031 | 80 |
| 22. | प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना–कोटा–2031 | 86 |
| 23. | सड़कों का मानक मार्गाधिकार–कोटा–2031 | 99 |
| 24. | विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार कोटा–2031 100–102 | 100–102 |
| 25. | प्रस्तावित भू–उपयोग–रानपुर ग्रोथ सेन्टर –2031 | 111 |
| 26. | प्रस्तावित भू–उपयोग–शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर –2031 | 113 |

1

परिचय

परिचय

कोटा राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग हाड़ौती का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है जो कि माध्य समुद्र तल से 253.3 मीटर की ऊंचाई पर चम्बल नदी के किनारे $25^{\circ}11'$ उत्तरी अक्षांश एवं $75^{\circ}51'$ पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह राजस्थान की मुख्य नदी चम्बल के किनारे पर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह संभागीय एवं जिला मुख्यालय है। यह नगर जयपुर, दिल्ली, मुम्बई एवं देश के अन्य सभी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नगरों से बड़ी दूरी पर लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। यह दिल्ली मुम्बई बड़ी दूरी पर लगभग 470 कि.मी. एवं मुम्बई से लगभग 920 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त कोटा-चित्तौड़-नीमच एवं कोटा-बीना बड़ी दूरी पर लगभग 240 कि.मी. दूरी पर रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52कोटा नगर के बीच से होकर गुजरता है जिसका बाईपास निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 पिण्डवाड़ा-कोटा-शिवपुरी नगर को दक्षिण राजस्थान, गुजरात एवं मध्यप्रदेश से सीधा सम्पर्क प्रदान करता है।

नगर के बीचों-बीच हवाई अड्डा है जहाँ से वर्तमान में हवाई सेवा संचालित नहीं होती है। यहाँ पर सम्भाग स्तर एवं जिला स्तर के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं।

नगर के दक्षिण में तेज ढलान वाला पठारी क्षेत्र व उत्तर में समतल उपजाऊ भूमि है। यह चम्बल सिंचित क्षेत्र में स्थित है एवं दायीं मुख्य नहर नगर को दो भागों में विभक्त करती है। दायीं मुख्य नहर के उत्तर की भूमि समतल एवं उपजाऊ

है। चम्बल नदी के पश्चिम में अधिकांश विकास बारी मुख्य नहर के उत्तर की ओर हो रहा है। नगर में पानी का निकास दक्षिण से उत्तर की ओर है एवं विभिन्न नाले चम्बल नदी में मिलते हैं। नगर का सामान्य ढलान उत्तर व उत्तर-पूर्व की ओर है। कोटा नगर की सामान्य जलवायु शुष्क एवं गर्म है। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम दैनिक औसत तापमान 39° से 0 रहता है। सर्दियों में औसत अधिकतम व न्यूनतम तापमान कमशः 25° और 11° से 0 रहता है।

लगभग 680 वर्ष पूर्व कोटा, भील आदिवासियों की एक छोटी सी आबादी थी, जहाँ पर मिट्ठी की झोपड़ियाँ एवं एक छोटा सा किला था। इसका नाम भीलों के मुखिया कोटिया के नाम पर रखा गया था। चौदहवीं शताब्दी (लगभग सन् 1342) के मध्य में बून्दी के हाड़ा राजपूतों ने जीतकर लगभग दो शताब्दी बाद चम्बल नदी के किनारे एक किला बनाया। आबादी के विस्तार के साथ उत्तर एवं पूर्व में और परकोटे बनवाये गये। तत्कालीन समय में भौतिक अवरोधों के कारण नगर का विस्तार पश्चिम एवं दक्षिण में नहीं हुआ।

रेलवे, जल व्यवस्था, बिजलीघर, हवाई अड्डा इत्यादि के विकास के बाद उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक कोटा नगर ने आधुनिक युग में प्रवेश किया, जब परकोटे के बाहर इसका विस्तार शुरू हुआ। उत्तर में कोटा जंक्शन के नजदीक भीमगंजमण्डी क्षेत्र विकसित हुआ। आबादी के बाद देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी कोटा आये। उत्तर में कोटा जंक्शन एवं पूर्व में गुमानपुरा के समीप इन शरणार्थियों को बसाने के लिये नये आवासीय क्षेत्र विकसित किये गये। चम्बल परियोजना के प्रथम चरण में

सन् 1961 में कोटा बैराज एवं गांधी सागर बांध के पूर्ण होने से इस क्षेत्र को नये आर्थिक अवसर उपलब्ध हुए। दक्षिण-पूर्व में कन्सुआ ग्राम के समीप एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ। कोटा का विकास जो कि चम्बल नदी व रेलवे लाईन के मध्य उत्तर-दक्षिण अक्ष पर हो रहा था, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ-साथ पूर्व-पश्चिम अक्ष पर शुरू हुआ। इसके बाद दक्षिण में झालावाड़ सड़क पर इन्स्ट्रूमेंटेशन फैक्ट्री एवं इसकी आवासीय कॉलोनी विकसित हुई। इसके उपरान्त अधिकांशतः विकास दक्षिण दिशा में रेलवे लाईन व रावतभाटा सड़क के मध्य राजस्थान आवासन मण्डल व नगर विकास न्यास द्वारा नियोजित

रूप से जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध थी, पर हुआ। विंगत् 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास की निजी क्षेत्र में भागीदारी से नियोजित रूप में विकास हेतु टाउनशिप पॉलिसी जारी किये जाने के फलस्वरूप नगर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में निजी कृषि भूमि पर तेजी से नगर का विस्तार हुआ। जिला प्रशासन द्वारा बड़ी मात्रा में सिवायचक भूमि नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप लखावा व रानपुर क्षेत्र तथा नगर के पश्चिम में नान्ता व राम नगर क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनाओं का विकास कार्य हाथ में लिया गया। रीको द्वारा रानपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया।

कोटा की जनसंख्या 1901 में 33,657 थी, जो बढ़कर सन् 1971 में 2,12,991 हो गई। तीव्र नगरीय विकास एवं औद्योगिकरण से 60 के दशक में नगरीय विकास की विभिन्न समस्याएँ सामने आईं। नगरीय विकास एवं जन सेवाओं का विस्तार बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में पिछड़ गया। इस समय यह महसूस किया गया कि नगर के योजनाबद्ध विकास के लिये मास्टर प्लान तैयार किया जाये। अतः राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 उपधारा (1) के अन्तर्गत् राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 1977 की अनुपालना में 50 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कोटा नगर का प्रथम मास्टर प्लान बनाया गया। यह मास्टर प्लान वर्ष 1971 को आधार वर्ष मानते हुए क्षितिज वर्ष 1991 के अनुमानों पर तैयार किया गया था। वर्ष 1991 में नगर विकास न्यास, कोटा को वन विभाग से प्राप्त भूमि को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.01.1992 द्वारा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा बढ़ा दी गयी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10 (105) न.वि.आ./3/91 दिनांक 28/12/91 द्वारा कोटा मास्टर प्लान की अवधि को वर्ष 2001 तक के लिये बढ़ा दिया गया। इसके पश्चात् भी अपरिहार्य कारणों से कोटा नगर के मास्टर प्लान की अवधि समय-समय पर राज्योंदेशों द्वारा 30 सितम्बर 2003 तक बढ़ाई गयी। वर्ष 1991 से 2001 के दौरान नगर का विकास अधिकांशतः दक्षिण में झालावाड़ सड़क व रावतभाटा सड़क के मध्य नगर विकास न्यास एवं आवासन मण्डल की उपलब्ध भूमि पर हुआ।

कोटा की जनसंख्या वर्ष 1971 में 2,12,991 थी, जो बढ़कर 1981 में 3,58,241, 1991 में 5,37,371 एवं वर्ष 2001 में 6,94,316 हो गयी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर एवं विकास की प्रबल सम्भावनाओं को देखते हुए कोटा को दिल्ली महानगर का काउण्टर मैग्नेट नगर चयनित किया गया।

राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उप धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2001 को अधिसूचना जारी कर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को कोटा का नया मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया। कोटा के मास्टर प्लान हेतु 64 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गयी जिसके अन्तर्गत कुल 125000 एकड़ भूमि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल थी। कोटा मास्टर प्लान 2023 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 15.04.2005 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

विगत् दशक में नगर विकास न्यास को बड़ी मात्रा में राजकीय भूमि हस्तान्तरित हुई है, जिसके फलस्वरूप नगर के दक्षिण में लखावा एवं रानपुर क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनायें विकसित की गईं। नगर के पश्चिम में नान्ता व राम नगर क्षेत्र में भी नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनायें विकसित की गयी। उक्त अवधि में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान में नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन भी किये गये। राज्य सरकार द्वारा कोटा नगर में आई.आई.टी. की स्थापना की घोषणा की गयी। कृषि महाविद्यालय स्थापना की भी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना की गयी। रानपुर क्षेत्र में रीको की योजना में कई अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है एवं दो विश्वविद्यालय प्रस्तावित हैं। उल्लेखित है कि शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापन एवं विकास के कारण गत् दशक में कोटा नगर का स्वरूप औद्योगिक नगरी से शैक्षणिक नगरी के रूप में विकसित हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 के दक्षिण में बाईपास निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जो कि अन्तिम चरण में है। नगर विकास न्यास द्वारा उत्तरी बाईपास का प्रस्ताव तैयार किया गया है जो कि बाराँ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27) को केशवरायपाटन में ग्राम हाईवे (1-ए) से जोड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दरा अभ्यारण्य क्षेत्र की स्थापना की घोषणा भी की गयी है। नगर निगम सीमा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। इस दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 2/2/2010 द्वारा कोटा के नगरीय क्षेत्र में 30 राजस्व ग्राम, (कोटा जिले के 22 राजस्व ग्राम, बून्दी जिले के 8 राजस्व ग्राम) एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 13.08.2010 द्वारा बून्दी जिले के 3 राजस्व ग्राम कोटा के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये। अतः कोटा मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 64 से बढ़कर 97 हो गई।

उपरोक्त के दृष्टिगत नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कोटा मास्टर प्लान-2023 के पुनरावलोकन की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके क्रम में उप शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 10(19)नविवि/3/12 दिनांक 02.11.2012 द्वारा कोटा नगर के मास्टर प्लान का सम्पूर्ण कार्य (रिब्यू / नया मास्टर प्लान बनाने) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कोटा मास्टर प्लान-2031 तैयार करने हेतु भौतिक व अन्य सर्वेक्षण तथा मास्टर प्लान कार्य सलाहकार फर्म ‘आकार कन्सलेटेन्ट्स, कोटा’ को सौंपा गया।

इस दौरान नगर नियोजन विभाग द्वारा कोटा मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कैथून नगर पालिका क्षेत्र का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया जाकर दिनांक 16.05.2013 को प्रकाशन किया गया। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं उत्तरी बाईपास प्रस्ताव के दृष्टिगत पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 97 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त 22 राजस्व ग्राम नगरीय क्षेत्र सीमा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक समझा गया, ताकि नगर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियंत्रण हो सके। इस प्रकार कुल 119 राजस्व ग्राम

(जिसमें से 4 राजस्व ग्राम कैथून मास्टर प्लान नगरीय सीमा में सम्मिलित) कोटा मास्टर प्लान की नगरीय सीमा में सम्मिलित किये गये हैं।

कोटा नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 6,94,316 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10,01,365 हो गई है एवं वर्ष 2001 से 2011 की वृद्धि दर 44.22 प्रतिशत रही है। कोटा नगर का नया मास्टर प्लान वर्ष 2031 तक के लिए बनाया गया है। कोटा नगर की क्षितिज वर्ष 2031 में जनसंख्या लगभग 21 लाख अनुमानित की गयी है। आगामी दो दशकों में नगर की कुल वृद्धि दर लगभग 43.80 व 45.83 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। कोटा नगर का कुल औसत नगर घनत्व 27 व्यक्ति प्रति एकड़ के अनुमान से वर्ष 2031 तक नगर के भावी नगरीय विकास हेतु लगभग 86,961 एकड़ नगरीयकरण योग्य भूमि की आवश्यकता होगी अर्थात पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग 48,500 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। नगर का अधिकांश भावी विकास नगर के पूर्व में रेलवे लाईन व बाईपास के मध्य, बाराँ सड़क के उत्तर में तथा नगर के पश्चिम में बून्दी सड़क के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में एवं दक्षिण दिशा में रावतभाटा सड़क व झालावाड़ सड़क के मध्य लखावा एवं रानपुर क्षेत्र में होने की अधिक सम्भावना है।

नगर की परिधि में अवांछनीय विस्तार पर नियंत्रण की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान-2031 के लिए कुल 119 राजस्व ग्रामों (जिसमें 108 राजस्व ग्राम कोटा जिले के व 11 राजस्व ग्राम बून्दी जिले के) को कोटा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविवि/3/80 पार्ट-1दिनांक 04/09/2013 द्वारा अधिसूचित किया गया। इस प्रकार कोटा नगरीय क्षेत्र कुल क्षेत्रफल कैथून मास्टर प्लान नगरीय सीमा में सम्मिलित 4 राजस्व ग्रामों सहित लगभग 1,98,000 एकड़ होगा।

विभिन्न सिविक एवं भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर नगर मानचित्र, विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र 2011 तैयार किये गये हैं। मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 है। अतः वर्ष 2031 तक नगर की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना मानदण्डों के अनुसार आवश्यक भूमि का अनुमान एवं

प्रस्तावित स्थल निर्धारण आदि किया गया है। इन सभी अध्ययनों के आधार पर मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया जो क्षितिज वर्ष 2031 तक की विभिन्न नगरीय गतिविधियों की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है।

नगर के भावी विकास को दिशा देने हेतु यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिससे यहाँ के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुखद जीवन का बातारण प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है, कि नागरिकों को इसे समझाने का पर्याप्त अवसर मिले। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत् दिनांक 17.05.16 से 16.06.16 तक जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु नगर के सभी गणमान्य नागरिकों, सभी संगठनों, प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिकों तथा जन साधारण द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान के अवलोकनार्थ मास्टर प्लान से संबंधित मानचित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। कोटा मास्टर प्लान-2031 (प्रारूप) की प्रतियां संबंधित विभागों एवं जन प्रतिनिधियों को भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए भेजी गयी। मास्टर प्लान के संबंध में अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित की गयी।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी0बी0 सिविल रिट पीटीशन नं 1554/2004 के अन्तर्गत हुए निर्णय एवं तदनुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक प10(44) नविवि /3/2009 पार्ट ॥ दिनांक 25/07/2017 के तहत कोटा शहर का मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को अग्रिम आदेश तक यथावत् रखा जाना है।

निर्धारित अवधि में विभिन्न स्थलों पर 338 एवं इसके पश्चात् 18, इस प्रकार कुल 356 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुए। इन आपत्ति/सुझाव पत्रों में से कुछ पत्र विभिन्न माध्यमों से एक से अधिक बार प्राप्त हुए हैं। इनके सूचीकरण के फलस्वरूप कुल 223 आपत्ति/सुझाव पत्र जिनमें कुल 737 आपत्ति/सुझाव बिन्दू प्राप्त हुए। कुल 737 आपत्ति/सुझाव बिन्दुओं में से मास्टर प्लान-2031 की भू-उपयोग योजना में मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत् 171 आपत्ति/सुझाव बिन्दू प्राप्त हुए जिन पर वर्तमान में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मास्टर प्लान-2031 की भू-उपयोग योजना में मास्टर

प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र के कुल 566 आपत्ति/सुझाव बिन्दू प्राप्त हुए हैं, पर वर्तमान में कार्यवाही कर निर्णय किये गये हैं जिससे कि क्षितिज वर्ष 2031 के लिए नगर को नियोजित विकास की दिशा दी जा सके। साथ ही 2031 की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित परिसंचरण नेटवर्क में न्यास द्वारा तैयार किये गये अनुमोदित सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों एवं अन्य प्रस्तावित सड़कों का समावेश किया गया है। अतः मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अंतः क्षेत्रों में भी प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित परिसंचरण नेटवर्क ही मान्य होगा।

उल्लेखनीय है कि मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित भू उपयोग, मास्टर प्लान-2023 के अनुरूप, राज्य सरकार के अग्रिम निर्देशों अथवा क्षितिज वर्ष 2023, जो भी पहले हो, तक मान्य होंगे। तत्समय इस क्षेत्र की भूउपयोग योजना का पुनःरीक्षण किया जायेगा। आपत्ति/सुझावों तथा कोटा मास्टर प्लान-2031 (प्रारूप) के प्रस्तावों पर आवश्यकतानुसार मौका निरीक्षण एवं विश्लेषण उपरांत 60 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत, 37 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत, 259 आपत्ति/सुझाव निरस्त किये गये एवं 210 आपत्ति/सुझावों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाई गयी। स्वीकृत एवं आंशिक स्वीकृत आपत्ति/सुझावों के अतिरिक्त मौके की स्थिति एवं सहवन की त्रुटियों के फलस्वरूप आवश्यक अन्य संशोधनों को समाहित करते हुए तदनुसार मास्टर प्लान कोटा को अन्तिम रूप दिया गया। अतः कोटा मास्टर प्लान-2031 (मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को छोड़कर) को अन्तिम रूप से तैयार कर राज्य सरकार को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान सरकार जयपुर।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविवि/3/80पार्ट-1 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट-9)

2

विद्यमान विशेषताएँ

विद्यमान विशेषताएँ

कोटा नगर संभागीय मुख्यालय एवं राज्य का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। यह नगर राज्य की राजधानी जयपुर नगर से दक्षिण में 240 कि.मी. की दूरी पर दिल्ली-मुम्बई बड़ी रेलवे लाईन पर स्थित है। यह दिल्ली-मुम्बई बड़ी रेलवे लाईन का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। इसके अतिरिक्त कोटा नगर कोटा-चित्तौड़-नीमच एवं कोटा-बीना बड़ी रेलवे लाईन से जुड़ा होने के कारण देश के सभी महत्वपूर्ण नगरों से इसका सीधा रेल सम्पर्क है। कोटा, दिल्ली से लगभग 470 कि.मी. एवं मुम्बई से लगभग 920 कि.मी. की दूरी पर है। जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 नगर के बीचों-बीच से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पिण्डवाड़ा-कोटा-शिवपुरी (ईस्ट वेस्ट कोरिडोर का एक भाग) नगर को दक्षिणी राजस्थान, गुजरात एवं मध्यप्रदेश से सीधा सम्पर्क प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कोटा-चित्तौड़-नीमच एवं कोटा-बीना बड़ी रेलवे लाईन से जुड़ा होने के कारण देश के सभी प्रमुख नगरों से इसका सीधा सम्पर्क है। नगर के बीचों-बीच हवाई अड्डा है, जहां से हवाई सेवाएं वर्तमान में संचालित नहीं होती हैं।

2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु

संभागीय मुख्यालय कोटा, राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में माध्य समुद्रतल से 253.3 मीटर की ऊंचाई पर चम्बल नदी के किनारे स्थित है। यह $25^{\circ}11'$ उत्तरी अक्षांश एवं $75^{\circ}51'$ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। नगर के दक्षिण में तेज ढलान वाला पठारी क्षेत्र एवं उत्तर में समतल उपजाऊ भूमि है। यह चम्बल सिंचाई क्षेत्र में स्थित है एवं दाहिनी मुख्य नहर शहर को दो भागों में विभक्त करती है। दाईं

मुख्य नहर के उत्तर की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। नगर में पानी का निकास दक्षिण से उत्तर की ओर है एवं विभिन्न नाले चम्बल नदी में मिलते हैं। नगर का सामान्य ढलान उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर है। कोटा नगर की सामान्य जलवायु शुष्क एवं गर्म है। गर्मियों में यहाँ अधिकतम दैनिक औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में औसत अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 डिग्री सेल्सियस तथा 11 डिग्री सेल्सियस रहता है। नगर की औसत वार्षिक वर्षा 84 से.मी. तथा जुलाई-अगस्त में औसत आर्द्धता लगभग 75% रहती है। गर्मी के मौसम में हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर तथा सर्दियों के मौसम में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर चलती हैं।

2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष्य

कोटा, राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में स्थित सम्भागीय मुख्यालय है। कोटा संभाग के अन्तर्गत् कोटा, बून्दी, बारां, झालावाड़ एवं सवाई माधोपुर जिले आते हैं। कोटा, बून्दी, बारां एवं झालावाड़ जिले हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। यह बून्दी, बारां एवं सवाई माधोपुर से रेल व सड़कमार्ग से जुड़ा हुआ है। झालावाड़ नगर कोटा से सड़क मार्ग से अच्छी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 52 द्वारा जुड़ा हुआ है एवं यहाँ पर 'अ' श्रेणी की कृषि उपज मंडी है। यह अनाज, दालों एवं तिलहन का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, सोयाबीन, ज्वार एवं चना इत्यादि हैं। चम्बल सिंचित क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसके प्रभाव क्षेत्र में उपलब्ध आर्थिक क्षमतायें नगर के उन्नत एवं उज्ज्वल भविष्य की ओर इंगित करती हैं। कोटा जिले के अन्तर्गत् रामगंजमण्डी कस्बे के आस-पास फर्शी के काम आने वाला पत्थर निकलता है, जो कोटा स्टोन के नाम से विख्यात है। कोटा नगर कोटा स्टोन का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। निकटवर्ती बून्दी जिले में प्रसिद्ध बासमती चावल की पैदावार होती है। कोटा नगर प्रमुख विद्युत उत्पादन केन्द्र है। यहाँ पर 1240 मेगावाट का सुपर थर्मल पॉवर प्लांट स्थित है। इसके अतिरिक्त कोटा के आस पास के क्षेत्रों में भी विद्युत उत्पादन के बड़े, मध्यम एवं छोटे पॉवर प्लांट स्थित हैं जो कि वर्तमान में लगभग 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। कोटा नगर में पानी, बिजली की

प्रचुरता तथा बड़ी रेल लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा होने के कारण यहाँ आर्थिक विकास की प्रबल सम्भावनाएँ हैं।

2.3 ऐतिहासिक

लगभग 670 वर्ष पूर्व, कोटा भील आदिवासियों की एक छोटी आबादी थी, जहाँ पर मिट्टी की झोपड़ियाँ एवं एक छोटा सा किला था। इसका नाम भीलों के मुखिया कोटिया के नाम पर रखा गया था। चौदहवीं शताब्दी (सन् 1342) के मध्य में इसे बृन्दी के हाड़ा राजपूतों ने जीतकर लगभग दो शताब्दी बाद चम्बल नदी के किनारे एक किला बनाया। आबादी विस्तार के साथ उत्तर एवं पूर्व की ओर परकोटे बनाये गए। भौतिक अवरोधों के कारण नगर का विस्तार उस समय पश्चिम एवं दक्षिण में नहीं हुआ।

रेलवे, जल व्यवस्था, बिजलीघर, हवाई अड्डा इत्यादि के विकास के बाद उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक कोटा नगर ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। जब परकोटे के बाहर भी इसका विस्तार शुरू हुआ। उत्तर में कोटा जंक्शन के नजदीक भीमगंजमण्डी क्षेत्र विकसित हुआ। आजादी के बाद, देश के विभाजन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी कोटा आये। उत्तर में कोटा जंक्शन के समीप एवं पूर्व में गुमानपुरा के समीप इन शरणार्थियों को बसाने के लिये नए आवासीय क्षेत्र विकसित किये गए।

चम्बल परियोजना के प्रथम चरण में सन् 1961 में कोटा बैराज एवं गांधीसागर बांध के पूर्ण होने से इस क्षेत्र में नये आर्थिक अवसर उपलब्ध हुए। दक्षिण-पूर्व में कन्सुआ ग्राम के समीप एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ। कोटा का विकास जो कि चम्बल नदी व रेलवे लाईन के मध्य उत्तर-दक्षिण अक्ष पर हो रहा था, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ पूर्व-पश्चिम अक्ष पर शुरू हुआ। इसके बाद दक्षिण में झालावाड़ सड़क पर इन्स्ट्रूमेंटेशन फैक्ट्री एवं इसकी आवासीय कॉलोनी, पूर्व में जे.के. उद्योग एवं इसकी आवासीय कॉलोनी तथा श्रीराम उद्योग एवं इसकी आवासीय कॉलोनी विकसित हुई। इसके अतिरिक्त भी कई वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई। पश्चिम में चम्बल नदी के अवरोध के कारण विकास न्यूनतम हुआ। इस काल में अधिकांशतः विकास दक्षिण दिशा में रेलवे

लाईन व रावतभाटा सड़क के मध्य राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यास द्वारा नियोजित रूप से जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध थी, हुआ। उत्तर दिशा में रेलवे स्टेशन के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हुईं। कन्सुआ औद्योगिक क्षेत्र के पास कृषि भूमि अवाप्त नहीं हो पाई।

अतः इकट्ठ भूमि पर कच्ची बस्तियाँ विकसित हो गयीं। चम्बल के पश्चिम में थर्मल प्लांट के निर्माण से इस दिशा में भी कुछ विकास हुआ। इसके उपरान्त अधिकांशतः विकास दक्षिण दिशा में रेलवे लाईन व रावतभाटा सड़क के मध्य राजस्थान आवासन मण्डल व नगर विकास न्यास द्वारा नियोजित रूप से जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध थी, पर हुआ।

विंगत् 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास की निजी क्षेत्र में भागीदारी से नियोजित रूप में विकास हेतु टाउनशिप पॉलिसी जारी किये जाने के फलस्वरूप नगर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में निजी कृषि भूमि पर तेजी से नगर का विस्तार हुआ। जिला प्रशासन द्वारा बड़ी मात्रा में स्थिवायचक भूमि नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप लखावा व रानपुर क्षेत्र तथा नगर के पश्चिम में नान्ता व राम नगर क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनाओं का विकास कार्य हाथ में लिया गया। रीको द्वारा रानपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया।

कोटा की जनसंख्या वर्ष 1971 में 2,12,991 से बढ़कर वर्ष 1991 में 5,37,371 हो गयी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर एवं विकास की प्रबल सम्भावनाओं को देखते हुए, कोटा को दिल्ली महानगर का काउण्टर मैग्नेट नगर भी चयनित किया गया। कोटा नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 6,94,316 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10,01,365 हो गई है एवं वर्ष 2001 से 2011 की वृद्धि दर 44.22 प्रतिशत रही है।

2.4 जनांकिकी

कोटा नगर की जनसंख्या के आंकड़े 1901 से उपलब्ध हैं। 1901 में कोटा नगर की जनसंख्या 33,657 थी। सन् 1931 तक नगर की जनसंख्या में मामूली वृद्धि हुयी। 1941 एवं 1951 में वृद्धि-दर क्रमशः 24.98 % एवं 37.53 % रही। वर्ष

1951 के पश्चात् नगर की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण नगर में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना रहा। सबसे अधिक वृद्धि दर 1951–1961 के दशक में रही, जो 84.84 % थी। वर्ष 1951 से 2011 तक पिछले 50 वर्षों के दौरान कोटा नगर की जनसंख्या 65,107 से बढ़कर 10,01,365 (लगभग पन्द्रह गुना से भी अधिक) हो गयी, जो कि तीव्र विकास का अपने आप में उदाहरण है। वर्ष 1901 से वर्ष 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 1
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति–कोटा–1901–2011

| वर्ष | जनसंख्या | अन्तर | वृद्धि–दर |
|------|-----------|------------|-----------|
| 1901 | 33,657 | – | – |
| 1911 | 32,753 | – 904 | – 2.69 |
| 1921 | 31,707 | – 1,046 | – 3.19 |
| 1931 | 37,876 | + 6,169 | + 19.46 |
| 1941 | 47,339 | + 9,463 | + 24.98 |
| 1951 | 65,107 | + 17,768 | + 37.53 |
| 1961 | 1,20,345 | + 55,283 | + 84.84 |
| 1971 | 2,12,991 | + 92,646 | + 76.98 |
| 1981 | 3,58,241 | + 1,45,250 | + 68.20 |
| 1991 | 5,37,371 | + 1,79,130 | + 50.00 |
| 2001 | 6,94,316 | + 1,56,945 | + 29.21 |
| 2011 | 10,01,365 | + 3,07,049 | + 44.22 |

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार।

2.5 व्यावसायिक संरचना

सन् 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा नगर में जनसंख्या का कार्यशील सहभागिता अनुपात अनुमानतः 25.32% व 26.30% रहा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कोटा नगर में कुल 1,75,845 व्यक्ति कार्यशील थे। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुमानों से स्पष्ट होता है कि कोटा नगर में औद्योगिक तथा कृषि गतिविधियों में कार्यरत् व्यक्तियों की संख्या में गिरावट आयी है, जबकि निर्माण, व्यापार एवं वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत् व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। नगर नियोजन विभाग के अनुसार वर्ष 2011 में उद्योगों में 21.25%, व्यापार एवं वाणिज्य में 21.00% व अन्य सेवाओं में

32.26% व्यक्तियों के कार्यरत रहने का अनुमान है। वर्ष 2001 एवं 2011 की व्यावसायिक संरचना को तालिका संख्या 2 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 2 व्यावसायिक संरचना—कोटा—2001–2011

| क्र. सं० | व्यवसाय | 2001 (अनुमानित) | | 2011 (अनुमानित) | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | कामगार व्यक्तियों की संख्या | कामगार व्यक्तियों का प्रतिशत | कामगार व्यक्तियों की संख्या | काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत |
| 1 | कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियाँ | 13,188 | 7.50 | 18,000 | 6.83 |
| 2 | उद्योग | 42,290 | 24.05 | 55,980 | 21.26 |
| 3 | निर्माण | 15,105 | 8.59 | 23,780 | 9.03 |
| 4 | व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ | 34,906 | 19.85 | 55,300 | 21.00 |
| 5 | परिवहन एवं संचार | 17,567 | 9.99 | 25,350 | 9.62 |
| 6 | अन्य सेवायें | 52,789 | 30.02 | 84,955 | 32.26 |
| | योग | 175845 | 100.00 | 263365 | 100.00 |
| | कुल जनसंख्या का प्रतिशत | | 25.32% | | 26.30% |

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान।

विद्यमान भू-उपयोग

कोटा नगर 1971 में 2,12,991 की आबादी का नगर था। वर्ष 1971 में एवं 1991 में नगर की नगर परिषद सीमा क्रमशः 34,880 एकड़ व 50,589 एकड़ थी। वर्तमान में नगर निगम सीमा क्षेत्रफल लगभग 1,30,260 एकड़ (527.03 वर्ग कि. मी.) है। नगर का वर्तमान नगरीयकृत क्षेत्र 32,880 एकड़ है, जिसमें से केवल 21,221 एकड़ ही विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत है, शेष भूमि सरकारी आरक्षित, कृषि, अन्य रिक्त एवं अर्द्ध विकसित, जलाशय व राख निस्तारण के अन्तर्गत आती है। नगर के अन्दर सघन आबादी के विकास के कारण आवासीय क्षेत्र विकसित क्षेत्र का 43.84% है। नगर औद्योगिक नगर होने के फलस्वरूप औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत 19.09% क्षेत्र आता है। आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत केवल 2.40% क्षेत्र सम्मिलित है, जबकि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग

के अन्तर्गत् 13.24% क्षेत्र है। वाणिज्यिक भू-उपयोग 5.51% तथा सरकारी एवं अर्द्धसरकारी उपयोग के अन्तर्गत् केवल 1.15% क्षेत्र ही है। तालिका संख्या 3 में विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2012 को दर्शाया गया है –

तालिका संख्या – 3
विद्यमान भू-उपयोग–कोटा–2012

| क्रं. संख्या | भू-उपयोग | क्षेत्रफल (एकड़ में) | विकसित क्षेत्र का प्रतिशत | नगरीकृत क्षेत्र का प्रतिशत |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | आवासीय | 9304 | 43.84 | 28.30 |
| 2 | वाणिज्यिक | 1170 | 5.51 | 3.56 |
| 3 | औद्योगिक | 4050 | 19.09 | 12.32 |
| 4 | सरकारी एवं अर्द्धसरकारी | 243 | 1.15 | 0.74 |
| 5 | आमोद प्रमोद | 510 | 2.40 | 1.55 |
| 6 | सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक | 2810 | 13.24 | 8.55 |
| 7 | परिसंचरण | 3134 | 14.77 | 9.53 |
| | विकसित क्षेत्र : | 21221 | 100.00 | 64.54 |
| 8 | जलाशय | 1391 | | 4.23 |
| 9 | कृषि | 365 | | 1.11 |
| 10 | अन्य रिक्त एवं अर्द्धविकसित भूमियां | 3283 | | 9.98 |
| 11 | सरकारी आरक्षित | 5759 | | 17.52 |
| 12 | राख निस्तारण क्षेत्र | 861 | | 2.62 |
| | नगरीकृत क्षेत्र | 32880 | | 100.00 |

स्रोत : नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार सर्वेक्षण एवं आंकलन

2.6 (1) आवासीय

2.6 (1) अ आवासन

वर्ष 2012 के सर्वेक्षण के अनुसार आवासीय उपयोग के अन्तर्गत् कुल क्षेत्र 9,304 एकड़ है, जो विकसित क्षेत्र का 43.84% है। वर्तमान में औसत आवासीय घनत्व लगभग 107 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

कोटा नगर निगम सीमा 60 वार्डों में विभक्त है, जिसमें से परकोटे के अन्तर्गत् 10 वार्ड आते हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 570 एकड़ एवं औसत घनत्व लगभग 250 व्यक्ति प्रति एकड़ है। अधिकतम घनत्व वार्ड संख्या 30 का, 924 व्यक्ति प्रति एकड़ है। परकोटे के बाहर के क्षेत्र में बल्लभाड़ी, बल्लमनगर, दादाबाड़ी, विज्ञान नगर, तलवण्डी, महावीर नगर, केशवपुरा एवं अन्य नई विकसित

आवासीय योजनाओं में औसत आवासीय घनत्व 51–150 व्यक्ति प्रति एकड़ है। नगर के दक्षिण में वर्ष 1991 के पश्चात् नगर विकास न्यास एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित की गई योजनायें, जैसे रंगबाड़ी, श्रीनाथपुरम्, आर.के.पुरम्, विवेकानन्द नगर, गणेश नगर, सुभाष नगर, इत्यादि आवासीय योजनाओं का लगभग 25% से अधिक क्षेत्र खाली है, जिनका क्षेत्रफल लगभग 1000 एकड़ है। इसके पश्चात् कृषि भूमियों पर हो रहे अधिकृत/अनाधिकृत विकास की दिशा में नगर विकास न्यास द्वारा विकासरत अन्य योजनाओं मोहन लाल सुखाड़िया, लखावा आवासीय योजना, रानपुर आवासीय योजना, इत्यादि आवासीय योजनाओं का क्षेत्रफल लगभग 750 एकड़ है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत् अफोर्डेबल हाउसिंग योजना प्रेम नगर, कंसुआ, भदाना, बालिता इत्यादि आवासीय योजनाएँ निर्माणरत हैं। नगर के पश्चिम में चम्बल नदी के पाट स्थित वार्डों, क्रमशः 1, 2 व 27 में औसत घनत्व 5–30 व्यक्ति प्रति एकड़ है। नगर के कम घनत्व के क्षेत्रों में वार्ड संख्या 7, 11, 22, 26, 43 एवं 56 में भी औसत घनत्व 5–30 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

2.6 (1) ब कच्ची बस्तियां

कोटा नगर में 84 कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें लगभग 3,06,070 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। अधिकांश कच्ची बस्तियाँ औद्योगिक क्षेत्र के समीप, नदी एवं नालों के किनारे, सरकारी भूमि पर विकसित हुई हैं। नगर विकास न्यास एवं नगर निगम द्वारा नियमित कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु समय-समय पर विकास कार्य करवाये गए हैं। इस दौरान वर्ष 2005 के पश्चात् केन्द्र सरकार के अभियान जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत योजना समन्वित आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत् नगर निगम कोटा की 34 बस्तियों एवं नगर सुधार की 4 बस्तियों की मूलभूत सुविधाओं का विकास, आवास निर्माण एवं पुनर्स्थापन के कार्य हुए हैं जिससे इन कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अन्य अनियमित कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कई कच्ची बस्तियां नदी एवं नालों के बहाव क्षेत्र में स्थित हैं।

2.6 (2) वाणिज्यिक

नगर के कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 5.51% अर्थात् 1170 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित हैं। मुख्य कार्य कलाप जैसे थोक एवं फुटकर व्यापार दोनों ही नगर परकोटे के अंदर तथा नगर परकोटे के साथ-साथ विकसित हुए हैं। नगर परकोटे के अंदर का मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र लाडपुरा से टिपटा तक जिसमें लाडपुरा बाजार, रामपुरा बाजार, बर्तन बाजार, बजाज खाना, घण्टाघर (किराना, सर्फा) अग्रसेन बाजार (किराना, शक्कर-तेल का थोक व्यापार एवं जनरल मर्चेण्ट), शास्त्री मार्केट (रेडीमेड गारमेंट), इन्द्रा मार्केट, सब्जी मंडी क्षेत्र नगर कोट के मुख्य बाजार हैं। नगर परकोटे के अंदर मुख्य बाजार, जैसे कपड़े का थोक मार्केट, जनरल मार्केट एवं सर्फा मार्केट इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियों को परकोटे के बाहर छोटे तालाब क्षेत्र में नगर विकास न्यास, कोठा द्वारा नया वाणिज्यिक केन्द्र विकसित कर विस्थापित किया गया है। वर्तमान टिम्बर मार्केट भी नगर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पुराने नगर के समीप स्थित है। नगर परकोटे के बाहर नये विकसित क्षेत्रों में मुख्यतः गुमानपुरा, शॉपिंग सेन्टर, मोटर मार्केट, नयी धानमंडी, विश्वकर्मा नगर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर जवाहर नगर, राजीव प्लाजा, विज्ञान नगर इत्यादि विकसित हुए हैं। शॉपिंग सेन्टर में नगर का प्रमुख फर्नीचर मार्केट एवं बिल्डिंग मेटेरियल मार्केट स्थित हैं।

विगत् वर्षों में हवाई अडडा चौराहे के समीप स्थित नई धानमण्डी को इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में विकसित धानमण्डी परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार रिक्त हुए नई धानमण्डी परिसर में नगर के अन्दरूनी भाग से थोक फल एवं सब्जीमण्डी को विस्थापित किया गया है। डी.सी.एम. सड़क पर कार्यरत ट्रांसपोर्ट नगर को, नगर विकास न्यास द्वारा नगर के बाहरी दक्षिणी भाग में, झालावाड़ सड़क पर गोबरिया बावड़ी चौराहे के समीप नया परिवहन नगर विकसित कर स्थानांतरित किया गया है। हालांकि डी.सी.एम. सड़क पर अभी-भी आंशिक रूप से ट्रांसपोर्ट गतिविधियाँ चल रही हैं। नगर के मध्य अवांछित स्थलों पर चल रहे पत्थर व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से बसाने हेतु

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा झालावाड़ सड़क एवं परिवहन नगर के समीप ही स्टोन मण्डी विकसित कर स्थानान्तरित किया गया है। एटोड्राम चौराहे पर वर्षों से कार्यरत् कार बाजार संबंधी गतिविधियों को कंसुआ सड़क पर सूरसागर तालाब के निकट स्थानान्तरित किया गया है।

अनाज भण्डारण हेतु गोदाम रावतभाटा सड़क, माला रोड एवं डकनिया रेलवे स्टेशन एवं रानपुर औद्योगिक क्षेत्र, कैथून सड़क बांरा सड़क के समीप स्थित है। तेल कम्पनियों के डिपो रेलवे लाईन के पूर्व में रेलवे कॉलोनी के समीप स्थित हैं। नगर के अधिकांश होटल, नगर के मध्य से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास स्थित हैं। इसके अतिरिक्त नये विकसित क्षेत्रों में रंगबाड़ी सड़क, दादाबाड़ी, बसन्त विहार सड़क, छावनी, तलवण्डी चौराहे के आस पास, विज्ञान नगर इत्यादि स्थानों पर फुटकर मिश्रित व्यवसाय चल रहा है। कोटा में विशिष्ट श्रेणी की कृषि उपजमण्डी स्थित है, जहाँ पर भारी मात्रा में अनाज, दलहन एवं तिलहन एवं मसाले का प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र है। कृषि उपजमण्डी में कृषि उत्पादों की आवक तालिका संख्या 4 में दर्शायी गयी है –

तालिका संख्या-4

कृषि उपजमण्डी में कृषि उत्पादों की आवक (हजार मेट्रिक टन में)

| वर्ष | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| अनाज | 315.68 | 321.92 | 483.84 |
| दलहन | 6.77 | 15.38 | 23.02 |
| तिलहन | 207.06 | 248.07 | 339.66 |
| मसाला | 86.85 | 104.91 | 96.12 |
| अन्य | 25.22 | 30.69 | 38.77 |
| कुल उत्पादन | 641.58 | 720.97 | 981.43 |

स्रोत : कृषि उपजमण्डी समिति, कोटा

2.6 (3) औद्योगिक

वर्तमान में 4050 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है, जो कि विकसित क्षेत्र का लगभग 19.09% है। उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1971, 1981 एवं 2001 में क्रमशः 17,950 (28.2%), 29,634 (28.9%) एवं

36,073 (23.6%) थी। वर्ष 1981 से 2012 के बीच उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत में गिरावट का प्रमुख कारण यहाँ की कुछ प्रमुख इकाईयों का बन्द होना है तथा कोचिंग गतिविधियों की वृद्धि से भी आमजन का सेवा क्षेत्र में रुझान बढ़ा है।

अतः वर्तमान में औद्योगिक परिवेश को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बड़ी रेल लाईन, चम्बल नदी एवं बिजली की उपलब्धता के कारण 60 के दशक में यहाँ बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, जिनमें श्रीराम उद्योग समूह, जे.के. उद्योग (वर्तमान में बंद), मल्टीमेटल, सेमकोर उद्योग (वर्तमान में बंद), इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. इत्यादि प्रमुख हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र डी.सी.एम. रोड इन्डस्ट्रीयल एस्टेट का क्षेत्रफल लगभग 1100 एकड़, झालावाड़ रोड इन्ड्रूप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल लगभग 900 एकड़ है। विशेष औद्योगिक क्षेत्र, आई.एल. का क्षेत्रफल लगभग 60 एकड़ है। कन्सुआ सड़क के उत्तर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र जिसमें लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हैं का क्षेत्रफल लगभग 190 एकड़ है। रीको द्वारा नगर के दक्षिण में रानपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 300 एकड़ है।

मास्टर प्लान-2023 में बारां सड़क पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो सका। सेमकोर उद्योग भी वर्ष 2011 से बन्द है। वर्तमान में नगर में 27 बड़े एवं मध्यम उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से 14 उद्योग उत्पादन दे रहे हैं। अन्य 13 उद्योग किन्हीं कारणों से उत्पादन नहीं दे पा रहे हैं। इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः कोटा स्टोन कटिंग व पॉलिशिंग तथा रसायन आधारित उद्योग इकाईयाँ स्थापित हैं। इन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा रावतभाटा सड़क पर तिलम संघ, सोयाबीन प्लांट एवं सरस डेयरी स्थित हैं।

विगत् वर्षों में कोटा, इसके एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित 8 सोयाबीन प्लांट कार्यरत होने से सोयाबीन तेल एवं डी०ओ०सी० के उत्पादन के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। कोटा में मुख्यतः कोटा स्टोन, सैण्ड स्टोन, तिलहन, दलहन, अनाज, खाद्यान्न, खाद, मैटेलिक एवं नॉन मैटेलिक ऑक्साइड, वेल्डिंग रॉड एवं रसायन उद्योग स्थित है। इन उद्योगों के मुख्य उत्पादन तेल, पाईप, दूध, हींग, खाद, रसायन, ग्लास, सीमेन्ट, सिल्क साड़ी, धागा, अन्य कपड़े, रेडिमेड, फर्नीचर, कागज, स्टेशनरी, चमड़े की वस्तुएँ, रबड़, प्लास्टिक, खनिज, टाईल्स,

विद्युत मशीनरी, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट उद्योग, मरम्मत मशीनरी, निर्माण संबंधी औजार एवं मशीनें, सर्विस उद्योग इत्यादि हैं।

नगर में वर्ष 2012 तक विद्यमान औद्योगिक इकाईयों एवं कर्मचारियों की संख्या तालिका संख्या 5 एवं औद्योगिक गतिविधियों का विवरण तालिका संख्या 6 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका संख्या— 5

विद्यमान औद्योगिक इकाईयां एवं कर्मचारियों की संख्या—2012

| क्र. सं. | उद्योग के प्रकार | इकाईयों की संख्या | कर्मचारियों की संख्या |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | कृषि आधारित | 767 | 3120 |
| 2 | तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद आधारित | 14 | 100 |
| 3 | कपास एवं सूती कपड़ा आधारित | 46 | 147 |
| 4 | ऊनी, सिल्क एवं कृत्रिम धागा आधारित | 193 | 116 |
| 5 | जूट एवं जूट आधारित | 14 | 90 |
| 6 | रेडिमेड एवं कढ़ाई/कशीदाकारी आधारित | 710 | 2356 |
| 7 | लकड़ी व लकड़ी के फर्नीचर आधारित | 992 | 2949 |
| 8 | कागज़ एवं कागज़ उत्पाद आधारित | 182 | 791 |
| 9 | चमड़ा आधारित | 867 | 2117 |
| 10 | रसायन एवं रसायन आधारित | 224 | 1242 |
| 11 | रबड़, प्लास्टिक एवं पैट्रो आधारित | 188 | 999 |
| 12 | खनिज़ आधारित | 1502 | 6732 |
| 13 | धातु आधारित | 1195 | 1481 |
| 14 | अभियान्त्रिकी आधारित | 550 | 1481 |
| 15 | बिजली मशीनरी एवं यातायात से संबंधित उपकरण / औजार आधारित | 169 | 693 |
| 16 | मरम्मत एवं सेवा आधारित | 1240 | 3482 |
| 17 | वृहद् एवं अन्य विविध औद्योगिक इकाईयां | 5340 | 25050 |
| कुल संख्या | | 14193 | 52946 |

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको, कोटा

तालिका संख्या— 6

औद्योगिक गतिविधियों का विवरण, कोटा—2012

| क्र. सं. | विवरण | संख्या |
|----------|---|--------|
| 1 | शहरी क्षेत्र में पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों/उद्यमों की संख्या | 14193 |
| 2 | औद्योगिक इकाईयों/उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या | 52946 |

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको, कोटा

2.6 (4) राजकीय

2.6 (4) अ सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय

वर्ष 1971 में कोटा नगर में सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत् 105 एकड़ (1.8%) क्षेत्र था, जो 2012 में बढ़कर 243 एकड़ हो गया, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 1.15% है। संभागीय आयुक्त एवं सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त कार्यालय, नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल कार्यालय, पुराना एवं नवनिर्मित नगर निगम कार्यालय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग कार्यालय, आयकर आयुक्त कार्यालय, रावतभाटा रोड़ पर दशहरा मैदान के समीप स्थित है। जिला कलकटर कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय, जिला एवं सेशन न्यायालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत वितरण निगम एवं जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय इत्यादि के कार्यालय नयापुरा क्षेत्र में स्थित हैं। नगर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाराँ सड़क पर स्थित है। पश्चिमी रेलवे का संभागीय कार्यालय माला रोड़ पर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। मुख्य डाकघर एवं टेलिफोन विभाग का मुख्य कार्यालय नयापुरा में स्थित है।

विगत् वर्षों में पटवार मण्डल का कार्यालय रावतभाटा सड़क पर नयागांव में एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का कार्यालय झालावाड़ सड़क पर ग्राम लखावा के समीप स्थापित हुए हैं।

वर्तमान में कोटा नगर में केन्द्र, राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय निकायों में कुल काम करने वालों की संख्या लगभग 43,773 है, जो कुल जनसंख्या का 4.37% है। वर्तमान में कई सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय निजी आवासीय भवनों एवं किराये के भवनों में चल रहे हैं। सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों की वर्ष 2012 की स्थिति को तालिका संख्या 7 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 7
सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय–कोटा 2012

| क्र. संख्या | कार्यालय के प्रकार | कुल कार्यालयों की संख्या | कर्मचारियों की संख्या |
|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|

| | | | |
|----------|--------------------------------|------------|--------------|
| 1 | केन्द्र सरकार | 27 | 18772 |
| 2 | राज्य सरकार | 280 | 13326 |
| 3 | अर्द्ध सरकारी (केन्द्र) | 85 | 3387 |
| 4 | अर्द्ध सरकारी (राज्य) | 82 | 5153 |
| 5 | स्थानीय निकाय | 08 | 3135 |
| | योग | 482 | 43773 |

2.6(4) ब सरकारी आरक्षित

वर्तमान में स्टेशन सड़क पर सेना परिसर स्थित है। इसके अलावा बाराँ सड़क पर शहरी पुलिस लाईन लगभग 20 एकड़ भूमि पर स्थित है। ग्रामीण पुलिस लाईन रेलवे लाईन के पूर्व एवं बाराँ सड़क के दक्षिण में बोरखेड़ा पुलिया के समीप स्थित है। रावतभाटा सड़क पर अकेलगढ़ एवं डेयरी के समीप आर.ए.सी. क्षेत्र स्थित है। नगर के पश्चिम में ग्राम शम्भूपुरा एवं डाबी सड़क पर पर्यावरण औद्योगिक क्षेत्र के मध्य सेना की फायरिंग रेन्ज स्थित है। सरकारी आरक्षित भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 5759 एकड़ है।

2.6 (5) आमोद-प्रमोद

वर्तमान में कोटा नगर में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत् कुल 510 एकड़ भूमि विकसित है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 2.40% है, जबकि 1971 में कुल विकसित क्षेत्र की 6.6% भूमि इसके अन्तर्गत् सम्मिलित थी। इसका प्रमुख कारण नगरी स्तर के आमोद-प्रमोद स्थल, खेल के मैदान एवं उद्यानों का पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं होना रहा है। नदी, जलाशयों, नहरों इत्यादि के कारण कोटा में कई प्राकृतिक सुन्दर स्थल हैं।

2.6 (5) अ उद्यान एवं खुले स्थल

कोटा में नगर के मध्य काफी पुराना छत्र विलास उद्यान स्थित है। नगर के विकास के साथ-साथ चम्बल उद्यान, गांधी उद्यान, ट्रेफिक गार्डन, भीतरिया कुण्ड उद्यान इत्यादि विकसित हुए हैं। विभिन्न योजनाओं में छोटे स्तर के कई उद्यान, पार्क इत्यादि नगर विकास न्यास एवं आवासन मण्डल एवं नगर निगम द्वारा विकसित किये गए हैं।

गत वर्षों में नगर विकास न्यास ने नगर के मध्य स्थित ऐतिहासिक छत्र विलास उद्यान, रंगबाड़ी बालाजी मन्दिर के आस-पास का जीर्ण-क्षीर्ण उद्यान, नेहरू उद्यान, गोपाल निवास बाग, नागा जी का बाग एवं कई स्थानीय पार्कों में रखरखाव एवं योजना बद्ध विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त चम्बल उद्यान, गांधी उद्यान, यातायात उद्यान, भीतरिया कुण्ड इत्यादि का समुचित रख-रखाव एवं योजनाबद्ध विकास प्रस्तावित है।

नगर के दक्षिण में खड़े गणेशजी मन्दिर के पास नगर स्तर के गणेश उद्यान परिसर का विकास कार्य नगर विकास न्यास द्वारा कराया जा रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 100 एकड़ है।

2.6 (5) ब स्टेडियम एवं खेल मैदान

कोटा नगर के मध्य छत्र-विलास उद्यान के समीप महाराव भीमसिंह स्टेडियम स्थित है, जहां पर गणतन्त्र दिवस एवं स्वतन्त्रता दिवस इत्यादि प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। महाराव भीमसिंह स्टेडियम के समीप ही राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान भी स्थित है। इसके समीप ही नगर विकास न्यास द्वारा तरणताल विकसित किया गया है। नये विकसित क्षेत्रों में रेलवे कॉलोनी, दादाबाड़ी, तलवण्डी, कुन्हाड़ी एवं नान्ता में स्थानीय स्तर के स्टेडियम एवं खेल मैदान स्थित हैं। वर्तमान में श्रीनाथमपुरम् क्षेत्र में नगर विकास न्यास स्टेडियम का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में भी खेल के मैदान उपलब्ध हैं।

2.6 (5) स अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

कोटा नगर के मध्य छत्र विलास उद्यान में उम्मेद क्लब स्थित है। सिविल लाईन्स एवं रेलवे कोलोनी में ऑफिसर्स क्लब तथा मिलिट्री क्षेत्र में क्लब स्थित है। गत वर्षों में कैथून सड़क पर एक निजी क्लब की स्थापना भी हुई है।

2.6 (5) द मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ

कोटा नगर में रावतभाटा सड़क पर ऐतिहासिक दशहरा मेला भरता है। इस मेले के साथ ही पशु मेला भी भरता है। दशहरा मेला, नगर एवं संभाग की जनता के लिये व्यावसायिक तथा पारिवारिक मनोरंजन का प्रमुख केन्द्र है। वर्तमान दौर में छोटे स्तर पर उद्योग मेला, गृह साज सज्जा सामग्री मेला, भवन निर्माण सामग्री एवं प्रोपर्टी व्यवसाय से सम्बन्धित मेले भी हर वर्ष आयोजित होने लगे हैं।

नगर के मध्य चम्बल नदी पर कोटा बैराज है, जिसके दक्षिण में विस्तृत जल-भराव क्षेत्र है। इसके अलावा चम्बल उद्यान से चम्बल नदी में नौकायान की सुविधा भी उपलब्ध है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। कोटा नगर में प्रमुखतया: गढ़ पैलेस, संग्रहालय, छत्र विलास तालाब एवं उद्यान, जग-मंदिर, कोटा-बैराज, कन्सुआ मंदिर, चम्बल उद्यान, भीतरिया कुण्ड, अधर-शिला, क्षार-बाग, अभेड़ा महल एवं तालाब इत्यादि प्रमुख पर्यटन आकर्षण के स्थल हैं। इसके अतिरिक्त कोटा सम्भाग एवं आसपास के क्षेत्र में सवाईमाधोपुर में बाध-अभ्यारण्य, रणथम्भौर किला एवं गणेश मन्दिर, बून्दी ज़िले में बून्दी नगर का सिटी पैलेस एवं भित्ती चित्र, रानी जी की बावड़ी, चौरासी खम्भों की छतरी एवं अन्य पर्यटन स्थल जैसे गेपरनाथ, चट्टानेश्वर, रामेश्वरम, मेनाल एवं भीमलत स्थित प्राकृतिक झरने, केशवरायपाटन में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के मंदिर एवं धाट, रावतभाटा में ऐतिहासिक बाड़ोली मन्दिर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं बाराँ ज़िले में सीताबाड़ी, भण्ड देवरा मन्दिर, शोरगढ़ अभ्यारण्य इत्यादि, कोटा ज़िले में दरा अभ्यारण्य जिसे मुकन्दरा हिल्स नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है तथा झालावाड़ ज़िले में ऐतिहासिक गागरोन किला, झालरापाटन में सूर्य मन्दिर, कोलवी की गुफायें, इत्यादि प्रमुख पर्यटन आकर्षण के स्थल हैं। उपरोक्त सभी स्थल कोटा नगर से लगभग 100–150 कि. मी. की परिधि में स्थित हैं।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत सन् 1971 में 950 एकड़ (16.5%) भूमि थी जो बढ़कर 2012 में लगभग 2810 एकड़ हो गई है, जो कि

कुल विकसित क्षेत्र का 13.24% है। अतः आबादी विस्तार के अनुपात में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम हुई है। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत् शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं सम्मिलित हैं।

2.6 (6) अ शैक्षणिक

कोटा नगर में वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय एवं जानकी देवी बजाज महिला महाविद्यालय कार्यरत हैं। उल्लेखित शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापन एवं विकास के कारण गत् दशक में कोटा नगर का स्वरूप औद्योगिक नगरी से शैक्षणिक नगरी के रूप में विकसित हुआ है।

नगर में निजी क्षेत्र में विगत् वर्षों में 1 विश्वविद्यालय झालावाड़ सड़क पर केवल नगर के समीप, 8 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 1 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनेक सामान्य एवं व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापित हुए हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र के 2 विश्वविद्यालय व भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (I.I.I.T.) रानपुर में तथा 1 कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा सड़क पर प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 53 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय / माध्यमिक विद्यालय एवं 356 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय / माध्यमिक विद्यालय हैं। वर्तमान में 151 राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक एवं निजी क्षेत्र में 247 प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। अधिकांश निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय किराये के भवनों में अपर्याप्त स्थानों पर संचालित हैं, जहाँ पर मापदण्डों के अनुरूप सुविधाओं का अभाव है।

विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र 2012 में प्रमुख विद्यालय परिसरों को ही दर्शाया गया है। वर्ष 2012 की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या 8 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या -8
शैक्षणिक संरचना-कोटा-2012

| क्र. सं. | शैक्षणिक स्तर (संख्या) | आयु वर्ग | आयु वर्ग में विद्यालय जाने योग्य बालक / बालिकाओं की संख्या (अनुमानित) | कुल पंजीकृत छात्र | कुल भर्ती विद्यार्थियों का शिक्षा योग्य बालक / बालिकाओं पर प्रतिशत | विद्यालय में औसत छात्रों की संख्या | विद्यालय की संख्या |
|----------|-------------------------------------|----------|---|-------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| 1 | प्राथमिक विद्यालय (1-5) | 5-10 | 25,122 | 23,363 | 93 | 132 | 191 |
| 2 | उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8) | 11-13 | 45,089 | 40,129 | 89 | 159 | 283 |
| 3 | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | 14-17 | 1,07,360 | 96,798 | 90.16 | 258 | 416 |
| | योग | - | 177571 | 160290 | - | 549 | 890 |

स्रोत: नगर नियोजन विभाग व कार्यालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, कोटा।

उपरोक्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के अतिरिक्त कोटा नगर में पिछले दशक में कई तकनीकी कोचिंग संस्थान विकसित हुए हैं, जिसमें अभियान्त्रिकी एवं चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग दी जाती है। इन कोचिंग संस्थानों में लगभग 80,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष कोचिंग प्राप्त करते हैं। इन संस्थानों में राजस्थान राज्य के अलावा अधिकांश राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, गुजरात एवं अन्य राज्यों से विद्यार्थी आते हैं। इसका प्रभाव कोटा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर भी पड़ा है, जिसके कारण विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उक्त कोचिंग संस्थानों का प्रभाव यहाँ की अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से हुआ है, अर्थव्यवस्था के उत्थान के फलस्वरूप नगर के महानगरीय स्वरूप की शुरूआत हुई है।

2.6 (6) ब चिकित्सा

कोटा नगर में राजकीय सामान्य अस्पताल नयापुरा क्षेत्र में स्थित है जो कि 'महाराव भीमसिंह अस्पताल' के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होने के पश्चात् महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध है। इसकी वर्तमान क्षमता 474 बिस्तर की है। इसी परिसर में जे.के.लोन महिला चिकित्सालय एवं टी.बी. अस्पताल भी है। इन सभी को मिलाकर महाराव भीमसिंह चिकित्सालय व संलग्न समूहों की कुल क्षमता 849 बिस्तर की है। मेडिकल कॉलेज से सबंद्ध 1000 बिस्तर का अस्पताल भी अस्तित्व में आ चुका है एवं आंशिक रूप से विभिन्न विभागों की 470 बिस्तर की क्षमता कार्यशील हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त रामपुरा सैटेलाइट चिकित्सालय, इ.एस.आई. अस्पताल, रेलवे अस्पताल एवं प्रथम श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय एवं एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों की कुल संख्या 28 है, जिनकी कुल क्षमता 208 बिस्तर की है। वर्तमान में कोटा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं यूनानी चिकित्सालयों की कुल संख्या 12 हैं, जिनकी कुल क्षमता 30 बिस्तर की है। पिछले दशक में प्रमुख निजी अस्पतालों में दादाबाड़ी क्षेत्र में भारत विकास परिषद अस्पताल कार्यरत् है एवं इसके अतिरिक्त नगर में लगभग 85 निजी नर्सिंग एवं मेटरनिटी होम कार्यरत् हैं। अधिकांश निजी नर्सिंग होम अपर्याप्त स्थल एवं अपर्याप्त सुविधाओं के साथ कार्यरत हैं।

कोटा संभाग के अन्तर्गत् बूद्धी, सवाई माधोपुर, बाराँ, झालावाड़ एवं कोटा जिला आते हैं। उक्त जिलों की अधिकांश जनता उच्चतर चिकित्सा सुविधाओं के लिये कोटा नगर पर निर्भर है। वर्ष 2012 की कोटा नगर की विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं को तालिका संख्या 9 में दर्शाया गया है :—

तालिका संख्या – 9
विद्यमान चिकित्सा सुविधाएँ–कोटा–2012

| क्र. सं. | चिकित्सालय / विलनिक | चिकित्सालय की संख्या | विस्तरों की संख्या | डाक्टरों की संख्या | नर्स व अन्य स्टॉफ की सं० |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | एलोपैथिक | | | | |
| (अ) | राज.सामान्य चिकित्सालय (चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध) | | | | |
| | (i) महाराव भीमसिंह चिकित्सालय | 1 | 474 | 35 | 484 |
| | (ii) जेठोको लोन व टी०बी० अस्पताल | 1 | 325 | 11 | 113 |
| | (iii) न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल | 1 | 470 | 80 | 280 |
| 2 | ई.एस.आई., रामपुरा सेटेलाइट अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधायें | 28 | 208 | 22 | 82 |
| 3 | राज.आयुर्वेदिक चिकित्सालय, युनानी चिकित्सालय एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय | 12 | 30 | 15 | 38 |
| 4 | निजी चिकित्सालय, मेटरनिटी होम, नर्सिंग होम इत्यादि | 86 | 1150 | 170 | 783 |
| | योग | 129 | 2657 | 333 | 1780 |

स्रोत: सी.एम.एच.ओ./विभिन्न चिकित्सालयों से प्राप्त आंकड़े।

2.6 (6) स सामाजिक / सांस्कृतिक

झालावाड़ सड़क पर नगर विकास न्यास कोटा द्वारा विकसित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं हेतु योजना में कई संस्थाएँ, जैसे कि इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स, लॉयन्स क्लब, करणी विकास समिति, मूक-बधिर छात्रावास, वृद्धाश्रम एवं विद्यालय तथा विभिन्न समाजों के सामुदायिक भवन एवं धार्मिक स्थल विकसित हो चुके हैं। नगर के दक्षिण में खड़े गणेश जी मन्दिर के निकट स्थित कबीर चौराहे के आस-पास भी विभिन्न समाजों के सामुदायिक भवन विकसित हुए हैं।

2.6 (6) द धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

नगर के मध्य चम्बल नदी के किनारे गढ़ पैलेस स्थित है। छत्र विलास तालाब के उत्तर में क्षार बाग में ऐतिहासिक छतरियां हैं। चम्बल नदी के पश्चिम में नान्ता ग्राम के समीप ऐतिहासिक अभेड़ा महल एवं तालाब स्थित है। थेकड़ा स्थित शिव मन्दिर, कोटा नगर के दक्षिण में रंगबाड़ी बालाजी एवं खड़े गणेशजी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इसके अतिरिक्त रावतभाटा सड़क पर गोदावरी धाम धार्मिक स्थल स्थित है। नगर के मध्य छत्र विलास तालाब में ऐतिहासिक जलमहल है। डी.सी.एम. सड़क पर कन्सुआ क्षेत्र में ऐतिहासिक प्राचीन (ई०पू० 700 वर्ष) शिव जी के मन्दिर का विकास कार्य भी किया गया है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है।

2.6 (6) य अन्य सामुदायिक सुविधायें

कोटा नगर में मनोरंजन के लिये वर्तमान में 9 छविगृह विद्यमान हैं, जिनमें से 1 स्टेशन सड़क पर, 1 नयापुरा चौराहे पर, 3 नगर के दक्षिण में ओम सिने प्लेक्स तथा 4 छविगृह झालावाड़ सड़क पर स्थापित सिटी मॉल में कार्यरत् हैं। इसके अतिरिक्त 2 छविगृह बंद हैं एवं एरोड्राम चौराहा स्थित छविगृह की भूमि पर 1 मल्टीप्लेक्स निर्माणाधीन है।

नगर में एक राजकीय सम्भागीय स्तर की लाईब्रेरी, सूचना केन्द्र नयापुरा में राजकीय महाविद्यालय के समीप स्थित है। नगर में 2 संग्रहालय हैं, जो छत्र विलास उद्यान एवं गढ़ पैलेस में स्थित हैं। विश्राम गृह एवं डाक बंगला स्टेशन सड़क पर स्थित हैं। नगर का प्रमुख डाक एवं तार कार्यालय नयापुरा में स्थित है। नगर में कई होटल एवं धर्मशालाएँ हैं। नगर में आर.टी.डी.सी. का ट्यूरिस्ट होटल छत्रविलास उद्यान के बीच में स्थित है, जबकि सिंचाई विभाग का विश्राम गृह किशोरपुरा क्षेत्र में स्थित है। नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा नगर की विभिन्न आवासीय योजनाओं में 21 सामुदायिक भवन निर्मित किये गये हैं। नगर निगम कोटा द्वारा भी 32 सामुदायिक भवन निर्मित किये गये हैं, जिसमें से 12 भवन एवं परिसर सामुदायिक सुविधाओं के लिए उपलब्ध हैं एवं अन्य सेक्टर कार्यालय, औषधालय, हैल्पलाइन, विद्यालय इत्यादि उपयोग में आ रहे हैं।

इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं एवं समाजों तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा भी विभिन्न सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है।

2.6 (6) र जनोपयोगी सुविधायें

पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जल-मल निस्तारण की व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें हैं। अतः नगर के विस्तार के साथ-साथ इनका उचित प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

2.6 (6) र (i) जल आपूर्ति

कोटा नगर चम्बल नदी के किनारे स्थित है अतः नगर में पेयजल की आपूर्ति का स्रोत चम्बल नदी है। बैराज से बाई एवं दाई मुख्य नहर निकल रही है। दाई मुख्य नहर नगर के मध्य से कन्सुआ औद्योगिक क्षेत्र के समीप निकल रही है। अतः कोटा नगर में कृषि, औद्योगिक एवं घरेलु जल आपूर्ति की पर्याप्त क्षमता है। इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल एवं हैण्डपम्प भी जल वितरण के मुख्य स्रोत हैं। चम्बल नदी के किनारे बैराज एवं इसका बड़ा जलाशय अकेलगढ़ में स्थित है। नगर का प्रमुख जल आपूर्ति केन्द्र अकेलगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। वर्तमान में अकेलगढ़ में स्थित संचयन की पीने योग्य पानी वितरण करने की वास्तविक आपूर्ति 251 एम.एल.डी. एवं वांछित आपूर्ति 269 एम.एल.डी. है।

अकेलगढ़ जल आपूर्ति केन्द्र की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। नगर के दक्षिण में गत 10 वर्षों में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कई आवासीय योजनाएँ विकसित की गई हैं, जिनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अभी तक जल आपूर्ति विकसित नहीं की जा सकी है। इस क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा विकसित कुछ योजनाओं में ट्यूबवेल से सप्लाई की जा रही है। नगर के दक्षिण में महावीर नगर, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में जल आपूर्ति का पर्याप्त दबाव नहीं है।

वर्तमान में चम्बल नदी के पश्चिम में हुए नगरीय विस्तार की आवश्यकता के दृष्टिगत चम्बल नदी के पश्चिमी किनारे पर कोटा बैराज के जलाशय से इन्टेकवेल, सकतपुरा जल आपूर्ति केन्द्र एवं यहां से जलापूर्ति नेटवर्क की वृहद

परियोजना विकासरत है। नगर में लगभग 85% आबादी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में औसत जल आपूर्ति 240 लीटर प्रतिब्यक्ति प्रतिदिन है। नगर में जल वितरण पाईप लाईन की कुल लम्बाई 1257 कि.मी. है। इसके अतिरिक्त नगर में जल आपूर्ति हेतु 1116 हैण्डपम्प, 90 ट्रॉफॉल, 23 ओवरहेड टैंक एवं 13 सी.डब्ल्यू.आर हैं। ओवरहेड टैंक एवं सी.डब्ल्यू.आर की कुल भराव क्षमता लगभग 325 लाख लीटर है। वर्ष 2012 के कोटा के जलापूर्ति कनेक्शनों को तालिका संख्या 10 में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या - 10
जलापूर्ति कनेक्शन-कोटा-2012

| क्र. संख्या | मद | कनेक्शनों की संख्या |
|-------------|----------------|---------------------|
| 1 | घरेलू | 158122 |
| 2 | व्यावसायिक | 4017 |
| 3 | औद्योगिक | 1227 |
| 4 | अन्य | 831 |
| | कुल योग | 164197 |

स्रोत : जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, कोटा

2.6 (6) र (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

वर्तमान में कोटा में पर्यावरण की दृष्टि से एवं चम्बल को प्रदूषण से बचाने हेतु यह महसूस किया गया कि सीवरेज व्यवस्था विकसित की जावे ताकि जल-मल का उचित स्थल पर निस्तारण हो सके। नगर के पुराने भाग में आंशिक रूप से शुष्क शोचालय भी स्थित है, जिन्हे अधिकांशतः फ्लश लेट्रिन में परिवर्तित कर दिया गया है। नई योजनाओं में सेप्टिक टैंक युक्त फ्लश लेट्रिन हैं। नगर के आंशिक भाग में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित सीवेज व्यवस्था से बिना ट्रीटमेंट किये हुये सीवेज का सीधे ही सामुदायिक सेप्टिक टैंक, खुली भूमि अथवा नालों में निस्तारण हो रहा है। है। वर्तमान में कोटा नगर में व्यक्तिगत रूप से सेप्टिक टैंक बनाकर मल निस्तारण की व्यवस्था का प्रचलन है।

कोटा के दक्षिण में भूमि चट्टानी है जहां नई कॉलोनियों का विकास हो रहा है। इसके अतिरिक्त चम्बल के सिंचाई क्षेत्र में बारां सङ्क पर स्थित निचली भूमियों पर भी कॉलोनियाँ विकसित हो चुकी हैं। जिनमें जल-मल निकास की समस्या

गंभीर है। शहर के पुराने भाग में शुष्क शौचालय भी बने हुए है। कोटा क्षेत्र का सामान्य ढलान उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर है। नगर की अनुकूल भौतिक परिस्थितियों के बावजूद नगर के कई क्षेत्रों की जल निकास व्यवस्था सही नहीं है एवं खुली नालियों से पानी बहता हुआ चम्बल नदी में प्रवाहित होता है।

विगत् वर्षों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा नगर के अधिकांश भाग को सम्मिलित करते हुए समन्वित सीवरेज योजना तैयार की गई है। प्रथम चरण में एशियन विकास बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण द्वारा नगर के उत्तरी भाग में सीवरेज नेटवर्क विकसित किया गया है। वर्तमान में नगर विकास न्यास द्वारा द्वितीय चरण में चम्बल नदी के दोनों किनारों पर स्थित नगर के भाग एवं आंशिक दक्षिणी भाग को एन.आर.सी.पी. योजना के तहत एवं नगर के शेष दक्षिणी भाग को यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

इस परियोजना के तहत कोटा नगर में साजीदेहड़ा नाले के समीप एवं ग्राम धाकड़खेड़ी के समीप 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गये है, जो कि अभी कार्यरत् नहीं हुये हैं। चम्बल नदी के पश्चिम में नगरीय विस्तार की आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम बालिता के निकट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य निर्माणरत् है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से सीवेज का ट्रीटमेंट के उपरान्त ही निस्तारण किया जायेगा।

वर्तमान में कोटा नगर में ठोस कचरे के निस्तारण हेतु नगर से दूर थेकड़ा एवं डाबी सड़क पर स्थल चिह्नित हैं। नगर में घरों से निकलने वाले कूड़ा-करकट के संग्रहण एवं निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था नहीं है। लोगों द्वारा सड़क पर ही कूड़ा डाला जाता है जिसका समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है। फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता है। डम्पिंग स्थलों पर संग्रहित कूड़ा-करकट अवांछित स्थलों पर ही निस्तारित कर दिया जाता है।

2.6 (6) र (iii) विद्युत

कोटा नगर में चम्बल नदी के पश्चिम में 1240 मेगावॉट का सुपर थर्मल पॉवर प्लाण्ट है। समीपवर्ती जिलों में यथा झालावाड़ में कालीसिंध पॉवर प्रोजेक्ट, बारां

जिले में छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट तथा अडानी पॉवर प्लान्ट, वर्तमान में विकसित किये जा रहे हैं एवं आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं।

कोटा नगर के निकट मुख्य पन विद्युत उत्पादन केन्द्र राणाप्रताप सागर, गांधी सागर एवं जवाहर सागर बांध स्थित है। कोटा के समीप ही रावतभाटा में एटॉमिक पॉवर स्टेशन है। कोटा नगर से लगभग 49 कि.मी. की दूरी पर अन्ता कस्बे में गैस आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र एन.टी.पी.सी. भी है। निजी क्षेत्र के छोटे बायोमॉस पॉवर प्लांट नगर में रंगपुर के समीप तथा सवाईमाधोपुर जिले में उनियारा एवं बारां जिले में छीपाबड़ौद में स्थापित हैं, जो कि कचरे/भूसे से बिजली का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार वर्तमान में कोटा एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों से कुल 4600 मेगावॉट विद्युत उत्पादन हो रहा है, जो कि वर्ष 2015 तक बढ़ कर 8000 मेगावॉट होना विकासरत् है।

कोटा नगर में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वर्तमान व्यवस्था का रख-रखाव एवं वितरण किया जाता है। नगर में विद्युत आपूर्ति का मुख्य स्रोत सकतपुरा एवं बारां सङ्क पर डायरा स्थित दो 220/132 के.वी. विद्युत केन्द्र एवं महावीर नगर, गोपाल मिल, वृहद् औद्योगिक क्षेत्र स्थित तीन 132 केवी विद्युत केन्द्र हैं।

इनके अतिरिक्त नगर में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग बीस 33 केवी विद्युत उप केन्द्र कार्यरत्/निर्माणाधीन हैं। रानपुर में 220/132 केवी विद्युत केन्द्र प्रस्तावित है। वर्ष 2001 में कोटा नगर में विद्युत कनेक्शन एवं औसत प्रतिदिन विद्युत उपभोग को तालिका संख्या 11 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या – 11 विद्युत कनेक्शन एवं उपभोग – 2012–कोटा

| क्र.सं. | मद | कनेक्शन | प्रतिदिन उपयोग (लाख यूनिटों में) |
|---------|---------------------------|----------|----------------------------------|
| 1 | घरेलू | 2,20,976 | 11.64 |
| 2 | औद्योगिक | 5,035 | 13.73 |
| 3 | सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था | 482 | 0.67 |
| 4 | अन्य | 55,780 | 14.34 |
| | योग | 2,82,273 | 40.38 |

स्रोत : जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंग, कोटा।

2.6(6) र (iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में कोटा नगर में श्मशान एवं कब्रिस्तान स्वेडली फाटक, भदाना, छावनी, विज्ञान नगर, नयापुरा, कुन्हाडी, शवदाह घाट की गली, चम्बल रेस्ट हाउस के पास, केशवपुरा, सुभाष नगर, कन्सुआ, लाडपुरा, रंगतालाब व काला तालाब के मध्य स्थित हैं। इनमें से अधिकांशतः श्मशान एवं कब्रिस्तान चम्बल नदी के किनारे एवं नालों पर स्थित हैं। विगत् कुछ वर्षों में कई श्मशानों एवं कब्रिस्तानों पर सुविधाएं विकसित की गई हैं।

2.6 (7) परिसंचरण

2.6 (7) अ यातायात व्यवस्था

वर्तमान में जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 एवं पिण्डवाडा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-27 नगर के मध्य से होकर गुजर रहे हैं एवं इनके बाईपास निर्माणाधीन / प्रस्तावित हैं। बाईपास नहीं होने के कारण नगर के मध्य एकमात्र दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली स्टेशन सड़क पर स्थानीय यातायात एवं भारी यातायात का काफी दबाव है। फलस्वरूप नगर में यातायात, दुर्घटना एवं प्रदूषण संबंधित समस्यायें बहुतायत से उत्पन्न हो रही हैं। यह सड़क स्थानीय यातायात के लिए अपर्याप्त है। साथ ही सड़क के इर्द-गिर्द नगर की प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां होने के कारण इस सड़क से भारी यातायात ले जाना उचित नहीं है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-52 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के बाईपास हेतु शीघ्र व्यवस्था की जाये।

गत् वर्षों में उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु झालावाड सड़क को दक्षिण में नदी पार कर बून्दी सड़क से जोड़ते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का बाईपास का कार्य निर्माणाधीन है। उक्त बाईपास हेतु चम्बल नदी पर नया गाँव के समीप पुल का निर्माण कार्य जारी है। उपरोक्त बाईपास के निर्माण से दक्षिण दिशा से आने वाला समस्त यातायात सीधे ही बून्दी सड़क की ओर निकल जायेगा एवं नगर में विद्यमान् स्टेशन सड़क को यातायात के वर्तमान् दबाव से राहत मिलेगी।

कोटा का प्रभाव क्षेत्र चम्बल सिंचित क्षेत्र में होने के कारण आसपास के क्षेत्रों जिसमें मुख्यतया: दारी मुख्य नहर एवं बारी मुख्य नहर से जुड़े क्षेत्र से कृषि उत्पाद कोटा नगर के घने विकसित क्षेत्र से होता हुआ औद्यौगिक क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मण्डी (भामाशाह मण्डी) तक आता है। साथ ही बाराँ सड़क जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग-27 है, से भारी यातायात झालावाड़ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-52) की तरफ नगर के मध्य घने विकसित क्षेत्र से होकर गुजरता था। उक्त यातायात नगर की वर्तमान स्टेशन सड़क पर से गुजरने के कारण यहाँ पर यातायात की काफी समस्यायें थीं। अतः बाराँ सड़क से आने वाले कृषि उत्पादों के भारी यातायात को सीधे कृषि उपज मण्डी ले जाने एवं अन्य भारी यातायात को सीधे झालावाड़ सड़क पर ले जाने हेतु मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित एक बाह्य सड़क निर्मित की गई है। दक्षिणी बाईपास सड़क को बाराँ सड़क से झालावाड़ सड़क व रावतभाटा सड़क के मध्य का भाग निर्मित हो चुका है, जिससे भारी यातायात का आवागमन शुरू होने से नगर में यातायात समस्याओं से आंशिक राहत मिली है।

नगर के मध्य स्थित स्टेशन सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए रेलवे लाइन के समानान्तर स्टेशन से औद्यौगिक क्षेत्र तक सड़क निर्मित की गयी है। इस सड़क के निर्माण से नगर के उत्तरी व दक्षिणी भाग में स्थित औद्यौगिक क्षेत्र के बीच सीधा सम्पर्क उपलब्ध हो सका है, जिससे कि बाराँ सड़क से आने वाला यातायात भी इस मार्ग का उपयोग कर सीधे दक्षिण में स्थित औद्यौगिक क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी तक जा सकता है। अतः इस उप प्रमुख सड़क के निर्माण से नगर के मध्य स्थित स्टेशन सड़क पर यातायात के दबाव में कमी आयी है।

पिण्डवाडा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-27) का वर्तमान एलाइनमेन्ट चम्बल नदी के पश्चिम में काफी घुमावदार एवं विकसित क्षेत्र के मध्य से होकर है। साथ ही इसका राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर मिलान बिन्दु चम्बल पुलिया के मुहाने पर लघु कोण के घुमाव पर है। अतः उक्त सड़क के एलाइनमेन्ट में परिवर्तन करते हुए नगर विकास न्यास द्वारा ग्राम नान्ता के पश्चिम से सीधा ही बृद्धी सड़क पर मिलाने का कार्य विकासरत् है। दक्षिणी

बाईपास के पूर्णतया विकसित होने तक यह सड़क नगर के भारी यातायात समस्या में राहत प्रदान करेगी। नयापुरा से राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के वर्तमान मार्ग पर स्थित चम्बल पुल के दोहरीकरण का कार्य निर्माणाधीन है। इस पुल पर से राज्य राजमार्ग-52 का समस्त भारी यातायात गुजरता है एवं नगरीय यातायात में बाधाएँ एवं लकावटें उत्पन्न करता है। अतः यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। रावतभाटा सड़क (राज्य राजमार्ग-33) नगर के मध्य से निकल रही है।

झालावाड़ सड़क के अतिरिक्त नगर की अन्य प्रमुख सड़कों में डी.सी.एम. रोड, रावतभाटा रोड, रंगबाड़ी रोड, जहां पर स्थानीय यातायात का भारी दबाव है। इसके अतिरिक्त कोटड़ी चौराहे से बजरंग नगर को जोड़ने के लिए L-आकार के फ्लाईओवर का निर्माण भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। किशोरपुरा दरवाज़ा पुराने नगर एवं नये विकसित क्षेत्रों को जोड़ने वाला नगर कोट का एक महत्वपूर्ण दरवाज़ा है। यातायात को सुनियोजित करने हेतु किशोरपुरा सड़क से किशोरपुरा गेट के पश्चिम से गढ़ पैलेस तक 2 लेन एलिवेटेड सड़क बनायी गई है। साथ ही सूरजपोल दरवाजे के पास स्थित गुमानपुरा पुलिया को चौड़ी करने का कार्य भी किया गया है। इससे पुराने नगर एवं नये विकसित क्षेत्रों के बीच आवागमन सुचारू हुआ है।

कोटा नगर का विस्तार मुख्यतया: उत्तर-दक्षिण दिशा में हो रहा है, जिससे रेलवे स्टेशन से कोटा नगर के दक्षिण में विकसित योजनाओं की दूरी 15-16 कि.मी. से भी अधिक हो गई है। अतः विभिन्न आवासीय क्षेत्रों एवं कार्यस्थलों से, रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन की दूरी निरन्तर बढ़ती जा रही है, जो कि परिसंचरण की दृष्टि से उचित नहीं है। पुराने नगर में गलियां काफी सकड़ी हैं व टेढ़ी-मेढ़ी है, जिसके कारण यातायात अवरुद्ध होता है। पुराने नगर की तुलना में नई विकसित बस्तियों में सड़के अपेक्षाकृत अच्छे स्तर की बनी हुई हैं। नगर के पुराने हिस्सों में गलियों/सड़कों की चौड़ाई प्रायः 5 फीट से 10 फीट के बीच है तथा कोई निश्चित सड़क व्यवस्था नहीं है। रामपुरा बाजार, बजाजखाना, घन्टाघर, पुरानी सब्जीमंडी, शास्त्री मार्केट, इन्द्रामार्केट, इत्यादि जगहों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे इन क्षेत्रों में भीड़भाड़ रहती है एवं व्यस्त समय में

वाहनों का निकलना दूभर हो जाता है। वर्तमान में नगर विकास न्यास के विशेष प्रयासों द्वारा पुराने शहर में पार्किंग व्यवस्था एवं सम्पर्क सुधार हेतु विकास कार्य किये जा रहे हैं।

2.6 (7) ब बस तथा ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में बस अड्डा नयापुरा क्षेत्र में चम्बल पुलिया के समीप कार्यरत् है, जो कोटा के बढ़ते विकास को देखते हुए बहुत छोटा एवं असुविधाजनक है। इस बस स्टैण्ड के प्रवेश मार्ग पर चम्बल पुलिया से तेज घुमाव होने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग -12 एवं 27 पर स्थित होने की वजह से यहां पर यातायात की बहुत समस्या रहती है। इस क्षेत्र में निजी बसों एवं जीपों के संचालन से यातायात समस्या और भी गम्भीर हो रही है। विद्यमान बस अड्डे के पहुंचमार्ग पर चम्बल पुलिया से तेज घुमाव होने के कारण यहां पर यातायात समस्याँ पैदा होती हैं, साथ ही उक्त भूमि पर बस अड्डा के विस्तार हेतु भी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित करने हेतु मास्टर प्लान में डी.सी.एम. सड़क पर प्रस्तावित स्थल पर नगर विकास न्यास की लगभग 3 एकड़ भूमि पर नया बस अड्डा निर्माणरत् है।

नगर विकास न्यास, कोटा के द्वारा झालावाड़ सड़क पर यातायात नगर विकसित किया गया है, किन्तु वहां पर परिवहन व्यवसाय अभी तक पूर्ण रूप से स्थानान्तरित नहीं होने के फलरूपरूप उक्त गतिविधियां नगर के मध्य से मुख्यतः डी.सी.एम. सड़क पर भी आंशिक रूप से संचालित हो रही हैं, जिससे नगर में यातायात सम्बन्धी अनेक समस्याएँ पैदा हो रही हैं।

2.6 (7) स रेल एवं हवाई सेवा

कोटा, दिल्ली-मुम्बई बड़ी रेलवे लाईन पर एक प्रमुख जंक्शन है। मुख्य रेलवे स्टेशन नगर के उत्तर में स्थित है। नये विकसित क्षेत्रों की सुविधा के दृष्टिगत डकनिया रेलवे स्टेशन विकसित किया गया है, जहां पर कुछ ट्रेनों का ठहराव होता है। कोटा हवाई अड्डा स्थल पर पर्याप्त भूमि एवं हवाई पट्टी भी उपलब्ध नहीं है। नगर के मध्य में स्थित होने के कारण आसपास विकसित हो चुके

आवासीय क्षेत्रों में दुर्घटना की भी संभावनाएँ भी बनी रहती है। वर्तमान में यहां से नियमित वायु-सेवा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

2.7 गत् मास्टर प्लान (2001–2023) प्रस्ताव व वर्तमान विकास की समीक्षा

राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उप धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2001 को अधिसूचना जारी कर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को कोटा का नया मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया। कोटा के मास्टर प्लान हेतु 64 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गयी जिसके अन्तर्गत कुल 125000 एकड़ भूमि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल थी। कोटा प्रारूप मास्टर प्लान–2023 का प्रकाशन दिनांक 12.09.2003 को किया जाकर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। इसके आधार पर कोटा मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर कोटा मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 15.04.2005 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

वर्ष 2023 के प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुसार कोटा का विकसित क्षेत्र 32821 एकड़ प्रस्तावित किया गया था, जिसमें आवासीय 14877, वाणिज्यिक 1802, औद्योगिक 4860, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय 490, आमोद-प्रमोद 2150, सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक 4142 एवं परिसंचरण 4500 एकड़ प्रस्तावित था।

कोटा मास्टर प्लान – 2023 में वर्ष 2011 की जनसंख्या 10,00,000 तथा क्षितिज वर्ष 2023 की जनसंख्या 15,00,000 अनुमानित की गयी थी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10,01,365 है। अतः वर्ष 2011 में नगर की जनसंख्या में अनुमान स्वरूप वृद्धि हुई है, परन्तु नगर का विस्तार प्रस्तावित सीमाओं से अधिक दूरियों तक हुआ है।

वर्ष 2001 के विद्यमान भू-उपयोग के अनुसार कोटा नगर का कुल विकसित क्षेत्र 15800 एकड़ था, जिसमें से आवासीय 6549, वाणिज्यिक 750, औद्योगिक

2858, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय 209, आमोद-प्रमोद 404, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 2030 एवं परिसंचरण 3000 एकड़ था। वर्ष 2012 के विद्यमान भू-उपयोग के अनुसार कोटा का विकसित क्षेत्र 21221 एकड़ है, जिसमें आवासीय 9304, वाणिज्यिक 1170, औद्योगिक 4050, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय 243, आमोद-प्रमोद 510, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 2810 एवं परिसंचरण 3134 एकड़ है।

यह आँकड़े दर्शाते हैं कि पिछले दशक में कोटा में समस्त भू-उपयोगों के अन्तर्गत काफी वृद्धि हुई है। आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। नगर की भौतिक सीमाओं का विस्तार आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं संस्थागत उपयोगों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 एवं 27, राज्य राजमार्ग संख्या 33 एवं 51 तथा सभी प्रमुख व मुख्य सड़कों पर काफी दूरी तक हुआ है। अतः स्पष्ट है कि नगर के विकास के फलस्वरूप निर्मित हुए रंगपुर एवं प्रेम नगर रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे कॉलोनी अण्डर पास, डीसीएम नहर के ऊपर पुल के कारण नगरीय सड़क सम्पर्कों ने भौतिक एवं भौगोलिक बाधाओं को काफी हद तक दूर कर दिया है, जिसके फलस्वरूप रेलवे लाइन के पार के क्षेत्रों का मुख्य धारा से जुड़ाव हो सका है। वर्तमान में बून्दी सड़क एवं माला फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज तथा चम्बल नदी पर स्थित पुल का दोहराकरण का कार्य निर्माणरत् है एवं शीघ्र ही पूर्ण होना सम्भावित है। जिसके फलस्वरूप चम्बल पार के क्षेत्रों तथा रेलवे लाइन के उत्तर के क्षेत्रों का भी नगर से सुगम सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टैण्ड मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित किये जा रहे हैं एवं यातायात नगर विकसित किया जाकर आंशिक रूप से स्थानान्तरित किया जा चुका है।

समानुपातिक रूप से रिहायशी उपयोगों का विस्तार नहीं होने के कारण नगर का आवासीय घनत्व करीब 107 व्यक्ति प्रति एकड़ है। पुराने नगर की बसावट अत्यधिक घनी व तंग हो चुकी है, जहाँ आवासीय घनत्व कहीं-कहीं 500 व्यक्ति प्रति एकड़ से भी अधिक है।

कोचिंग संस्थाओं के समीपवर्ती एवं प्रभाव क्षेत्रों में तथा नयापुरा से स्टेशन के मध्य आवासीय मांग से बढ़ी हुई जमीन की दरों और घटते हुए रिहायशी भवनों

की सुविधा के कारण नगर में जीवन यापन काफी मंहगा हो गया है। इसके फलस्वरूप कृषि भूमि पर कई नियमित / अनियमित आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हो गईं, जिनमें से नगर विकास न्यास की योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं में समन्वित नियोजन का ध्यान न रखकर अनियोजित एवं अव्यवस्थित रूप से नये निर्माण हो रहे हैं। इस दौरान कृषि भूमि पर कई आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हो गईं। बून्दी सड़क एवं बारां सड़क के इर्द-गिर्द नगरीय विकास का दबाव रहा है।

ट्रांसपोर्ट, वाहन रिपेयर, भवन निर्माण सामग्री व अन्य भारी सामानों के बाजारों से नगर में भारी यातायात उत्पन्न होता है। शेष वाणिज्यिक विकास सड़कों के सहारे –सहारे पतली पट्टी के रूप में हुआ है। कई व्यावसायिक गतिविधियाँ तंग क्षेत्रों में स्थित हैं, जो यातायात को अवरुद्ध करती हैं। नगर में उचित यातायात प्रबन्धन नहीं है।

यह स्पष्ट है कि कोटा नगर के नियोजित भावी विकास हेतु यह आवश्यक है कि अन्य भू-उपयोगों के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का उचित अनुपात में विकास किया जावे। विगत् वर्षों में जो निजी भूमियों पर आवासीय विकास हुआ है वह अधिकांशतः अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। योजनाओं में उचित चौड़ाई की सड़कों एवं पार्क इत्यादि सुविधाओं का अभाव है। आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, नाली, बिजली, पानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं। उचित जल निकासी नहीं है। अतः यह अपेक्षित है कि भविष्य में आवासीय योजनायें निर्धारित मानदण्डों की पालना करते हुए विकसित हों। वाणिज्यिक विकास भी योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। पार्किंग का अभाव है, जिससे शहर में यातायात की समस्या बढ़ रही है। अतः यह आवश्यक है कि भविष्य में वाणिज्यिक क्षेत्र पर्याप्त पार्किंग प्रावधान के साथ विकसित हो।

कोटा नगर के पूर्व मास्टर प्लान में उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये थे एवं मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नगर विकास न्यास व विभिन्न विभागों द्वारा किया जाना था, परन्तु अनेक कारणों से नगर का पूर्णरूपेण नियोजित विकास नहीं हो पाया है।

वर्तमान में कोटा के नगरीय विकास के विस्तार एवं कोटा मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र की सीमा में आस-पास के ग्रामों के शामिल होने से इन क्षेत्रों में अनियोजित विकास पर नियंत्रण व नियोजित विकास की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया गया है। उपरोक्त बदली हुई परिस्थितियों एवं उभरती हुई समस्याओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि नगरीय सीमा में सम्मिलित सम्पूर्ण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिये नया मास्टर प्लान तैयार किया जाये। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान मास्टर प्लान-2023 की मध्यावधि में ही पुनः नया मास्टर प्लान बनवाये जाने का निर्णय लिया गया एवं कोटा मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2031 के लिये तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु कुल आधार जनसंख्या 2011 में 10,01,365 है एवं क्षितिज वर्ष 2031 की जनसंख्या 21,00,000 अनुमानित की गयी है। नगर नियोजन विभाग के निर्देशन में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा ‘आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा’ के माध्यम से कोटा शहर का मास्टर प्लान-2031 तैयार किया गया है।

इस मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 मानते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10(3)नविवि/3/80 पार्ट-1 दिनांक 04/09/2013 द्वारा कुल 119 राजस्व ग्रामों (कोटा ज़िले के 108 राजस्व ग्राम एवं बूँदी ज़िले के 11 राजस्व ग्राम) को शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल 119 राजस्व ग्राम कोटा मास्टर प्लान 2031 की नगरीय सीमा बनाते हैं। तालिका संख्या 12 में वर्ष 2001 व वर्ष 2012 के विद्यमान भू-उपयोग एवं कोटा मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित भू-उपयोग 2023 को तुलनात्मक रूप से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 12
भू-उपयोग समीक्षा, कोटा – 2001, 2012, 2023

| क्र. सं. | भू-उपयोग | विद्यमान भू-उपयोग 2001 | | विद्यमान भू-उपयोग 2012 | | मास्टर प्लान 2001–2023 में प्रस्तावित भू-उपयोग–2023 क्षेत्रफल (एकड़ में) | |
|----------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| | | क्षेत्रफल (एकड़ में) | विकसित क्षेत्र का प्रतिशत | क्षेत्रफल (एकड़ में) | विकसित क्षेत्र का प्रतिशत | क्षेत्रफल (एकड़ में) | विकसित क्षेत्र का प्रतिशत |
| 1 | आवासीय | 6549 | 41.45 | 9304 | 43.84 | 14877 | 45.33 |
| 2 | वाणिज्यिक | 750 | 4.75 | 1170 | 5.51 | 1802 | 5.49 |
| 3 | औद्योगिक | 2858 | 18.08 | 4050 | 19.09 | 4860 | 14.81 |
| 4 | राजकीय | 209 | 1.32 | 243 | 1.15 | 490 | 1.49 |
| 5 | आमोद–प्रमोद | 404 | 2.56 | 510 | 2.40 | 2150 | 6.55 |
| 6 | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक | 2030 | 12.85 | 2810 | 13.24 | 4142 | 12.62 |
| 7 | परिसंचरण | 3000 | 18.99 | 3134 | 14.77 | 4500 | 13.71 |
| | कुल विकसित क्षेत्र | 15800 | 100.00 | 21221 | 100.00 | 32821 | 100.00 |
| 8 | जलाशय | 1042 | — | 1391 | — | 1280 | — |
| 9 | कृषि एवं पौधशालाएँ | 423 | — | 365 | — | 1543 | — |
| 10 | अन्य रिक्त एवं अर्द्धविकसित भूमियाँ | 990 | — | 3283 | — | — | — |
| 11 | सरकारी आरक्षित | 1595 | — | 5759 | — | 1715 | — |
| 12 | राख निस्तारण | 1150 | — | 861 | — | 1150 | — |
| | नगरीयकरण/ नगरीकृत क्षेत्र | 21000 | — | 32880 | — | 38509 | — |

स्रोत : नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार सर्वेक्षण एवं अनुमान

3

नियोजन की संकल्पना

नियोजन की संकल्पना

मानव के समूह में एक साथ रहने की कला सभ्यता का एक सूचकांक रही है। हालांकि पूर्व काल से ही सामाजिक गतिविधियाँ, पूजा-अर्चना, भोजन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान हेतु मानव स्वार्थ समाहित होते रहे हैं तथा नगरों की स्थापना अपनी आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति का सर्वोच्च स्थल रहा है, जो उपयोग एवं उपभोग स्थल बना रहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आने वाली समस्याओं का निराकरण प्रमुख ध्येय हो गया है।

किसी भी समुदाय के लिये भूमि एक प्राथमिक संसाधन है, जो सीमित है। अतः भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियंत्रण के लिये भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है ताकि समुदाय के लिये उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके। आर्थिक गतिविधियों एवं भू-उपयोग का सामंजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिये नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकता है।

भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विकास निर्णय करने का प्रयास करती है और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना करती है। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिये जाते हैं तो दिन-प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के संदर्भ में विचार कर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढाँचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धांतों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धांतों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है।

इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिये निश्चित् मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएँ निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। अतः उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। कोटा नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियां

कोटा संभागीय मुख्यालय है। प्रमुख रेल व सड़क मार्गों से जुड़े कोटा नगर के आस-पास का क्षेत्र भी विभिन्न आर्थिक, भौगोलिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाओं से युक्त है। यह क्षेत्र चम्बल विकास योजना से निरन्तर लाभान्वित हो रहा है, इसलिये कोटा नगर के भावी विकास की कल्पना कृषि समृद्ध क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में की गयी है। कोटा नगर का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के काउन्टर मैग्नेट नगर चयनित होने से भी विकास की सम्भावनाएँ बढ़ी हैं। एशियन विकास बैंक के सहयोग से ढांचागत विकास हेतु भी कोटा नगर का चयन किया गया है। अतः विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए भविष्य में कोटा औद्योगिक, शैक्षणिक व सामाजिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित होना निश्चित है।

3.2 नियोजन के सिद्धांत

मास्टर प्लान बनाने के लिये वर्तमान विशेषताओं एवं उक्त नीतियों के अध्ययन पर आधारित नियोजन के सिद्धांत बनाये गये हैं –

1. कोटा नगर के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्य केन्द्र उचित मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाना चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिये आकृष्ट हों।
2. नये क्षेत्रों को इस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए कि नये क्षेत्रों एवं पुराने नगर में उचित सामाजिक एवं भौतिक सामंजस्य रहे।
3. सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास नगर में उचित रूप से वितरण करते हुए किया जाना चाहिए।
4. नये आमोद-प्रमोद के स्थानों को विकसित करते समय यथा सम्भव सांस्कृतिक, प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों एवं जलाशयों के निकट के स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।
5. सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थित किये जाने चाहिए कि उन्हें आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो और वे मुख्य मार्गों पर स्थित हों।
6. वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि नगर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रतिदिन आवागमन की आवश्यकता न पड़े। नये वाणिज्यिक केन्द्र नये आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु सही स्थातियों में विकसित किये जाने चाहिए। इससे नगर के पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में भीड़ कम होगी।
7. औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्यक्षेत्र होते हैं, वायु की दिशा के अनुसार स्थित किये जाने चाहिए, ताकि वे आस-पास की आबादी, जल स्रोतों व पर्यावरण को दूषित न करें।

8. नगर के विभिन्न पथों और मार्गों के समुचित उपयोग करने हेतु यातायात संरचना में बहुस्तरीय व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय नगरी यातायात से मिश्रित नहीं होने दिया जाना चाहिए एवं इस हेतु बाईंपास का प्रावधान किया जाना चाहिए।
9. प्राकृतिक तालाबों एवं पर्यटन आकर्षण के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास किया जाना चाहिए।
10. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रों को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, कार्यक्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिये विस्तृत योजनाएँ तैयार की जानी चाहिये।
11. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल-मल निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि ढाँचागत विकास हेतु विस्तृत योजनाएँ तैयार की जानी चाहिये।
12. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र होना चाहिए, जिससे अच्छे पर्यावरण की प्राप्ति के साथ, अव्यवस्थित विकास की प्रक्रिया रुक सके।
13. हाड़ौती क्षेत्र आर्थिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाओं से भरपूर है। अतः कोटा नगर के मास्टर प्लान के अलावा क्षेत्रीय विकास योजना भी तैयार की जानी चाहिए, ताकि कोटा नगर का काउण्टर मैग्नेट के रूप में उचित विकास हो सके।
14. परकोटे के भीतर के क्षेत्रों एवं पुराने क्षेत्रों में जहां सड़कें संकड़ी हैं एवं यातायात की समस्या है, वहां पर नई निर्माण स्वीकृति देते समय/पुर्णनिर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों से थोक वाणिज्यिक गतिविधियों को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए, ताकि परकोटे के भीतर एवं पुराने क्षेत्र में यातायात की समस्या में कमी हो। महत्वपूर्ण सड़कों को

भूमि अधिग्रहण कर चौड़ा किया जाना चाहिए। साथ ही यहां पर यातायात प्रबन्धन भी किया जाना चाहिए।

15. राष्ट्रीय राजमार्ग-52 एवं 27 नगर के मध्य से गुजर रहे हैं एवं वर्तमान सड़क पर भावी यातायात एवं नगरी यातायात का अत्यधिक दबाव है। अतः मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप बाईपास एवं वैकल्पिक समानान्तर सड़क विकसित की जानी आवश्यक है।
16. कोटा संभाग में 5 ज़िले, क्रमशः कोटा, बून्दी, बाराँ, झालावाड़ एवं सवाई माधोपुर आते हैं, जो कि प्रशासनिक व वाणिज्यिक इत्यादि आवश्यकताओं के लिये कोटा पर निर्भर हैं। इनमें से कोटा, बून्दी, बाराँ, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अतः समुचित विकास हेतु क्षेत्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए।
17. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र डायर्वर्ट करने के लिये पर्याप्त मार्ग निर्धारित करने होंगे। विशिष्ट प्रकार के थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर, भण्डारण एवं गोदाम, पथर स्टॉक भारी यातायात आमंत्रित करते हैं। उनके लिये घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
18. कोटा नगर के मध्य से काफी नाले गुजर रहे हैं, जिनके किनारे नाले की भूमि एवं अन्य राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण कर कच्ची बस्तियाँ विकसित हो गई हैं। अतः नाले की भूमि से अतिक्रमणों को हटाकर नाले की भूमि की सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिए। नालों के दोनों ओर रिटेनिंग वाल बनाई जानी चाहिए एवं नालों के क्षेत्र में आ रही कच्ची बस्तियों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए।
19. कोटा नगर के दक्षिण में पठारी क्षेत्र में भूमि पर तेज ढलान है एवं इस क्षेत्र के नाले कोटा नगर के मध्य से गुजर रहे हैं। अतः दक्षिणी पठारी क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से यह समस्त पानी कोटा नगर के मध्य नालों से गुजरता हुआ चम्बल नदी में मिलता है। हालांकि इसे नियन्त्रित करने के उपाय जैसे डायवर्जन चैनल का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं द्वितीय चरण का निर्माण विकासरत् है। इसके अतिरिक्त अन्य उपायों

जैसे चेक डेम व अन्य डायवर्जन चेनल योजना विकसित की जानी चाहिए। साथ ही बाढ़ की स्थिति से बचाव हेतु नालों के अतिक्रमण हटाने चाहिए एवं केचमेन्ट क्षेत्र में पुराने तालाबों की मरम्मत एवं नये तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि दक्षिणी पठार में वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो।

20. कोटा नगर में अवांछित क्षेत्रों में ईंट भट्टे चल रहे हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या है। अतः इन समस्त ईंट भट्टों को बाहरी क्षेत्र में परिधि नियंत्रण पट्टी में उचित स्थल पर योजनाबद्ध रूप से स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
21. कोटा नगर अवांछित क्षेत्रों में पत्थर का व्यवसाय हो रहा है, जिससे भारी यातायात आबादी क्षेत्र में आमंत्रित होता है। अतः इन पत्थर स्टॉकों को योजनाबद्ध रूप में उचित स्थल पर पत्थर मण्डी के रूप में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
22. कोटा नगर का दशहरा मेला ऐतिहासिक महत्व का है। यह मेला नगर के बीचों बीच स्थित दशहरा मैदान के नाम से विख्यात एक खुले परिसर में आयोजित किया जाता है। विगत् वर्षों में दशहरा मैदान में अवांछित निर्माणों एवं अतिक्रमणों से दशहरा मैदान का स्वरूप बिगड़ा है, अतः इसे सुरक्षित रखने हेतु गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।
23. अनौपचारिक व्यावसाय हेतु योजनाओं में उचित प्रावधान रखा जाना आवश्यक है, ताकि सड़कों पर थड़ियों के रूप में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर रोक लगे एवं यातायात में सुधार हो।
24. कच्ची बस्तियाँ, जो नियमन योग्य नहीं हैं, उन्हें उचित स्थल पर पुनर्वासित किया जाना चाहिए। जो कच्ची बस्तियाँ नगर की बेशकीमती भूमि पर बसी हुई हैं, उन्हें अन्यत्र पुनर्वासित कर भूमि का उचित उपयोग किया जाना चाहिए।
25. योजनाओं में छोड़े गए पार्कों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया

जाना चाहिए। नालों के सहारे जो भूमि विकास योग्य नहीं है, उन पर भी सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

26. कोटा गत दशकों में उच्च तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश हेतु कोचिंग के लिये सम्पूर्ण भारत के लिये एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। इस विकास के फलस्वरूप देश भर से हजारों विद्यार्थी कोटा अध्ययन हेतु आते हैं। अतः इसके शैक्षणिक केन्द्र के रूप में विकास हेतु पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का नियोजित ढंग से विकास किया जाना चाहिए जिससे नगर के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है।
27. कोटा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काउण्टर मैग्नेट नगर के रूप में चयनित है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना बोर्ड के समन्वयन से राजधानी क्षेत्र के समकक्ष आधारभूत व जन सुविधाएँ विकसित की जानी चाहिए।
28. कोटा में औद्योगिक वातावरण हेतु सभी आधारभूत सुविधायें, यथा रेल, सड़क, वायु परिवहन, पानी, विद्युत व पर्याप्त उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। अतः गत दशकों में बंद हुई औद्योगिक इकाईयों को पुनः स्थापित करने एवं नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।
29. हाइवे/अन्य डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र – राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अनियन्त्रित/अनियोजित विकास पर नियन्त्रण रखने एवं नियोजित रूप देने हेतु नगरीय करण योग्य सीमा के बाहर राजमार्गों एवं धर्मपुरा जाने वाली सड़क व रंगपुर सड़क के दोनों तरफ नगरीय क्षेत्र सीमा तक 500 मी० की गहराई तक का हाइवे डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र प्रस्तावित किया जाये। इस क्षेत्र हेतु अलग से मापदण्ड बनाकर इस क्षेत्र का विकास किया जाये जिससे कि राजमार्गों एवं उक्त दोनों मुख्य सड़कों के सहारे नियन्त्रित एवं नियोजित विकास सम्भव हो सके। आवश्यकता अनुरूप इस क्षेत्र की पृथक से योजना भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
30. ग्रोथ सेन्टर – कोटा से झालावाड मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर दक्षिणी दिशा में राजमार्ग के दोनों ओरवन विभाग की भूमि होने के कारण नगरीय विकास की निरन्तरता नहीं रहेगी। परन्तु दक्षिण में स्थित रानपुर

ग्राम में रीको द्वारा औद्योगिक एवं संस्थानिक क्षेत्र तथा नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय एवं संस्थानिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। नियोजन की दृष्टि से आवश्यकता है कि रानपुर स्थित विकास को एक ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उद्योगों एवं अन्य नगरीय गतिविधियों की स्थापना कर रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए।

31. शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर- कोटा नगर के पूर्व में स्थित राजस्व ग्राम शम्भूपुरा एवं इसके निकटवर्ती रामपुरिया राजस्व ग्राम में बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है। नगर विकास न्यास द्वारा जिसे विस्तृत विकास योजना बनाकर ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जाना उचित होगा।
32. कोटा नगर चम्बल सिंचित क्षेत्र का एक भाग है। जहाँ जल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता है, साथ ही विशिष्ट श्रेणी की कृषि उपज मण्डी भी स्थित है। हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय भी प्रस्तावित है, अतः कृषि आधारित उद्योगों एवं अन्य गतिविधियों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए।
33. नगर के विस्तार की तीव्र गति एवं निरन्तर बढ़ती वाहनों की संख्या, पार्किंग स्थलों की कमी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए यातायात एवं परिसंचरण सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। इस योजना में रिंग रोड, बी.आर.टी.एस, मोनो रेल, वैकल्पिक रेलवे स्टेशन इत्यादि सभी बिन्दुओं पर विस्तृत एवं तार्किक प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए।
34. कोटा नगर के समीप स्थित दरा अभ्यारण को राष्ट्रीय अभ्यारण का दर्जा दिया गया है। कोटा के आस-पास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 जो कि ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर का एक भाग है कोटा से होकर गुजरता है, अतः भविष्य में नगर में पर्यटन विकास की अपार सम्भावना है। अतः पर्यटन मार्स्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए एवं पर्यटन विकास हेतु जन सहभागिता से विशेष कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

35. लगातार गिर रहे भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए निजी उपयोगों हेतु भू-जल दोहन को निरुत्साहित किये जाने के लिये कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
36. नगर स्तरीय जल संसाधन प्रबंधन हेतु विभिन्न विभागों के एकीकृत प्रयासों से जल प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए एवं साथ ही जल पुनर्मरण एवं जल संरक्षण के उपायों जैसे चैक डेम, डायर्वर्जन चैनल, एनीकट इत्यादि के प्रस्ताव दिये जाने चाहियें।
37. नगरीय भू-उपयोग योजना में इनफोरमल वाणिज्यिक क्षेत्रों के प्रस्ताव उचित मात्रा में दिये जाने चाहिए, जिससे की सड़कों के मार्गाधिकार में अस्थायी अतिक्रमणों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे एवं सुगम यातायात उपलब्ध हो सके।
38. आवासीय योजनाओं में धार्मिक स्थलों का प्रावधान रखा जाना चाहिए, जिससे कि धार्मिक स्थलों के अवैध रूप से निर्माण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।
39. औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे गैर-औद्योगिक उपयोगों जैसे आवासीय, शैक्षणिक इत्यादि को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।
40. नगर के बढ़ते आकार एवं महानगरीय स्वरूप को देखते हुये पशुधन एवं आवारा जानवरों के संरक्षण / विस्थापन / प्रबंधन हेतु उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
41. अभी तक नगरीय विस्तार का आकार रेखीय प्रकृति का रहा है। गत दशक में निर्मित हुये/निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिजों के फलस्वरूप नगर भौतिक एवं भौगोलिक बाधाओं के बन्धनों से मुक्त होगा। अतः बून्दी सड़क एवं बारां सड़क की निजी कृषि भूमियों पर नगरीय विस्तार को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। अतः इन क्षेत्रों में नियोजन की दृष्टि से उचित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुये नगरीय विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
42. मास्टर प्लान कोटा -2031 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित सभी योजना क्षेत्रों को जोड़ते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत ‘क्षेत्र

आधारित विकास’ एवं ‘संपूर्ण नगर विकास’ योग्य क्षेत्र में विभिन्न प्रावधानों को समाहित करने हेतु उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

4

भावी आकार

भावी आकार

4.1 जनांकिकी

वर्ष 1951 से 2011 तक पिछले 60 वर्षों के दौरान कोटा नगर की जनसंख्या 65,107 से 15 गुना से अधिक बढ़कर 10,01,365 हो गई, जो कि द्रुत नगरी विकास का अपने आप में उदाहरण है। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में कोटा नगर की जनसंख्या वृद्धि दर में अपेक्षाकृत काफी कमी आई थी।

इस दौरान कोटा नगर की वृद्धि दर 29.21% आंकी गई। इसका प्रमुख कारण नगर के प्रमुख उद्योगों का बन्द रहना, नगर के आकार में वृद्धि होने के साथ-साथ विकास में परिपक्वता माना जा सकता है किन्तु कोटा नगर की प्रशासनिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक महत्ता के कारण कोटा नगर दिल्ली महानगर का काउण्टर मैग्नेट नगर होने के कारण कोटा नगर की गत दशक 2001–2011 में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ कर 44.83% रही है।

अतः आगामी दशकों 2011–2021 व 2021–2031 के लिये कोटा नगर की वृद्धि दर क्रमशः 43.80% एवं 45.83% अनुमानित की गई है। यह अनुमान है कि वर्ष 2031 तक कोटा नगर की जनसंख्या लगभग 21 लाख तक पहुँच जायेगी।

वर्ष 1901 से 2031 तक कोटा नगर की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को तालिका संख्या 13 में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या – 13
जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, कोटा – 1901–2031

| वर्ष | जनसंख्या | अन्तर | वृद्धि-दर (%) |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| 1901 | 33 ,657 | – | – |
| 1911 | 32,753 | -904 | -2.69 |
| 1921 | 31,707 | -1,046 | -3.19 |
| 1931 | 37,876 | + 6,169 | +19.46 |
| 1941 | 47,339 | +9,463 | +24.98 |
| 1951 | 65,107 | +1,776 | +37.53 |
| 1961 | 1,20 ,345 | +55 ,238 | +84.84 |
| 1971 | 2,12 ,991 | +92 ,646 | +76.98 |
| 1981 | 3 ,58 ,241 | +145 ,250 | +68.20 |
| 1991 | 5 ,37 ,371 | +1 ,79 ,130 | +50.00 |
| 2001 | 6 ,94 ,316 | +1 ,56 ,945 | +29.21 |
| 2011 | 10 ,01 ,365 | +3 ,07 ,049 | +44.22 |
| *2021 | 14 ,40 ,000 | +4 ,38 ,635 | +43.80 |
| *2031 | 21,00,000 | +6,60,000 | +45.83 |

स्रोत: भारतीय जनगणना, नगर नियोजन विभाग व सलाहकार अनुमान

* अनुमानित

4.2 व्यावसायिक संरचना

प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना विगत् प्रवृत्तियों, प्रशासनिक एवं जन सांरिक्षकी विशेषताओं व विभिन्न आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के विकास की सम्भावनाओं के आधार पर ज्ञात की गयी है। वर्ष 2001 एवं 2011 में कोटा नगर में सहभागिता अनुपात क्रमशः 25.32% एवं 26.30% था। यह अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2031 तक कोटा नगर में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात लगभग 30% होगा एवं कुल काम करने वालों की संख्या लगभग 6,30,000 होगी। क्षितिज वर्ष 2031 की अनुमानित व्यावसायिक संरचना में यह अनुमान लगाया गया है कि नगर की औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जबकि कृषि खनन एवं सहायक गतिविधियों में कमी आएगी। अतः उद्योगों में कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 21.50% अनुमानित की गयी है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि नगर के विकास के साथ निर्माण, व्यापार व वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। अतः निर्माण में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 9.50% एवं

व्यापार व वाणिज्य में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 22% अनुमानित किया गया है। वर्ष 2031 की व्यावसायिक संरचना को तालिका संख्या 14 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या - 14

व्यावसायिक संरचना-कोटा-2031

| क्र.सं. | व्यवसाय | काम करने वालों की संख्या | प्रतिशत |
|---------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियाँ | 25,200 | 4.00 |
| 2 | उद्योग | 1,35,450 | 21.50 |
| 3 | निर्माण | 59,850 | 9.50 |
| 4 | व्यापार व वाणिज्य | 1,38,600 | 22.00 |
| 5 | परिवहन | 63,000 | 10.0 |
| 6 | अन्य सेवाएँ | 2,07,900 | 33.0 |
| | योग (प्रतिशत) | 6,30,000 | 100.0 |

सहभागिता अनुपात 30 प्रतिशत

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान।

4.3 नगरीय क्षेत्र

कोटा नगर का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के सपष्टित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु सं. (10) के अन्तर्गत् 119 राजस्व ग्रामों को कोटा के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 1,98,000 एकड़ है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 119 राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट-5 पर दी गयी है। साथ ही राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27.12.2001 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.02.10 एवं 13.08.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित 'कोटा मास्टर प्लान, 2023 (पार्ट) के रूप में कैथून मास्टर प्लान, 2023 के नगरीय क्षेत्र' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2023 को अधिसूचना दिनांक 04.08.14 द्वारा अनुमोदित कर दिया है। अधिसूचना परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-6 पर दी गयी है। अतः इन क्षेत्रों में भू-उपयोग कैथून मास्टर प्लान, 2023 के प्रस्तावों के अनुसार मान्य रहेंगे।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

क्षितिज वर्ष 2031 में कोटा नगर की जनसंख्या नगर नियोजन विभाग के अनुसार 21 लाख होने का अनुमान है, अर्थात् 2011 की जनसंख्या में लगभग 11 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी। इस प्रकार कोटा नगर में प्रतिवर्ष लगभग 55 हजार व्यक्तियों की वृद्धि होगी। इन व्यक्तियों के लिए रहने, कार्य करने, आमोद-प्रमोद स्थल, अन्य सामुदायिक दायित्व हेतु सार्वजनिक स्थल के लिये भूमि की व्यवस्था स्पष्ट करनी होगी। कोटा नगर के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के विस्तार की सम्भावना का निर्धारण करते वक्त वर्तमान भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य एवं उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया।

नगर के उत्तर में चम्बल नदी एवं रेलवे लाईन के कारण विकास की सम्भावनाएँ सीमित हैं। कोटा नगर का कुल औसत नगर घनत्व लगभग 24 व्यक्ति प्रति एकड़ के अनुमान से वर्ष 2031 तक नगर के भावी नगरीय विकास हेतु लगभग 86,961 एकड़ नगरीयकरण योग्य भूमि की आवश्यकता होगी अर्थात् पूर्व मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग 48,452 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। नगर का अधिकांश भावी विकास नगर के पूर्व में रेलवे लाईन व बाईपास के मध्य, बाराँ सड़क के उत्तर में तथा नगर के पश्चिम में बून्दी सड़क के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में एवं दक्षिण दिशा में रावतभाटा सड़क व झालावाड़ सड़क के मध्य लखावा एवं रानपुर क्षेत्र में होने की सम्भावना है।

नगर की अनुमानित जनसंख्या (21 लाख व्यक्तियों) को उचित आधार पर बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, आमोद-प्रमोद क्षेत्रों आदि गतिविधियों का प्रावधान करते हुए इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ने हेतु यह अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न भू-उपयोगों के लिये लगभग 86,961 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र

भविष्य में होने वाले विकास की दृष्टि से कोटा नगर के नगरीय क्षेत्र को ग्यारह योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। विद्यमान विशेषताओं, आर्थिक गतिविधियों के लिये प्रस्तावित अवस्थितियों, प्राकृतिक अवरोधों, अन्य भौतिक विशेषताओं एवं गतिविधियों के पारस्परिक सम्बन्धों को ध्यान में रखकर मास्टर

प्लान-2023 में प्रस्तावित विभिन्न योजना क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए मास्टर प्लान-2031 के योजना क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र आवासीय, वाणिज्यिक सुविधाओं, आमोद-प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं आदि में आत्मनिर्भर होगा। विस्तृत नियोजन के लिये योजना क्षेत्र को सेक्टर प्लान के माध्यम से विभाजित कर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जावेगा। मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत् एवं इसके बाहर प्रस्तावित नये क्षेत्र सहित वर्ष 2031 हेतु योजना क्षेत्र एवं उनके कुल क्षेत्रफल को तालिका संख्या 15 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या – 15
योजना क्षेत्र-कोटा-2031

| जोन | योजना क्षेत्र | योजना क्षेत्र मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत् | शेष योजना क्षेत्र मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् | कुल योजना क्षेत्र |
|-------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | क्षेत्रफल (एकड़ में) | क्षेत्रफल (एकड़ में) | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
| (अ) | पटकोटा नगर योजना क्षेत्र | 600 | .. | 600 |
| (ब) | बून्दी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र | 6,665 | 11,810 | 18,475 |
| (स) | बून्दी सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र | 1,095 | 8,404 | 9,499 |
| (द) | उम्मेद भवन योजना क्षेत्र | 4,200 | .. | 4,200 |
| (य) | बारां सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र | 4,200 | 9,156 | 13,356 |
| (र) | बारां सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र | 3,000 | 6,777 | 9,777 |
| (ल) | कन्सुआ (औद्योगिक) योजना क्षेत्र | 6,275 | 1,685 | 7,960 |
| (व) | दादाबाड़ी योजना क्षेत्र | 3,700 | .. | 3,700 |
| (ह) | संगबाड़ी योजना क्षेत्र | 8,774 | 638 | 9,412 |
| (ष) | रानपुर योजना क्षेत्र | .. | 10,582 | 10,582 |
| | कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र | 38,509 | 49,052 | 87,561 |
| (त्र) | परिधि नियन्त्रण योजना क्षेत्र | 48,621 | 61,818 | 1,10,439 |
| | कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र | .. | | 1,98,000 |

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार का आंकलन।

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर दर्शाया गया है, जिसमें राजस्व ग्रामों की सीमाएँ, विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र- 2012, मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं वर्ष 2031 के लिये प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाएँ भी दर्शित हैं। प्रथम दस योजना क्षेत्र कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को दर्शाते हैं, जबकि अन्तिम योजना क्षेत्र परिधि नियन्त्रण क्षेत्र को दर्शाता है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डीबी० सिविल रिट पीटीशन नं० 1554/2004 के अन्तर्गत हुए निर्णय एवं तदनुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक प10(44) नविवि /३/२००९ पार्ट ॥ दिनांक 25/07/2017 के तहत कोटा शहर का मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को अग्रिम आदेश तक यथावत् रखा जाना है। अतः इस योजना क्षेत्र में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर वर्तमान में कोई निर्णय नहीं किया गया है। राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत इन आपत्ति/सुझावों पर कार्यवाही की जावेगी। मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित भूउपयोग, मास्टर प्लान-2023 के अनुरूप, राज्य सरकार के अग्रिम निर्देशों अथवा क्षितिज वर्ष 2023, जो भी पहले हो तक मान्य होंगे। तत्समय इस क्षेत्र की भूउपयोग योजना का पुनःरीक्षण किया जायेगा।

(अ) परकोटा नगर योजना क्षेत्र :

परकोटा नगर योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 600 एकड़ है जोकि मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में स्थित है ।

इसके अन्तर्गत् अधिकांश पुराने विकसित क्षेत्र हैं। उत्तर में लाडपुरा से दक्षिण में किशोरपुरा दरवाजे तक सम्पूर्ण विकसित क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में आता है। छत्र विलास जलाशय एवं नहर इसकी पूर्वी सीमा एवं चम्बल नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। यह नगर का केन्द्र बिन्दु है, जहां पर नगर स्तर की कई व्यावसायिक गतिविधियां स्थित हैं। कोटा नगर के अन्दर मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र लाडपुरा से टिपटा तक, जिसमें लाडपुरा बाजार, रामपुरा, बाजार, बर्तन बाजार,

बजाजखाना, घण्टाघर (किराना एवं सर्टफ), अग्रसेन बाजार (किराना, शक्कर, तेल इत्यादि का थोक व्यापार), शास्त्री मार्केट (रेडीमेड गारमन्ट्स), इन्द्रा बाजार, गढ़ पैलेस एवं ऐतिहासिक पुराने मन्दिर इसी योजना क्षेत्र में स्थित हैं। यह क्षेत्र नगर का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। इस योजना क्षेत्र में लगभग 250 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रही है। यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ नगर की व्यावसायिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बना रहेगा।

(ब) बून्दी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र :

यह योजना क्षेत्र चम्बल नदी के पश्चिम में एवं कोटा-बून्दी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-12) के दक्षिण में स्थित है। इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत् लगभग 6,665 एकड़ व शेष मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 11,810 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है। अतः इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 18,475 एकड़ है।

इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 की भू उपयोग योजना के अन्तर्गत् थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। इसी योजना क्षेत्र में ऐतिहासिक अभेड़ा महल एवं तालाब स्थित हैं, जहाँ पर्यटन विकास की सम्भावनाएँ हैं। इस योजना क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री (मुख्यतः पत्थर मण्डी) मण्डी स्थित है। उक्त पत्थर मण्डी के समीप ही पर्यावरण मैत्री आवासीय योजना भी स्थित है। ट्रक टर्मिनल एवं भण्डारण व गोदामों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गए हैं। इस योजना क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट का राख निस्तारण क्षेत्र होने के कारण यहाँ राख पर आधारित उद्योगों हेतु दीको द्वारा एक ‘पर्यावरण औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापित किया गया है। इस योजना क्षेत्र में अभेड़ा तालाब के निकट वन विभाग की भूमि पर ‘बायोलॉजीकल पार्क’ विकसित किये जाने के प्रस्ताव हैं।

मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल में भारतीय सेना के लिये आरक्षित भूमि पर सेना की फायरिंग रेंज विद्यमान है। वर्तमान में नगर विकास न्यास एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा इस क्षेत्र में कई आवासीय योजनाएँ विकसित की जा रही हैं। राजस्व ग्रामों शम्पूरा

एवं रामपुरिया में तथा इनके निकट बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है। ग्राम रामपुरिया में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना भी प्रस्तावित है। अतः नगर विकास न्यास द्वारा शम्भूपुरा एवं रामपुरिया को ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जहाँ आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक इत्यादि योजनायें विकसित करने के प्रस्ताव हैं। इस योजना क्षेत्र में हवाई अड्डे हेतु स्थल आरक्षित किया गया है।

(स) बून्दी सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र :

यह योजना क्षेत्र चम्बल नदी के पश्चिम में एवं कोटा-बून्दी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-12) के उत्तर में स्थित है। इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत् लगभग 1,095 एकड़ व शेष मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 8,404 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है। अतः इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 9,499 एकड़ है।

इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 की भू उपयोग योजना के अन्तर्गत् नान्ता कृषि फार्म एवं अनुसंधान केन्द्र, न्यास द्वारा स्थापित हर्बल पार्क एवं चम्बल पार के क्षेत्रों के लिये ग्राम बालिता के समीप सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट स्थापित है। बून्दी सड़क के सहारे पर्यटन सुविधाओं हेतु स्थल प्रस्तावित हैं। केशोराय पाटन सड़क (मेगा हाईवे -1 ए) के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कई आवासीय योजनायें विकासरत हैं। इस योजना क्षेत्र में न्यास द्वारा राज्य सरकार की अफोर्डेबल आवास योजना के तहत् नगर के निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने हेतु लगभग 800 आवास निर्मित किये जा रहे हैं। मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल में स्थित ग्राम गिरधर पुरा ग्राम गोरधनपुरा एवं ग्राम बड़गांव की भूमियों पर भी निजी क्षेत्र की कई आवासीय योजनायें प्रस्तावित हैं। अतः यह योजना क्षेत्र सन् 2031 तक नगर की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति में मुख्य योगदान देगा।

(द) उम्मेद भवन योजना क्षेत्र :

यह योजना क्षेत्र पश्चिम में चम्बल नदी, पूर्व में रेलवे लाईन, दक्षिण में तालाब एवं नहर के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,200 एकड़ है जोकि मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में स्थित है। परकोटे के उत्तर में स्थित इस क्षेत्र में सिविल लाईन, स्टेशन सड़क, उम्मेद भवन, सेना परिसर, कलेक्ट्रेट, न्यायालय परिसर, मुख्य चिकित्सालय एवं मुख्य शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय स्थित हैं। इसी योजना क्षेत्र में ऐतिहासिक छत्र विलास तालाब एवं छत्र विलास उद्यान, संग्रहालय, कलादीर्घा, नेहरू गार्डन, गोपाल बाग, नागाजी का बाग, क्षारबाग, अग्रेजों का कब्रिस्तान एवं स्टेडियम स्थित हैं। नगर का यह भाग अपने स्थापत्य सौन्दर्य एवं हरियाली भरे वातावरण से नगर को गौरव एवं शीतलता प्रदान करता है। इस योजना में लगभग 1,232 एकड़ भूमि आवासीय भू-उपयोग हेतु उपलब्ध होगी। यह क्षेत्र आवासीय, व्यावसायिक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्रीय स्थान बना रहेगा। नगर का मुख्य रेलवे स्टेशन व बस स्टेण्ड इसी योजना क्षेत्र में स्थित होने से आवागमन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण योजना क्षेत्र है।

(च) बाराँ सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में रेलवे लाईन के पूर्व, एवं कोटा बाराँ सड़क के उत्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र स्थित है। इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत् लगभग 4,200 एकड़ व शेष मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 9,156 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है। अतः इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13,356 एकड़ है।

इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 की भू उपयोग योजना के अन्तर्गत् रेलवे कॉलोनी एवं रेलवे वर्कशॉप स्थित है। इस योजना क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कई आवासीय योजनाएं विकासरत् हैं। इस योजना क्षेत्र में कई बहुमंजिला आवासीय परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं। कृषि अनुसंधान केन्द्र बोरखेड़ा भी इसी योजना क्षेत्र में स्थित है। बोरखेड़ा स्थित रेलवे ओवर ब्रिज, विगत् दशक में निर्मित रंगपुर रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे कॉलोनी अण्डर पास, निर्माणाधीन दक्षिणी

बाईं पास रेलवे ओवर ब्रिज एवं प्रस्तावित उत्तरी बाईपास के कारण यह योजना क्षेत्र अधिक गतिविधियों वाला क्षेत्र रहेगा।

मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल में मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 4,065 एकड़ भूमि आवासीय भू-उपयोग हेतु उपलब्ध होगी। इस योजना क्षेत्र में चन्द्रेसल स्थित सरकारी भूमि पर न्यास द्वारा योजनाएँ विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी इस क्षेत्र में योजनाएँ विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना क्षेत्र में थोक फल एवं सब्जी मण्डी, गंदे पानी के लिए ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट एवं संस्थानिक क्षेत्र एवं अन्य नगरीय भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं।

(र) बाराँ सङ्क क दक्षिणी योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में रेलवे लाईन के पूर्व, एवं कोटा बाराँ सङ्क के दक्षिण व दार्यों मुख्य नहर के उत्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र स्थित है। इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत् लगभग 3,000 एकड़ व शेष मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 6,777 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है। अतः इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 9,777 एकड़ है।

इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 की भू उपयोग योजना के अन्तर्गत् विगत् वर्षों में निजी क्षेत्र की कई शिक्षण संस्थाएँ स्थापित हुई हैं। इस योजना क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कई आवासीय योजनाएँ विकासरत है। इस योजना क्षेत्र में कई बहुमंजिला आवासीय परियोजनाएँ भी निर्माणाधीन है। इस योजना क्षेत्र में वृहद श्रेणी का उद्योग सेमकोर इण्डस्ट्रीज (वर्तमान में बन्द) एवं वृहद स्तरीय गोदाम एवं भण्डारण स्थित है। बोरखेड़ा स्थित रेलवे ओवर ब्रिज, विगत् दशक में निर्मित डी.सी.एम. के समीप नहर पर पुल, निर्माणाधीन दक्षिणी बाईपास एवं प्रेमनगर रेलवे ओवर ब्रिज के कारण इस योजना क्षेत्र में नगरीय विस्तार की गतिविधियाँ अधिक रहेंगी।

मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल में लगभग 2,910 एकड़ भूमि आवासीय भू-उपयोग हेतु उपलब्ध होगी। नगर का मुख्य सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट कैथून

सड़क के दक्षिण में स्थित है। इस योजना क्षेत्र में उम्मेदगंज फार्म के समीप संस्थानिक क्षेत्र विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना क्षेत्र में थोक फल एवं सब्जी मण्डी, गोदाम एवं भण्डारण एवं स्टेडियम हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। आमोद-प्रमोद हेतु नगर स्तर का उद्यान एवं अन्य नगरीय उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना भी इसी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित है।

इस दौरान कोटा मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कैथून नगर पालिका क्षेत्र का प्रारूप मास्टर प्लान भी प्रकाशित हो चुका है। कैथून मास्टर प्लान के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुये इस योजना क्षेत्र की कैथून सड़क के दोनों ओर प्रस्ताव दिये गये हैं।

(ल) कन्सुआ (औद्योगिक) योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में झालावाड़ सड़क के पूर्व एवं दायीं मुख्य नहर के दक्षिण का सम्पूर्ण क्षेत्र स्थित है। इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत् लगभग 6,275 एकड़ व शेष मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 1,685 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है। अतः इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7,960 एकड़ है।

इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 की भू उपयोग योजना के अन्तर्गत् नगर के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे श्रीराम उद्योग समूह, जे.के. उद्योग समूह (वर्तमान में बन्द) मल्टीमेटल्स, इन्सट्रूमेन्टेशन लि. इत्यादि स्थित है। डी.सी.एम. सड़क पर रीको ढारा विकसित औद्योगिक एस्टेट व चम्बल औद्योगिक क्षेत्र झालावाड़ सड़क पर इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त इस योजना क्षेत्र में नई धानमण्डी, थोक फल एवं सब्जीमण्डी, मोटर मार्केट एवं ट्रान्सपोर्ट गतिविधियां स्थित हैं। इस योजना क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियां जैसे कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आई.टी.आई. इत्यादि भी स्थित है। इस योजना क्षेत्र में प्रमुख कोचिंग संस्थाएँ भी विकसित हुई हैं। इसी योजना क्षेत्र में झालावाड़ सड़क पर कई सामुदायिक एवं सार्वजनिक संस्थाएँ विकसित हैं। यह योजना क्षेत्र मुख्यतः औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा। इस

योजना क्षेत्र के अन्तर्गत् दक्षिण में झालावाड़ सड़क एवं रेलवे लाईन के मध्य औद्योगिक क्षेत्र, वेअर हाउसिंग एवं गोदाम व ट्रान्सपोर्ट नगर प्रस्तावित किये गए हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत् न्यास द्वारा स्वयं एवं निजी सहभागिता से आवासीय योजनाएँ विकासरत हैं जो कि नगर के निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आवास सुविधा प्रदान करेंगी। नगर का नया बस स्टेण्ड भी इसी योजना क्षेत्र में निर्माणाधीन है।

मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल में लगभग 219 एकड़ भूमि औद्योगिक भू-उपयोग हेतु उपलब्ध होगी।

(व) दादाबाड़ी योजना क्षेत्र :

यह क्षेत्र उत्तर में परकोटा व छत्र विलास जलाशय, पूर्व में झालावाड़ सड़क, दक्षिण में विकसित रिंग रोड़ एवं पश्चिम में चम्बल नदी के मध्य स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 3,700 एकड़ है जोकि मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में स्थित है।

इस योजना क्षेत्र में नगर विकास न्यास एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा योजनाएँ विकसित की गयी हैं। इस योजना क्षेत्र में नगर का व्यावसायिक उपनगर केन्द्र (शॉपिंग सेंटर) एवं जिला वाणिज्यिक केन्द्र (डिस्ट्रीक्ट सेन्टर) जवाहर नगर भी स्थित है। इसके अलावा इस योजना क्षेत्र में नई विकसित योजनाओं में सड़कों के सहारे व्यावसायिक गतिविधियाँ विकसित हुई हैं। इसी योजना क्षेत्र में संभागीय आयुक्त एवं सी.ए.डी. कार्यालय, नगर विकास न्यास, नगर निगम, राजस्थान आवासन मण्डल, जलदाय विभाग इत्यादि प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इस योजना क्षेत्र में प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएँ जैसे वाणिज्य महाविद्यालय, निजी कन्या महाविद्यालय, महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर इत्यादि स्थित हैं। इसी योजना क्षेत्र में हवाई अड्डा भी स्थित है। इस योजना क्षेत्र में कोटा का ऐतिहासिक दशहरा मेला स्थल, चम्बल गार्डन, भीतरिया कुण्ड एवं कई धार्मिक परिसर चम्बल नदी के सहारे स्थित हैं। इस योजना क्षेत्र में पूर्व में ही लगभग 2500 एकड़ भूमि आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत् उपलब्ध है, जो नगर का

एक प्रमुख आवासीय क्षेत्र है। यह योजना क्षेत्र वाणिज्यिक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा। इस योजना क्षेत्र में स्थित एयरपोर्ट को नगर के आबादी क्षेत्र से दूर स्थानान्तरित किया जाकर इस पर महत्वपूर्ण नगरीय भू-उपयोग जैसे सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक केन्द्र एवं आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं।

(ह) रंगबाड़ी योजना क्षेत्र :

यह योजना क्षेत्र उत्तर में रिंग रोड, पश्चिम में चम्बल नदी, पूर्व में झालावाड़ सड़क एवं दक्षिण में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र सीमा के मध्य स्थित है। इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत् लगभग 8,774 एकड़ व शेष मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 638 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है। अतः इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 9,412 एकड़ है।

इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 की भू उपयोग योजना के अन्तर्गत् मुख्यतः नगर विकास न्यास की योजनाएँ विकसित हुई हैं। वर्तमान में भी नगर विकास न्यास की कई आवासीय एवं वाणिज्यिक योजनाएँ इस क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। इस योजना क्षेत्र में सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाएँ स्थित हैं। इसी योजना क्षेत्र में धार्मिक महत्व के स्थल जैसे रंगबाड़ी बालाजी मन्दिर एवं खड़े गणेशजी मन्दिर स्थित हैं। इसी योजना क्षेत्र में नगर का प्रमुख जल आपूर्ति केन्द्र अकेलगढ़ स्थित है। इस योजना क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के अतिरिक्त उप नगर केन्द्र (बालाजी मार्केट), ट्रांसपोर्ट नगर, मोटर मार्केट, स्टोन मण्डी, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक प्रयोजनार्थ स्थल भी हैं। इसी योजना क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा एक नया स्टेडियम एवं आमोद-प्रमोद हेतु नगर स्तर का उद्यान (गणेश उद्यान) विकसित किया जा रहा है। इस योजना क्षेत्र में पूर्व में ही 3,463 एकड़ भूमि आवासीय भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित है। यह क्षेत्र मुख्यतः शैक्षणिक एवं आमोद-प्रमोद का केन्द्र रहेगा। इस

योजना क्षेत्र के दक्षिण में अधिकांशतः वन विभाग की भूमि है, जो कि नगर के दक्षिणी दिशा में विस्तार में बाधक है।

मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल में लगभग 65 एकड़ भूमि आवासीय भू-उपयोग हेतु उपलब्ध होगी।

(ब) रानपुर योजना क्षेत्र :

नगर के दक्षिण में नगरीय विस्तार से करीब 5 कि.मी. की दूरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से लगा हुआ योजना क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल लगभग 10,582 एकड़ है जोकि मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल में स्थित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से 2 कि.मी. की दूरी पर रीको द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, जिसमें वर्तमान में कई मध्यम व लघु उद्योग व कृषि आधारित उद्योग स्थित हैं। साथ ही रीको द्वारा एक संस्थानिक क्षेत्र भी विकसित किया गया है, जिसमें 6 अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, दन्त चिकित्सालय महाविद्यालय एवं कई अन्य व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। निकट ही भीमपुरा औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित है। रानपुर में सरकारी भूमि पर नगर विकास न्यास की कई आवासीय एवं संस्थागत योजनाएँ भी विकासरत हैं। इस योजना क्षेत्र से कुछ दूर ग्राम अलनिया में निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित हुआ है।

नगर के विस्तार एवं रानपुर के मध्य वन विभाग की भूमि स्थित होने के कारण नगरीय विकास के प्रस्तावों में निरन्तरता हो पाना सम्भव नहीं है, अतः रानपुर को एक आत्मनिर्भर ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

रानपुर ग्राम एवं इसके समीप बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है। नगर के इस भाग में वृहद शैक्षणिक संस्थान जैसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (I.I.T.) एवं निजी क्षेत्र के दो विश्वविद्यालय भी प्रस्तावित हैं। इस योजना क्षेत्र में लगभग 2000 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त

अन्य नगरीय गतिविधियों हेतु वाणिज्यिक, भण्डारण एवं गोदाम, सैटेलाइट अस्पताल, अन्य सामुदायिक सुविधायें, बस अड्डा, ट्रक ट्रमिनल एवं जन उपयोगी सुविधाओं हेतु भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र में थोक फल एवं सब्जीमण्डी, कृषि आधारित उद्योगों हेतु औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी प्रस्तावित किया गया है।

रानपुर योजना क्षेत्र में नगर के दक्षिण –पश्चिम में रावतभाटा सड़क पर स्थित रथकाँकरा ग्राम के निकट विकसित नगरीय गतिविधियों के मद्देनजर ग्राम आबादी को विस्तार देते हुए नियमित आकार में विभिन्न नगरीय भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 685 एकड़ है। इस क्षेत्रफल को रानपुर योजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल की गणना में ही सम्मिलित किया गया है।

(त्र) परिधि नियन्त्रण योजना क्षेत्र :

नगरीयकरण योग्य सीमा व अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य स्थित सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में आता है। इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान–2023 के अन्तर्गत् लगभग 48,621 एकड़ व शेष मास्टर प्लान–2031 के अन्तर्गत् लगभग 61,818 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है। अतः इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1,10,439 एकड़ है।

इस योजना क्षेत्र में अधिसूचित नगरीय सीमा के अन्दर स्थित ग्राम आबादी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। इस योजना क्षेत्र में ग्राम अलनियां में निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थित है। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र का उद्देश्य नगर की परिधि पर व सड़कों के किनारे होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। इस योजना क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग एवं उसकी सहायक गतिविधियां, सीमित खनन कार्य व क्रेशर, मोटल, रिसोर्ट, एम्यूजमेन्ट पार्क, दूध डेयरी, फलोद्यान, पेट्रोल पम्प, गैस एवं अन्य ज्वलन शील पदार्थों के गोदाम, ईंट भट्टा व चूना भट्टा एवं जनोपयोगी सुविधाएँ जैसे सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल एवं ग्रिड सब स्टेशन इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं। परिधि नियन्त्रण

क्षेत्र में ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत् प्रस्तावित सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक व जनउपयोगी सुविधाएं स्वीकृत की जा सकेंगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग एवं अल्प आय वर्ग तबकों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाएं यथा हाउसिंग फॉर ऑल, मुख्यमंत्री जनआवास योजना आदि भी परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय होंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों/ परिपत्रों के अनुसार अनुज्ञेय गतिविधियां भी स्वीकृत की जा सकेंगी। नगरीय सीमा के अन्दर स्थित ग्रामों को नगरीय ग्रामों के रूप में विकसित किया जायेगा, ताकि आस-पास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अंतर्गत किया जा सकेगा।

5

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत् नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना नगर की वर्तमान विशेषताओं तथा विद्यमान एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहां तक सम्भव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधिसम्मत आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करने के लिये किया जाना चाहिए। कोटा नगरीय क्षेत्र की भू-उपयोग योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि अन्य सम्बन्धित नगरीय समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान हो सके। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थितियों से सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है।

क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की जपहचान दर्शायी गई है। वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात् मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 49,052 एकड़ अतिरिक्त नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 15,716 एकड़ भूमि आवासीय, 937 एकड़ वाणिज्यिक, 1300 एकड़ औद्योगिक, 63 एकड़ सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी, 1,840 एकड़ आमोद-प्रमोद, 3,074 एकड़ सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, 16,357 एकड़ हाईवे/अन्य डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र तथा 3,283 एकड़ पर्सिसंचरण प्रयोजनार्थ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है।

कैथून मास्टर प्लान-2023 अनुमोदित किया जा चुका है। अतः कैथून मास्टर प्लान नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के लिए कैथून मास्टर प्लान की प्रस्तावित

भू-उपयोग योजना के अनुरूप होंगे। वर्ष 2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग को तालिका संख्या 16 अ व 16 ब में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या – 16 अ

प्रस्तावित भू-उपयोग-कोटा-2023

| क्र.सं. | विवरण | भू-उपयोग क्षेत्रफल (एकड़ में) | प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का % | नगरीकरण योग्य क्षेत्र का % |
|---------|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | आवासीय | 14877.00 | 45.33 | 38.63 |
| 2 | व्यावसायिक | 1802.00 | 5.49 | 4.68 |
| 3 | औद्योगिक | 4860.00 | 14.81 | 12.62 |
| 4 | सरकारी एवं अर्धसरकारी | 490.00 | 1.49 | 1.27 |
| 5 | आमोद-प्रमोद | 2150.00 | 6.55 | 5.58 |
| 6 | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक | 4142.00 | 12.62 | 10.76 |
| 7 | हाईवे / अन्य डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र | 00.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | विशेष क्षेत्र | 00.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | परिसंचरण | 4500.00 | 13.71 | 11.69 |
| | कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र | 32821.00 | 100.00 | 86.59 |
| 10 | जलाशय | 1280.00 | | 3.32 |
| 11 | कृषि एवं पौधशालाएँ | 1543.00 | | 4.01 |
| 12 | सरकारी आरक्षित | 1715.00 | | 4.45 |
| 13 | राख निस्तारण | 1150.00 | | 2.99 |
| | नगरीयकरण योग्य क्षेत्र | 38509.00 | | 100.00 |

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान

तालिका संख्या – 16 ब

प्रस्तावित भू-उपयोग-कोटा-2031
(2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र)

| क्र.सं. | विवरण | भू-उपयोग क्षेत्रफल (एकड़ में) | अतिरिक्त प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का % | नगरीयकरण योग्य अतिरिक्त क्षेत्र का % |
|---------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | आवासीय | 15,716.00 | 36.92 | 32.04 |
| 2 | व्यावसायिक | 937.00 | 2.20 | 1.91 |
| 3 | औद्योगिक | 1,300.00 | 3.05 | 2.65 |
| 4 | सरकारी एवं अर्द्धसरकारी | 63.00 | 0.15 | 0.13 |
| 5 | आमोद-प्रमोद | 1,840.00 | 4.32 | 3.75 |
| 6 | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक | 3,074.00 | 7.22 | 6.27 |
| 7 | हाईवे / अन्य डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र | 16,357.00 | 38.42 | 33.35 |
| 8 | विशेष क्षेत्र | 00.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | पर्संचरण | 3,283.00 | 7.71 | 6.69 |
| | कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र | 42,570.00 | 100.00 | 86.79 |
| 10 | जलाशय | 1,726.00 | | 3.52 |
| 11 | कृषि एवं पौधशालाएं | 1,606.00 | | 3.27 |
| 12 | सरकारी आरक्षित | 3,150.00 | | 6.42 |
| 13 | राख निस्तारण | 00.00 | | 0.00 |
| | नगरीयकरण योग्य क्षेत्र | 49,052.00 | | 100.00 |

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान

5.1 आवासीय :

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गयी है कि इससे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य-स्थलों और आमोद-प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिये समय में कमी हो। युक्ति संगत आवासीय विकास, नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होगा एवं लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट ही

प्रतिदिन की आवश्यकताओं हेतु सुविधाएँ एवं जनोपयोगी सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 21 लाख व्यक्तियों को बसाने के लिये वर्ष 2031 तक लगभग 15,716 एकड़ अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। आवासीय क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छात्रावास, सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थल, अतिथिगृह, आंगनबाड़ी केन्द्र, पुलिस चौकी, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता पूर्ति के लिए जनउपयोगी सुविधाओं हेतु स्थल इत्यादि स्वीकृत किये जा सकेंगे।

आवासीय योजनाएँ तैयार करते समय इनफॉरमल वाणिज्यिक हेतु स्थल प्रस्तावित किये जाते हैं इन स्थलों पर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक सुविधाएँ जैसे कि मिल्क बूथ, फुटकर किराना, इंटरनेट केफे, चाय/कॉफी स्टॉल, दवाई की दुकान, जनरल स्टोर, फल एवं सब्जी व्यवसाय, जूता, साईकिल एवं कपड़े इत्यादि की मरम्मत एवं रखरखाव इत्यादि दैनिक गतिविधियों हेतु वाणिज्यिक भूखण्ड / दुकानों का आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे कि सड़क मार्गाधिकार में यह गतिविधियाँ अवैध रूप से विकसित ना हों।

5.1 (1) आवासन :

कुल अनुमानित 21 लाख जनसंख्या का वितरण छोटे-छोटे क्षेत्रों में किया जायेगा, जिनमें पदानुक्रम में सामुदायिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ प्रदान की जायेंगी। इस प्रकार 3000 से 5000 जनसंख्या की एक आवासीय योजना इकाई एवं 3-4 आवासीय योजना इकाईयों को मिलाकर 15-20 हजार जनसंख्या के आवासीय योजना क्षेत्र होंगे। ऐसे प्रत्येक योजना क्षेत्र को उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शोपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जायेगा। इस प्रकार एक से अधिक योजना क्षेत्रों को मिलाकर योजना जिला होगा, जिसकी जनसंख्या 75,000 से 1.5 लाख तक होगी, जिनमें स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ, जैसे सामान्य महाविद्यालय, चिकित्सालय, उद्यान, खेल के मैदान, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सिनेमा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएँ विकसित की जायेंगी।

5.1 (2) इनफॉरमल सेक्टर के लिये आवास :

आवास समुदाय की एक प्रमुख आवश्यकता है इसके अन्तर्गत् सर्वाधिक भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर विकास न्यास और आवासन मण्डल वर्तमान में हाउसिंग फॉर ऑल –2022, प्रधानमन्त्री आवास योजना, मुख्यमन्त्री जन आवास योजना के तहत् तथा ऐसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत् समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध करावें एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार परियोजना तैयार करें। कार्य केन्द्रों के समीप कर्मचारियों और कमजोर आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये सामूहिक आवास योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र की आवासीय परियोजनाओं व ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में भी टाउनशिप नीति के प्रावधान अनुसार कमजोर एवं निम्न आय वर्ग हेतु भूखण्डों / मकानों का प्रावधान रखा जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इसका लाभ कमजोर / निम्न आय वर्ग के लोगों को मिले। दीको द्वारा भी औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास परियोजना आरम्भ की जा सकती है ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कच्ची बस्तियों के रूप में बेतरतीब विकास को दोका जा सके। ग्रामीण सामूहिक आवास योजनाएँ, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा हाथ में ली जा सकती हैं।

5.1 (3) मिश्रित उपयोग :

मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग (योजना क्षेत्र को छोड़कर) के अन्तर्गत् 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर एकल सम्पत्ति की गहराई अथवा सड़क की चौड़ाई के डेढ़ गुना तक (जो भी कम हो) में मिश्रित उपयोग अनुज्ञेय होंगे जिसके अंतर्गत् आवासीय उपयोग के साथ व्यवसायिक एवं संस्थागत उपयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुज्ञेय किये जा सकेंगे। उक्त गतिविधियां एक ही भूखण्ड पर एकल रूप से पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से अनुज्ञेय होगी।

5.1 (4) नगरीय नवीनीकरण/कच्ची बस्तियां :

नगर में अनियमित एवं अनियोजित ढंग से बसे हुए क्षेत्रों के लिये नवीनीकरण कार्यक्रम बनाये जाना प्रस्तावित है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये भी संरक्षण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। नियमित कच्ची बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, ताकि इनमें आधारभूत सुविधाएँ जैसे कि पीने का पानी, सार्वजनिक शौचालय, बरसाती नालियाँ, सड़कों पर रोशनी इत्यादि का उचित प्रबन्ध किया जा सके। पुनर्वास उन क्षेत्रों का किया जायेगा, जो आवास के योग्य नहीं है। पुनर्विकास कार्य उन क्षेत्रों के लिये किया जायेगा जहां कच्ची बस्तियां नियमित हो चुकी हैं। कच्ची बस्ती क्षेत्रों के सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है। कच्ची बस्ती क्षेत्रों के सुधार एवं उनके पुनर्विकास के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रमों एवं भारत सरकार के कार्यक्रमों जैसे— एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास योजना, राजीव आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना, हाउसिंग फॉर ऑल-2022, प्रधानमन्त्री आवास योजना, मुख्यमन्त्री जनआवास योजना-2015 आदि के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है। विस्थापन और पुनर्वास की समस्याओं पर एकीकृत दृष्टिकोण से विचार किया जाकर इस कार्य हेतु विस्तृत योजनाएँ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी योजनाएँ बनाते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि इनसे न्यूनतम विस्थापन हो।

5.2 वाणिज्यिक :

भौगोलिक विशेषताओं के कारण कोटा आसपास के क्षेत्रों के लिये विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। उत्पाद केन्द्र के रूप में विकसित होने के कारण यहां पर आर्थिक नियोजन की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, चम्बल सिंचित क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां कृषि आधारित वाणिज्यिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक लगभग 1,38,600 व्यक्ति अर्थात् कुल काम करने वालों का लगभग 22 प्रतिशत विभिन्न वाणिज्यिक

गतिविधियों में कार्यशील होंगे। उक्त योजना बनाते समय भूमि की उपलब्धता के आधार पर कुल वाणिज्यिक गतिविधियों के उचित वितरण का ध्यान रखा गया है ताकि ये अधिकांश व्यक्तियों के लिये सुविधाजनक रहे। अतः विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र पदानुक्रम में विकसित किये जायेंगे ताकि विभिन्न स्तरों की सुविधाएं सुलभ हो सकें। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण तालिका संख्या 17 में दर्शाया गया है :—

तालिका संख्या – 17
प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण –कोटा–2031
(2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र)

| क्र.सं. | विवरण | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | शहरी केन्द्र | .. |
| 2 | उप नगर केन्द्र (1) | 37 |
| 3 | जिला केन्द्र (4) | 158 |
| 4 | अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र | 250 |
| 5 | विशिष्ट एवं थोक व्यापार | 359 |
| 6 | भण्डारण एवं गोदाम | 133 |
| | योग | 937 |

मास्टर प्लान में धानमण्डी, टिम्बर मार्केट, पत्थरमण्डी, फल एवं सब्जीमण्डी इत्यादि के लिये उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किये गए हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र लगभग 937 एकड़ होगा, जो अतिरिक्त प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का लगभग 2.20% होगा।

उन सभी प्रमुख, उप प्रमुख एवं अन्य सड़कों, जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट से कम नहीं हो, उनसे लगती हुई भूमियों पर वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक विकास अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा। यह विकास एकल सम्पत्ति अथवा 100 फीट की गहराई, जो भी कम हो, में ही किया जा सकेगा। जहां जिस सड़क की वास्तविक चौड़ाई अथवा मार्गाधिकार, मास्टर प्लान में दर्शाये गए प्रस्तावित मार्गाधिकार से वर्तमान में कम है, वहां एकल सम्पत्ति की गहराई उतनी ही दूरी के लिये बढ़ जायेगी जितनी कि उस सड़क की

प्रस्तावित चौडाई सडक के उस तरफ एवं उस भाग में मध्यरेखा से कम पड़ रही हो। एकल सम्पत्ति की यह बढ़ी हुई गहराई जो कि सडक के मार्गाधिकार कम होने के कारण मिली है, यह अनियावार्य रूप से सेटबैक के साथ खुली छोड़ी जायेगी, जब तक की स्थानीय निकास सडक के विकास अथवा अन्य सेवाओं के विस्तार हेतु इस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लेती है।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार छोड़कर ही वाणिज्यिक अनुमति दी जायेगी। वाणिज्यिक क्षेत्रों में मिश्रित भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे जिसके तहत् वाणिज्यिक के साथ आवासीय, वाणिज्यिक से साथ होटल, मल्टीप्लेक्स, कार्यालय, एन्टरटेनमेन्ट कॉम्प्लेक्स आदि उपयोग देय होंगे।

5.2 (1) शहरी केन्द्र :

वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात् कोई अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित नहीं किया गया है।

5.2 (2) उप नगर केन्द्र :

वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर बारां सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में अतिरिक्त एक उप नगर केन्द्र प्रस्तावित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 37 एकड़ है।

5.2 (3) जिला केन्द्र

वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर शहरी केन्द्र एवं उप नगर केन्द्र में यातायात को कम करने की दृष्टि से एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण हेतु विभिन्न योजना क्षेत्रों में 4 जिला केन्द्र प्रस्तावित किये गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 105 एकड़ है। जिला केन्द्र में खुदरा दुकाने, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सामुदायिक भवन, मनोरंजन केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र,

अग्निशमन केन्द्र, डाक एवं तारघर कार्यालय, पुलिस स्टेशन, खुले स्थल इत्यादि का प्रावधान रखा जायेगा। अतः जिला केन्द्र प्रत्येक योजना क्षेत्र के वाणिज्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृति केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त जिला केन्द्रों को तालिका संख्या 18 में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या – 18 प्रस्तावित जिला केन्द्र –कोटा–2031

(2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र)

| क्र.सं. | विवरण | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | बून्दी सड़क (उत्तरी) जिला केन्द्र | 33 |
| 2 | बाराँ सड़क (उत्तरी) जिला केन्द्र | 37 |
| 3 | बाराँ सड़क (दक्षिणी) जिला केन्द्र | 35 |
| 4 | रानपुर जिला केन्द्र | 53 |
| | योग | 158 |

5.2 (4) अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र :

अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र प्रमुख सड़कों के सहारे विकसित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र एवं सुविधा दुकाने मुख्य सड़कों के सहारे एवं आवासीय योजनाओं में विकसित की जायेंगी। वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए रंगबाड़ी योजना क्षेत्र में मुख्य सड़कों के सहारे नियोजित रूप में वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे। पुराने सामानों विशेषकर फर्नीचर एवं भवन निर्माण सम्बन्धित सामग्री हेतु वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।

5.2 (5) विशिष्ट एवं थोक व्यापार :

वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु मास्टर प्लान–2031 के अन्तर्गत् मास्टर प्लान–2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर चन्द्रेसल सड़क पर थोक फल एवं सब्जीमण्डी हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है।

कोटा नगर लाल पत्थर (सैण्ड स्टोन) एवं कोटा स्टोन (फर्शी का हरा नीला पत्थर) का महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र है। वर्तमान में नगर की मुख्य सड़कों के किनारे एवं खाली भूखण्डों पर छितरे रूप में सैण्ड स्टोन का भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा है, जिससे नगर में भारी वाहनों की आवाजाही एवं

यातायात पर अनावश्यक दबाव बना रहता है इन वाणिज्यिक गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने हेतु नगर के प्रस्तावित नये क्षेत्रों में भवन निर्माण सामाग्री, जिसमें पत्थर मण्डी, टिम्बर मार्केट, लोहा मार्केट एवं अन्य भवन निर्माण सामाग्री के थोक भण्डारण एवं व्यापार हेतु बृद्धी सड़क (दक्षिणी) योजना क्षेत्र में लगभग 71 एकड़ तथा शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में 83 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित है। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त विशिष्ट एवं थोक व्यापार स्थलों को तालिका संख्या 19 में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या – 19
प्रस्तावित विशिष्ट एवं थोक व्यापार –कोटा–2031
(2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र)

| क्र. सं. | विवरण | प्रस्तावित स्थल | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|----------|----------------------|--|-------------------------|
| 1 | फल एवं सब्जीमण्डी | चन्द्रेसल ग्राम के समीप | 34 |
| 2 | भवन निर्माण सामाग्री | बृद्धी सड़क पर ग्राम रामनगर में, एवं रानपुर योजना क्षेत्र में झालावाड़ सड़क पर, शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में | 325 |
| | योग | | 359 |

5.2 (6) भण्डारण एवं गोदाम

नगर की बढ़ती हुयी वाणिज्यिक गतिविधियों के दृष्टिगत वांछित तादाद में वस्तुओं के भण्डारण की आवश्यकता हेतु मास्टर प्लान में भण्डारण एवं गोदाम के लिये भूमि आरक्षित की गयी है। मास्टर प्लान–2031 के अन्तर्गत् पूर्व मास्टर प्लान–2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात झालावाड़ सड़क पर प्रस्तावित रानपुर ग्रोथ सेन्टर में औद्योगिक क्षेत्र के समीप लगभग 62 एकड़, बारां सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में बाईपास के समीप कैथून सड़क पर लगभग 17 एकड़ एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में लगभग 54 एकड़ भूमि पर भण्डारण एवं गोदाम हेतु अतिरिक्त स्थल प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार भण्डारण एवं गोदाम हेतु कुल लगभग 133 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.3 औद्योगिक

राज्य में कोटा जिला औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका मुख्य कारण राज्य एवं देश के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों से कोटा का रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा होना तथा कोटा के आस पास खनिज संसाधनों का उपलब्ध होना है। यह अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2031 तक लगभग 1,35,450 व्यक्ति उद्योगों में कार्यरत रहेंगे, जो कि कुल कार्यशील व्यक्तियों का 21.50 प्रतिशत होगा। यह अपेक्षित है कि नये औद्योगिक क्षेत्रों/ ईकाईयों की स्थापना करते समय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के मानदण्डों के अनुसार हरित क्षेत्र विकसित किये जावें। नये औद्योगिक क्षेत्र/ अन्य उपयोग क्षेत्र प्रस्तावित करते समय अन्य उपयोग क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र के मध्य 100 फुट चौड़ी हरितिमा पट्टी विकसित की जावे। वर्ष 2031 हेतु औद्योगिक गतिविधियों का विवरण तालिका संख्या 20 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 20
औद्योगिक गतिविधियों का विवरण –कोटा–2031

| क्र. स. | उद्योग का प्रकार | काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या | काम करने वालों का प्रतिशत | प्रस्तावित नियोजित घनत्व प्रति (एकड़ में) | नियोजित क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | घरेलू उद्योग | 13,545 | 10 | – | – |
| 2 | वृहद् तथा लघु एवं मध्यम उद्योग | 1,21,905 | 90 | 25–30 | 4,880 |
| | चोग | 1,35,450 | 100 | – | 4,880 |

स्रोत : नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र

कोटा नगर में निम्नानुसार औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गए हैं :–

(i) कन्सुआ औद्योगिक क्षेत्र

मास्टर प्लान–2031 के अन्तर्गत् पूर्व मास्टर प्लान–2023 के नगरीयकरण चोग्य क्षेत्र के बाहर औद्योगिक उपयोग हेतु लगभग 219 एकड़ अतिरिक्त स्थल प्रस्तावित है।

(ii) इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र

यह औद्योगिक क्षेत्र पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत झालावाड़ सड़क एवं रेलवे लाईन के मध्य स्थित है।

(iii) रानपुर औद्योगिक क्षेत्र

मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर झालावाड़ सड़क के पश्चिम में रानपुर योजना क्षेत्र में स्थित ग्राम रानपुर में दीको द्वारा कुबेर औद्योगिक क्षेत्र, एग्रो फूड पार्क I एवं एग्रो फूड पार्क II विकसित किया जा चुका है एवं कुबेर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार प्रस्तावित है। रानपुर योजना क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि पर उद्योगों हेतु 765 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। यह औद्योगिक क्षेत्र कोटा नगर की औद्योगिक माँग की भी पूर्ति करेगा।

(iv) अन्य औद्योगिक क्षेत्र

मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में लगभग 76 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नगर दक्षिण में रानपुर के समीप भीमपुरा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था जो कि आंशिक रूप से विकसित है, को भी मास्टर प्लान-2031 के क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र तालिका संख्या 21 में दर्शाये गये हैं :—

तालिका संख्या – 21

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र –कोटा–2031

(2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र)

| क्र.सं. | औद्योगिक क्षेत्र का नाम | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---------|---|----------------------|
| 1 | कन्सुआ औद्योगिक क्षेत्र | 219 |
| 2 | रानपुर औद्योगिक क्षेत्र | 765 |
| 3 | अन्य औद्योगिक क्षेत्र • शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर • भीमपुरा औद्योगिक क्षेत्र | 076 240 |
| | योग | 1300 |

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय

कोटा दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान का सम्भागीय मुख्यालय होने के कारण यहां पर काफी संख्या में सरकारी कार्यालय हैं, साथ ही यहां रेलवे, चम्बल परियोजना इत्यादि के भी मुख्य कार्यालय हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2031 तक सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 15% अर्थात् लगभग 94,500 व्यक्ति कार्यरत् होंगे। सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों हेतु 2031 की भावी आवश्यकताओं के लिये शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर तथा रानपुर योजना क्षेत्र में सरकारी उपयोग हेतु कुल 63 एकड़ अतिरिक्त भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित हैं।

5.4 (2) सरकारी आरक्षित

नगर के पश्चिम में ग्राम शम्भूपुरा के निकट डाबी सड़क पर सेना के लिए फायरिंग रेन्ज एवं रानपुर में सी.आर.पीएफ.हेतु आरक्षित भूमि सहित कुल 3,150 एकड़ भूमि सरकारी आरक्षित रखा जाना प्रस्तावित है।

5.5 आमोद-प्रमोद

नगर के निवासियों एवं पर्यटकों के मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद हेतु मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर 1,840 एकड़ भूमि अतिरिक्त प्रस्तावित की गयी है।

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

सार्वजनिक उद्यान एवं खुले स्थलों को सामान्य तौर पर नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है ये किसी सीमा तक नगर को सामाजिक एवं भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिये सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मेदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिए। अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान

करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गयी है। स्थानीय स्तर के उद्यान एवं खुले स्थलों हेतु विस्तृत आवासीय योजनाएँ एवं सेक्टर प्लान बनाते समय प्रस्तावित जनसंख्या के आधार पर स्थल आरक्षित किये जायेंगे। यह प्रावधान मास्टर प्लान में अंकित नहीं किया गया है।

नदी, जलाशयों, नहरों इत्यादि के कारण कोटा में कई प्राकृतिक सुन्दर स्थल हैं। विभिन्न स्तरों की आमोद-प्रमोद सुविधाएँ प्रदान करने के लिये इनका पूर्ण लाभ लिया गया है।

इसके अलावा चम्बल नदी के पश्चिम में बालिता सड़क एवं चम्बल नदी के मध्य नदी के किनारे लगभग 511 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर उद्यान एवं खुला स्थल प्रस्तावित किया गया है। शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में लगभग 66 एकड़ भूमि तथा उद्यान एवं खुले स्थल हेतु प्रस्तावित है। बून्दी सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में लगभग 19 एकड़, बाराँ सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में लगभग 280 एकड़, बाराँ सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में लगभग 626 एकड़ भूमि, कन्सुआ योजना क्षेत्र में लगभग 80 एकड़ भूमि, रानपुर योजना क्षेत्र में लगभग 20 एकड़ भूमि पर उद्यान एवं खुले स्थल का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार 2031 की भावी आवश्यकताओं के लिये विभिन्न स्थलों पर कुल लगभग 1613 एकड़ अतिरिक्त भूमि उद्यान एवं खुले स्थल हेतु प्रस्तावित की गयी है।

नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मंडल एवं नगर निगम द्वारा विकसित योजनाओं में विभिन्न उद्यानों एवं खुले स्थलों का प्रावधान रखा गया है, किन्तु इन स्थलों पर वृक्षा-रोपण एवं रख-रखाव का अभाव है अतः इन स्थलों पर सधन वृक्षा-रोपण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कई स्थानों एवं खुले स्थलों हेतु आरक्षित स्थलों पर सामुदायिक एवं धार्मिक अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिस पर भी रोक लगाया जाना आवश्यक है।

5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल मैदान

मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर बाराँ सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में 75 एकड़ व बाराँ सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में 52 एकड़ अतिरिक्त भूमि स्टेडियम एवं खेल मैदानों हेतु भूमि

प्रस्तावित की गई है। बून्दी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर के रामपुरिया राजस्व ग्राम में 78 एकड़ का वृहद् क्षेत्र स्टेडियम एवं खेल मैदान हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा विस्तृत आवासीय योजनायें एवं सैकटर प्लान तैयार करते समय क्षेत्रवार आवश्यकताओं हेतु खेल मैदानों का प्रावधान रखा जायेगा।

5.5 (3) अद्व सार्वजनिक मनोरंजन

मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर नये विकसित किये जाने वाले उप नगर केन्द्र एवं जिला केन्द्रों में अद्वसार्वजनिक मनोरंजन हेतु अतिरिक्त स्थल आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 पर्यटन

गत वर्षों में राज्य के पर्यटकों का रुझान कोटा नगर की ओर कुछ बढ़ा है। कोटा में पर्यटकों के आवागमन के लिए माह अगस्त से दिसम्बर तक का समय उचित है। यहां पर मुख्य आकर्षण बिन्दु प्राकृतिक तालाब व झरने, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के स्थल हैं, जहां पर्यटन विकास की अपार संभावनायें हैं।

कोटा में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उनके अधिक समय रुकने एवं ठहराव को अधिक आरामदायक एवं चादगार बनाने के लिये निम्नलिखित सुधार एवं विकास के सुझाव दिये गए हैं –

1. पर्यटन स्थलों का कोटा नगर तथा कोटा नगर का अन्य नगरों, राज्यों एवं विदेशों से सड़क, हवाई एवं रेलमार्ग से अच्छी तरह जुड़ा होना आवश्यक है। अतः कोटा नगर में नया हवाई अड्डा विकसित किया जाना एवं नियमित हवाई सेवा प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।
2. रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं हवाई अड्डे पर पर्यटन सूचना केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

3. पर्यटकों के आकर्षण की दृष्टि से प्रस्तावित पर्यटन सुविधा स्थलों पर केम्पिंग ग्राउण्ड, अम्बूजमेन्ट पार्क, रिसोर्ट, वाटर पार्क, इत्यादि विकसित किये जा सकेंगे।
 4. बड़े होटल मास्टर प्लान में प्रस्तावित उप नगर केन्द्रों में और जिला केन्द्र में स्थापित किये जा सकेंगे।
 5. ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को सूचीबद्ध किया जाकर उनके संरक्षण एवं सौन्दर्यांकरण हेतु सम्बन्धित विभाग, जैसे नगर निगम, नगर विकास न्यास, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। पर्यटकों को सुरक्षित उचित पर्यटन माहौल प्रदान करने के लिये अलग से पर्यटन परिसर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।
 6. कोटा नगर एवं नगर में स्थित पर्यटन स्थलों के आस-पास स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु साफ-सफाई की उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
 7. विस्तृत पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है जो कि गतिविधियों एवं भौतिक स्वरूप के मध्य सामन्जस्य को ध्यान रखते हुए बनाया जाये।
 8. कोटा को क्षेत्रीय पर्यटन के केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है अतः पर्यटन विभाग को अन्य विभागों एवं यात्रा परिचारकों की मदद से ऐसा तंत्र बनाया जाना चाहिए जो पर्यटन विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य करे।
 9. नगर वासियों में नगर के पर्यटन विकास हेतु सकारात्मकता एवं सहभागिता के विकास हेतु प्रचार/ प्रसार/ प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है।
- पर्यटन सम्बन्धी सुविधाएँ जैसे अम्बूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, रिसोर्ट, केम्पिंग ग्राउण्ड, धर्मशालायें, मोटल, होटल, रेस्तरां, हैण्डीक्राफ्ट मार्केट, पार्किंग इत्यादि योजना में प्रस्तावित हाइवे/ अन्य डबलपमेन्ट कन्ड्रोल क्षेत्रों एवं उपनगर वाणिज्यिक केन्द्रों में विकसित की जा सकेंगी।

10. जल एवं जलाशयों की उपलब्धता कोटा के लिए वरदान है अतः कोटा स्थित सभी जलाशयों यथा कोटड़ी तालाब, सूर सागर तालाब, उम्मेद तालाब, अनन्तपुरा तालाब, लखावा तालाब, रानपुर तालाब, अमेड़ा तालाब, इत्यादि के विकास एवं सौन्दर्यीकरण की योजनाएं तैयार की जाकर पर्यटन विकास हेतु आकृष्ण केन्द्र विकसित किये जाने चाहिए।

5.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

नगर के एकीकृत विकास एवं नागरिकों की स्थानीय एवं प्रादेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से विभिन्न सार्वजनिक सुविधायें तथा श्मशान/कब्रिस्तान इत्यादि का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय विशेषताएँ, आवासीय घनत्व व भावी विस्तार की सम्भावनाओं को दृष्टिगत् रखते हुए इन सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं का विभिन्न स्तरों पर वितरण किया गया है। इन सुविधाओं हेतु मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर कुल 3074 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.7 (1) शैक्षणिक

कोटा नगर दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान का तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा हेतु प्रमुख केन्द्र है एवं भविष्य में भी शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापन एवं विकास के कारण गत् दशक में कोटा नगर का स्वरूप औद्योगिक नगरी से शैक्षणिक नगरी के रूप में परिवर्तित हुआ है।

वर्ष 2031 की प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या 22 में दर्शाया गया है :—

तालिका संख्या – 22
प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना – कोटा – 2031

| क्र. सं. | कक्षा स्तर | आयु वर्ग | आयु वर्ग में प्रति विद्यालय जाने योग्य बालक / बालिकाएँ | विद्यार्थियों का प्रतिशत | विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या | विद्यालयों की संख्या | प्रति विद्यालय छात्रों की औसत संख्या |
|----------|-------------------------------------|----------|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | प्राथमिक विद्यालय (1–5) | 5–10 | 3,05,000 | 90% | 2,74,500 | 685 | 400 |
| 2 | उच्च प्राथमिक (6–8) | 11–13 | 2,12,500 | 85% | 1,80,625 | 360 | 500 |
| 3 | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | 14–17 | 2,15,000 | 78% | 1,67,700 | 419 | 400 |

स्रोत : नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार के अनुमान।

प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताओं हेतु कैथून सड़क के दक्षिण में लगभग 1260 एकड़, एवं झालावाड़ सड़क के पूर्व में 102 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। रानपुर ग्रोथ सेन्टर एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में भी शैक्षणिक उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। निजी क्षेत्र के दो विश्वविद्यालय भी रानपुर योजना क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। बोरखेड़ा सड़क पर कृषि विश्वविद्यालय हेतु भूमि प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 2197 एकड़ भूमि शैक्षणिक उपयोग हेतु प्रस्तावित की गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी स्तर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों हेतु विस्तृत आवासीय योजनाओं में एवं सैकटर प्लान तैयार करते समय स्थल आरक्षित किये जायेंगे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय अन्य शैक्षणिक प्रयोजनार्थ स्थानों पर भी अनुज्ञेय होंगे।

मास्टर प्लान भू उपयोग योजना में सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक भू उपयोग के अंतर्गत् शैक्षणिक उपयोग श्रेणी के अंतर्गत् दर्शित विभिन्न उप श्रेणियों के उपयोग एक दूसरे में अनुज्ञेय होंगे।

5.7 (2) चिकित्सा

कोटा नगर स्थानीय जनसंख्या के अतिरिक्त, संभाग की जनसंख्या के लिए भी चिकित्सा का प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। इस दौरान कोटा में चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध 1000 बिस्तर का अस्पताल अस्तित्व में आ चुका है, जहाँ पर विभिन्न विभाग आंशिक रूप से चिकित्सा सेवाएँ दे रहे हैं।

मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात् बृद्धि सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में शम्भूपुरा में लगभग 8 एकड़, बाराँ सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र में लगभग 102 एकड़ भूमि बाराँ सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में लगभग 40 एकड़ भूमि, रानपुर योजना क्षेत्र में लगभग 10 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिकित्सीय सुविधाओं हेतु प्रस्तावित की गयी है। अन्य योजना क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधा हेतु स्थल प्राप्तवित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 160 एकड़ भूमि चिकित्सा सेवाओं हेतु प्रस्तावित हैं।

उक्त भूमि पर आवश्यकतानुसार ऐलोपेथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सालय विकसित किये जा सकेंगे। डिसपेन्सरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की योजनाएँ, विस्तृत आवासीय योजनाएँ एवं सेक्टर प्लान तैयार करते समय उनके अन्तर्गत् प्रस्तावित की जायेगी।

मास्टर प्लान भू उपयोग योजना में सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक भू उपयोग के अंतर्गत् चिकित्सा उपयोग श्रेणी के अंतर्गत् दर्शित विभिन्न उप श्रेणियों के उपयोग एक दूसरे में अनुज्ञेय होंगे।

5.7 (3) सामाजिक / सांस्कृतिक

मास्टर प्लान क्रियान्वयन के अन्तर्गत् विस्तृत योजनाएँ बनाते समय आवासीय योजनाओं में सामाजिक / सांस्कृतिक भवनों के लिए भूमि आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (4) धार्मिक स्थल / ऐतिहासिक

कोटा में अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। आवासीय योजनाएँ बनाते समय धार्मिक स्थलों हेतु भूमि आरक्षित की जायेगी। ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक क्षेत्रों एवं अन्य ऐतिहासिक स्थलों / स्मारकों के रख रखाव के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

5.7 (5) अन्य सामुदायिक सुविधायें

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत् पुलिस स्टेशन, डाक एवं तार कार्यालय, दूरदर्शन, अग्निशमन केन्द्र, कलब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएँ, धर्मशालाएँ, छात्रावास, छोटे स्तर की चिकित्सा सुविधायें, नर्सिंग होम, सरकारी व्यायामशाला, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक सुविधायें इत्यादि विकसित की जा सकती हैं। मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात् बृद्धि सङ्कर उत्तरी योजना क्षेत्र, शम्पुरा ग्रोथ सेन्टर में एवं रानपुर योजना क्षेत्र में दक्षिणी बाईपास पर स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 256 एकड़ भूमि अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित की गयी है।

5.7 (6) जनोपयोगी सुविधायें

जल, सीवरेज, ड्रेनेज, एवं विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। उपयुक्त जल आपूर्ति के बिना कोई नगरीय क्षेत्र विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार पर्याप्त जल-मल निस्तारण व्यवस्था के अभाव में एक स्वस्थ नगरीय पर्यावरण विकसित नहीं किया जा सकता है।

5.7 (6) अ जल आपूर्ति

कोटा नगर चम्बल नदी के किनारे स्थित है एवं बैराज के कारण समीप ही बड़ा जलाशय है, अतः कोटा नगर में जल आपूर्ति हेतु पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है। कोटा नगर में वर्तमान जल आपूर्ति हेतु अकेलगढ़ में जल आपूर्ति केन्द्र स्थित है। चम्बल नदी के पश्चिम में स्थित नगर के भाग की जल आपूर्ति की बढ़ती

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगर विकास द्वारा सकतपुरा में जल शोधन एवं आपूर्ति केन्द्र एवं पाईप लाइनों की वृहद परियोजना निर्माणरत् है।

वर्तमान में नगर विकास न्यास द्वारा विकसित की जा रही नई योजनाएँ वर्तमान जल आपूर्ति केन्द्र अकेलगढ़ से अपेक्षाकृत काफी ऊँचे तल पर स्थित हैं, अतः वर्ष 2031 तक कोटा के भावी विस्तार के दृष्टिगत दक्षिण में ऊँचे तल पर पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित नगरीय उपयोगों हेतु प्रस्तावित बाई पास सड़क के दक्षिण में चम्बल नदी के किनारे नया जल आपूर्ति केन्द्र प्रस्तावित है। पुराने नगर में बढ़ते हुए आबादी घनत्व के कारण कई स्थानों पर वर्तमान पाईप लाइन की क्षमता अपर्याप्त है एवं कई स्थानों पर पाईप लाइन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अतः कोटा नगर में विद्यमान एवं भावी जनसंख्या के आंकलन के आधार पर सर्वेक्षण एवं अनुमान लगाकर इन पाईप लाइनों को बदलना आवश्यक है। इसके साथ ही अन्य नई योजनाओं जैसे हाउसिंग फॉर ऑल -2022, प्रधानमन्त्री आवास योजना, मुख्यमन्त्री जन आवास योजना के तहत तथा ऐसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत विकसित होने वाली योजनाओं एवं वर्ष 2031 तक भविष्य की आवश्यकता हेतु अनुमान लगाकर जलदाय विभाग द्वारा विस्तृत जलापूर्ति योजनाएँ तैयार कर विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नगर के विकास हेतु प्रस्तावित रानपुर ग्रोथ सेन्टर एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर के लिए पृथक से जलापूर्ति योजनाएँ तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (6) ब जल-मल निस्तारण व्यवस्था

राजस्थान के अन्य नगरों की भाँति कोटा में भी अभी तक कोई नियोजित जल-मल निस्तारण व्यवस्था संचालित नहीं है। पुराने नगर में शुष्क शौचालय थे जिन्हे अधिकांशतः फ्लश लेट्रिन में परिवर्तित कर दिया गया है। नई योजनाओं में सेप्टिक टैंक युक्त फ्लश लेट्रिन हैं। नगर के आंशिक भाग में विद्यमान सीवेज व्यवस्था से बिना ट्रीटमेंट किये हुये सीवेज का सीधे ही सामुदायिक सेप्टिक टैंक, खुली भूमि अथवा नालों में निस्तारण हो रहा है।

विंगत् वर्षों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा नगर के अधिकांश भाग को सम्मिलित करते हुए समन्वित सीवरेज योजना तैयार की गई है। प्रथम चरण में एशियन विकास बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण द्वारा नगर के उत्तरी भाग में सीवरेज नेटवर्क विकसित किया गया है। वर्तमान में नगर विकास न्यास द्वारा द्वितीय चरण में चम्बल नदी के दोनों किनारों पर स्थित नगर के भाग एवं आंशिक दक्षिणी भाग को एन.आर.सी.पी. योजना के तहत एवं नगर के शेष दक्षिणी भाग को यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। नगर के दक्षिण में विकसित हो रही अधिकांश योजनायें चट्टानी भूमि पर स्थित हैं अतः इन योजनाओं में सीवर लाइन बिछाने का कार्य वर्तमान में भारी मशीनों की मदद से किया जा रहा है।

शहर में साजीदेहड़ा नाले के समीप किशोरपुरा दरवाजे के पास एवं ग्राम धाकड़खेड़ी के समीप 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गये हैं, जो कि अभी कार्यरत् नहीं हुआ है। चम्बल नदी के पश्चिम में नगरीय विस्तार की आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम बालिता के निकट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य निर्माणरत् है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से सीवेज का ट्रीटमेंट के उपरान्त ही निस्तारण किया जायेगा।

नगर के दक्षिण में विकसित हो रही अधिकांश योजनायें चट्टानी भूमि पर स्थित हैं अतः इन योजनाओं में सीवर लाइन बिछाने का कार्य वर्तमान में भारी मशीनों की मदद से किया जा रहा है, अतः यह वांछित है कि नये क्षेत्रों में योजनायें विकसित होने से पूर्व ही सीवर लाइन डाली जाए अन्यथा चट्टानी भूमि होने के कारण योजना विकसित होने के उपरान्त सीवर लाइन डालना तकनीकी दृष्टि से कठिन कार्य होगा। नगर के दक्षिण में स्थित ग्राम लखावा एवं रानपुर में प्रस्तावित नगरीय विकास की जल-मल निस्तारण हेतु ग्राम लखावा के दक्षिण में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-52के पश्चिम में जनोपयोगी सुविधाओं हेतु स्थल चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त बारां सङ्क उत्तरी योजना क्षेत्र के जल-मल निस्तारण हेतु ग्राम चन्द्रेसल के निकट भूमि प्रस्तावित की गयी है। सीवरेज एवं अपशिष्ट जल का परिशोधन किया जाकर उपचारित जल को औद्योगिक, कृषि, बागवानी आदि उपयोगों में लेने हेतु कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। अन्य

सभी प्रकार के व्यर्थ जाने वाले जल के सिंचाई, बागवानी इत्यादि में उपयोग की योजना तैयार की जानी चाहिए।

5.7 (6) स ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

स्वच्छ वातावरण के लिये घृणोत्पादक पदार्थों के निस्तारण एवं इसके पुनरुपयोग की उचित व्यवस्था आवश्यक है। सोलिड वेस्ट निस्तारण हेतु स्थलों का चयन नगर से दूर वायु की दिशा को देखते हुए किया जाना चाहिये। ईंट भट्टों व खदानों की अनुपयुक्त भूमि, यदि उपलब्ध हो तो, इस प्रकार के कार्य के लिये उपयोग में ली जा सकती है। वर्तमान में कोटा नगर में घरों से कूड़ा करकट के संग्रहण हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है एवं लोगों द्वारा सड़कों पर ही कूड़ा डाला जाता है, जिसका समय पर निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। इस कारण नगर में पर्यावरण प्रदूषण होता है।

अतः यह आवश्यक है कि घरों से निकलने वाले कूड़ा-करकट के संग्रहण हेतु उचित व्यवस्था की जाये, ताकि कचरा सड़कों पर नहीं रहे। साथ ही कूड़ा-करकट के संग्रहण एवं इसके निर्धारित स्थलों पर निस्तारण हेतु नगर निगम द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिये। वर्तमान में कोटा नगर में डाबी सड़क पर आबादी से दूर गढ़ों की नीची भूमि को सोलिड-वेस्ट डिस्पोजल हेतु चिन्हित किया गया है। नगर में वर्तमान एवं 2031 की भावी आवश्यकताओं के लिए उक्त स्थल पर्याप्त नहीं हैं। नगर का विकास अपने रेखीय विस्तार के स्वरूप को छोड़ अब चहुँओर हो रहा है। अतः विकास की सभी दिशाओं में निचले स्तर की भूमियों का चयन कर, उन्हें ठोस कचरा निस्तारण हेतु चिन्हित करना आवश्यक है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण उसी दिशा में किया जा सके एवं कचरा अनावश्यक रूप से नगर के मध्य से होकर नहीं ले जाना पड़े।

5.7 (6) द विद्युत आपूर्ति

नगर की जनसंख्या व आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ विद्युत की मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा

प्रस्तावित भू-उपयोग योजना को ध्यान में रखकर एक समन्वित योजना तैयार करना अपेक्षित है। मुख्य सड़कों, व्यवसायिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। प्रस्तावित भू उपयोग योजना में प्रमुख बाह्य मार्ग के सहारे दक्षिण में झालावाड़ सड़क के निकट एवं बून्दी सड़क पर चम्बल नदी के समीप, रानपुर ग्रोथ सेन्टर में, शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर एवं चन्द्रेसल सड़क पर, विद्युत उप केन्द्रों/जल आपूर्ति केन्द्रों की स्थापना, जनोपयोगी सुविधाओं हेतु आरक्षित वृहद स्थलों में निर्मित की जा सकेगी। सब स्टेशन एवं छोटे स्तर के केन्द्रों हेतु सैकटर प्लान एवं विस्तृत आवासीय योजना बनाते समय स्थल आरक्षित किये जायेंगे।

5.7 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में नगर में स्थित श्मशान और कब्रिस्तानों को चथावत रखा गया है, परन्तु जो श्मशान ओर कब्रिस्तान नगर के विकसित भागों में स्थित है उनमें चार दिवारी के साथ-साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि वातावरण पर विपरित प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशान और कब्रिस्तान मांग के अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से विद्युत चलित शवदाह गृह स्थापित किये जाने चाहिए एवं इनके प्रति आम जनता में जागरूकता हेतु उचित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

5.8 हाईवे / अन्य डबलपमेन्ट कन्ड्रोल योजना क्षेत्र

जयपुर – जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-52, पिण्डवाडा – शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (ईस्ट वेस्ट कोरिडोर का एक भाग), कोटा – लालसोट राज्य राजमार्ग-1ए तथा राज्य राजमार्ग-51 पर एवं इनके प्रस्तावित बाईपास मार्गों पर प्रस्तावित नगरीय भू-उपयोग सीमा के पश्चात् नगरीय क्षेत्र-2031 तक राजमार्गों के दोनों तरफ सड़क मार्गाधिकार एवं 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी के पश्चात् 500 मीटर की गहराई तक यह क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त धर्मपुरा जाने वाली सड़क व रंगपुर सड़क के दोनों तरफ सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् 500 मीटर की गहराई तक यह क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

यातायात के नियमों व मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का विकास किया जावेगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के सहारे नियंत्रित/नियोजित विकास सम्भव हो सके। आवश्यकता अनुरूप इस क्षेत्र की योजना भी प्रस्तावित की जा सकेगी। इस योजना क्षेत्र में इस संबंध में जारी राजकीय परिपत्र दिनांक – 12.05.2016 व 11.04.2017 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों में उल्लेखित भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे। किसी भी उपयोग को अनुज्ञेय किये जाने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों का ध्यान रखा जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावेगा :–

- 1) ग्रीन बिल्डिंग/इको फ्रेन्डली हाउसेज/फार्म हाउस
- 2) आई.टी.पार्क/बायोटेक पार्क
- 3) इंटिग्रेटेड आवासीय टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग
- 4) मोटल/रिसोर्ट/हॉलीडे कॉटेज रिसोर्ट/हेल्थ रिसोर्ट
- 5) एम्बूजमेन्ट पार्क/ अन्य पर्यटन सुविधाएँ
- 6) इंस्टीट्यूशनल/चिकित्सा/शैक्षणिक आदि
- 7) वेयर हाउसिंग/फ्लूड स्टोरेज गोदाम
- 8) जनोपयोगी सुविधाएँ
- 9) सामान्य व्यवसायिक/फ्यूअल स्टेशन/पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन
- 10) ट्रांसपोर्टेशन
(ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक स्टैण्ड/टर्मिनल्स/बस टर्मिनल/हाईवे फेसेलिटिज
- 11) कुटीर उद्योग
- 12) कृषि एवं डेयरी फार्म
- 13) ग्रामीण आबादी विस्तार एवं अनुसंधान उपयोग
- 14) परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय भू-उपयोग

यह भू-उपयोग राजमार्गों के साथ–साथ नगरीय विकास के ऐकीय स्वरूप को नियोजित तरीके से आत्मसात् करने में सहायक होगा। इस हेतु कुल 16357 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

5.9 विशेष क्षेत्र

प्रारूप मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित “विशेष क्षेत्र” भू उपयोग पूर्व मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत होने से इस क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 के भूउपयोग प्रभावी होंगे।

5.10 परिसंचरण

कोटा नगर सम्भागीय मुख्यालय है, जो कि संभाग के लिए न केवल एक प्रशासनिक एवं सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करेगा, अपितु व्यापार एवं व्यवसाय, उद्योग तथा शैक्षणिक कार्यों का भी प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। अतः नगर के लिये यात्रा सेवाओं एवं वस्तुओं के यातायात में सुगमता होना आवश्यक है। अतः इस व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर विकास न्यास द्वारा तैयार किये जा रहे कॉम्प्रेहेन्सिव मॉबिलिटी प्लान को शीघ्रता से अन्तिम रूप दिया जाकर इसका चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डीबी० सिविल रिट पीटीशन नं० 1554/2004 के अन्तर्गत हुए निर्णय एवं इसी क्रम में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक प10(44) नविवि /3/2009 पार्ट ॥ दिनांक 25/07/2017 के तहत कोटा शहर का मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को अग्रिम आदेश तक यथावत् रखा जाना है । मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित भूउपयोग, मास्टर प्लान-2023 के अनुरूप, राज्य सरकार के अग्रिम निर्देशों तक मान्य होंगे।

अतः कि 2031 की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित परिसंचरण नेटवर्क में न्यास द्वारा तैयार किये गये अनुमोदित सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों एवं अन्य प्रस्तावित सड़कों का समावेश किया गया है। अतः मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अंतः क्षेत्रों में भी प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित परिसंचरण नेटवर्क ही मान्य होगा।

5.10 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

5.10 (1) अ सड़कों का मार्गाधिकार

वर्तमान में जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 एवं पिण्डवाडा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग-27 नगर के मध्य से होकर गुजर रहे हैं एवं वर्तमान में इनके बाईपास निर्माणाधीन / प्रस्तावित हैं। बाईपास नहीं होने के कारण नगर के मध्य एकमात्र दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली स्टेशन सड़क पर स्थानीय यातायात एवं भारी यातायात का काफी दबाव है। फलस्वरूप नगर में यातायात, दुर्घटनायें एवं प्रदूषण संबंधित समस्यायें बहुतायत से उत्पन्न हो रही हैं। यह सड़क स्थानीय यातायात के लिए अपर्याप्त है। साथ ही सड़क के इर्द-गिर्द नगर की प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां होने के कारण इस सड़क से भारी यातायात ले जाना उचित नहीं है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-52 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के बाईपास हेतु शीघ्र व्यवस्था की जाये।

गत् वर्षों में उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु झालावाड सड़क को दक्षिण में नदी पार कर बून्दीसड़क से जोड़ते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग-52का बाईपास का कार्य निर्माणाधीन है। उक्त बाईपास हेतु चम्बल नदी पर नया गाँव के समीप पुल का निर्माण कार्य जारी है। उपरोक्त बाईपास के निर्माण से दक्षिण दिशा से आने वाला समस्त यातायात सीधे ही बून्दीसड़क की ओर निकल जायेगा एवं नगर में विद्यमान् स्टेशन सड़क को यातायात के वर्तमान् दबाव से राहत मिलेगी।

कोटा का प्रभाव क्षेत्र चम्बल सिंचित क्षेत्र में होने के कारण आसपास के क्षेत्रों जिसमें मुख्यतया: दाई मुख्य नहर एवं बाई मुख्य नहर से जुड़े क्षेत्र से कृषि उत्पाद कोटा नगर के घने विकसित क्षेत्र से होता हुआ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मण्डी (भामाशाह मण्डी) तक आता है। साथ ही बाराँ सड़क जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग-27 है, से भारी यातायात झालावाड सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-52) की तरफ नगर के मध्य घने विकसित क्षेत्र से होकर गुजरता था। उक्त यातायात नगर की वर्तमान स्टेशन सड़क पर से गुजरने के कारण यहाँ पर यातायात की काफी समस्यायें थीं। अतः बाराँ सड़क से आने वाले कृषि उत्पादों के भारी यातायात को सीधे कृषि उपज मण्डी ले जाने एवं अन्य

भारी यातायात को सीधे झालावाड़ सड़क पर ले जाने हेतु मास्टर प्लान में एक बाह्य सड़क निर्मित की गई है। यह बाह्य सड़क निर्मित होने से, जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का नगर के दक्षिण में प्रस्तावित बाईपास निर्मित नहीं होता है तब तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के रूप में भी कार्य कर रही है, जिससे नगर में यातायात समस्याओं से अस्थायी राहत मिली है।

नगर के मध्य स्थित स्टेशन सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए रेलवे लाईन के समानान्तर स्टेशन से औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क निर्मित की गयी है। इस सड़क के निर्माण से नगर के उत्तरी व दक्षिणी भाग में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के बीच सीधा सम्पर्क उपलब्ध हो सका है, जिससे कि बाराँ सड़क से आने वाला यातायात भी इस मार्ग का उपयोग कर सीधे दक्षिण में स्थित औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी तक जा सकता है। अतः इस उप प्रमुख सड़क के निर्माण से नगर के मध्य स्थित स्टेशन सड़क पर यातायात के दबाव में कमी आयी है।

पिण्डवाडा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-27) का वर्तमान अलाइनमेन्ट चम्बल नदी के पश्चिम में काफी धुमावदार एवं विकसित क्षेत्र के मध्य से होकर है। साथ ही इसका राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर मिलान बिन्दु चम्बल पुलिया के मुहाने पर लघु कोण के धुमाव पर है। अतः उक्त सड़क के अलाइनमेन्ट में परिवर्तन करते हुए नगर विकास न्यास द्वारा ग्राम नान्ता के पश्चिम से सीधा ही बून्दी सड़क पर मिलाने का कार्य विकासरत् है। दक्षिणी बाईपास के पूर्णतया विकसित होने तक यह सड़क नगर के भारी यातायात समस्या में राहत प्रदान करेगी।

नयापुरा से राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के वर्तमान मार्ग पर स्थित चम्बल पुल के दोहरीकरण का कार्य निर्माणाधीन है। इस पुल पर से राज्य राजमार्ग-52 का समस्त भारी यातायात इस पुल पर से गुजरता है एवं नगरीय यातायात में बाधाएं एवं रुकावटें उत्पन्न करता है। अतः यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोटड़ी चौराहे से बजरंग नगर को जोड़ने के लिए निर्माणरत् L-आकार के फ्लाईओवर का निर्माण भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

किशोरपुरा दरवाज़ा पुराने नगर एवं नये विकसित क्षेत्रों को जोड़ने वाला नगर कोट का एक महत्वपूर्ण दरवाज़ा है। यातायात को सुनियोजित करने हेतु किशोरपुरा सड़क से किशोरपुरा गेट के पश्चिम से गढ़ पैलेस तक 2 लेन एलिवेटेड सड़क बनायी गई है। साथ ही सूरजपोल दरवाजे के पास स्थित गुमानपुरा पुलिया के छोड़ाकरण का कार्य भी किया गया है। इससे पुराने नगर एवं नये विकसित क्षेत्रों के बीच आवागमन सुचारू हुआ है।

मास्टर प्लान-2031 में यातायात की समस्याओं के समाधान एवं नये सम्पर्कों के विकास तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु :-

1. बाराँ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-27) से आने वाला भारी यातायात सीधे ही नगर में प्रवेश किये बिना राष्ट्रीय राजमार्ग-52 तक जा सके। इस हेतु नगर विकास न्यास द्वारा उत्तरी बाईपास प्रस्तावित है, जो कि बाराँ सड़क को केशोरायपाटन सड़क (राज्य राजमार्ग-1ए) पर जोड़ेगा, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से जुड़ा हुआ है। इस बाईपास का निर्माण शीघ्र किया जाना आवश्यक है।
2. बाराँ सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र में स्थित चन्द्रेसल सड़क माला फाटक से रंग तालाब तक छोड़ाकरण का कार्य निर्माणाधीन है। ग्राम चन्द्रेसल के मध्य से यह सड़क काफी संकरी हो जाती है एवं रेलवे अण्डर पास भी भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहेगा। अतः इस सड़क को ग्राम चन्द्रेसल एवं उसके पार तक छोड़ा किया जाना प्रस्तावित है, जो कि उत्तरी बाईपास पर मिलाया जा सके।
3. कुन्हाड़ी, सकतपुरा स्थित आबादी क्षेत्र का पुराने शहर से सम्पर्क अधिकांशतः कोटा-बैराज की सेवा सड़क द्वारा होता है। कोटा-बैराज की सेवा सड़क यातायात की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहेगी। अतः कोटा-बैराज एवं चम्बल पुल के मध्य गढ़ पैलेस से कुन्हाड़ी को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल (निचले तल / उच्च तल) प्रस्तावित है।
3. नगर के यातायात के सुगम संचालन के लिए आवश्यक नगर में विभिन्न स्थलों विशेषकर रामपुरा बाजार, नयापुरा, भीमगंजमण्डी थाना, रेलवे स्टेशन, कोटड़ी-गुमानपुरा सड़क, छावनी छौराहा-गुमानपुरा सड़क, शॉपिंग

सेन्टर एवं पुराने नगर में केथूनीपोल, पाटनपोल इत्यादि इलाकों में पार्किंग स्थलों के विकास की योजना एवं मानचित्र तैयार किया जाना आवश्यक है, जिससे कि सड़कों के मार्गाधिकार में वाहन पार्क करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। नगर के सघन आबादी वाले इलाकों जहाँ पर पार्किंग स्थलों हेतु भूमि की उपलब्धता कीण है। वहाँ पर बहुमंजिला पार्किंग स्थलों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

4. बढ़ रहे दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों की संख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए सुचारू एम.आर.टी.एस. / बी.आर.टी.एस. व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जन साधारण को कार्य स्थलों तक पहुंचना आसान हो। इन सेवाओं के लिए अवरोध रहित मार्ग चिन्हित किये जाने चाहिए, जिससे कि नगरीय यातायात में बाधा / रुकावट उत्पन्न न हो। नई योजनाओं के विकास की रूपरेखा बनाते हुए नगरीय बस यातायात हेतु बस स्टैण्ड भी विकसित किये जाने चाहिए।
5. स्थानीय निकायों में नगरीय यातायात विकास एवं इसके सुगम संचालन / प्रबन्धन / क्रियान्वयन हेतु पृथक विशेषज्ञ इकाई / प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।
6. नगर में बढ़ रहे वाहनों की संख्या से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं इसके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। अतः नई विकसित की जा रही सभी योजनाओं में साईकिल गलियारों का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।
7. कोटा के महा नगरीय स्वरूप एवं वृहत्त आकार को ध्यान में रखते हुए, एटोड्राम चौराहे को केन्द्र बिन्दु मानते हुए, दक्षिणी बाईपास एवं उत्तरी बाईपास से पूर्व एक अंदर्लनी रिंग रोड का मार्ग प्रस्तावित है।
8. नगरीय यातायात के सुगम संचालन के लिए आवश्यक, चम्बल नदी पर स्थित कोटा बैराज की सर्विस सड़क के समानांतर 24 मीटर सड़क प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण हेतु चम्बल नदी पर उच्च स्तरीय पुल प्रस्तावित है।

मास्टर प्लान में दर्शित प्रमुख, उप प्रमुख एवं अन्य मुख्य सड़कों के निर्माण एवं नगर विकास न्यास द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख एवं उप प्रमुख सड़कों विभिन्न कार्यक्षेत्रों को जोड़ेंगी, जबकि मुख्य सड़कों विभिन्न आवासीय एवं कार्य केन्द्रों के मध्य सम्पर्क प्रदान करेंगी। अन्य सड़कों सेक्टर प्लान एवं विस्तृत आवासीय योजना बनाते समय निर्धारित की जायेंगी। यथा सड़कों का मार्गाधिकार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रखा जायेगा। वर्ष 2031 हेतु विभिन्न सड़कों का मानक मार्गाधिकार तालिका संख्या 23 एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका संख्या 24 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 23 सड़कों का मानक मार्गाधिकार

| क्र. सं. | श्रेणी | सड़क मार्गाधिकार (मीटर में) |
|----------|--|-----------------------------|
| 1 | राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं मुख्य बाह्य मार्ग | 60 |
| 2 | प्रमुख सड़कें | 48 |
| 3 | उप प्रमुख सड़कें | 36 |
| 4 | मुख्य सड़कें | 24/30 |
| 5 | अन्य मुख्य सड़कें | 18 |
| 6 | अन्य सड़कें | 18 से कम |

तालिका संख्या – 24 विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार – कोटा – 2031

| क्र. संख्या | सड़कों का विवरण | प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर में) |
|-------------|--|---|
| 1 | राष्ट्रीय राजमार्ग – 52, 27 एवं प्रस्तावित बाईपास | |
| अ | बून्दी सड़क – राष्ट्रीय राजमार्ग-52 | |
| | (1) चम्बल ब्रिज से केशोराचापाटन सड़क तक (2) केशोराचापाटन सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग – 52 जंक्शन तक (3) राष्ट्रीय राजमार्ग – 12 जंक्शन से नगरीय सीमा तक | 36 मीटर 48 मीटर 60 मीटर |

| | | |
|----------|--|--|
| ब | बाराँ सड़क – राष्ट्रीय राजमार्ग-27 | |
| | (1) अंटाघर चौराहे से 80 फुट सड़क जंक्शन तक (2) 80 फुट सड़क मोड़ से बोरखेड़ा तिराहे तक (3) बोरखेड़ा तिराहे से बाईपास सड़क तक (4) बाईपास सड़क से नगरीय सीमा तक | 24 मीटर 30 मीटर 36 मीटर 60 मीटर |
| स | डाबी सड़क | |
| | (1) महाराणा प्रताप जंक्शन से थर्मल रेलवे लाईन क्रॉसिंग तक (2) थर्मल रेलवे क्रॉसिंग से अभेड़ा सड़क मोड़ तक (3) अभेड़ा सड़क मोड़ से नगरीय सीमा तक | 30 मीटर 36 मीटर 60 मीटर |
| द | झालावाड़ सड़क | |
| | (1) अंटाघर चौराहा सड़क से दायीं मुख्य नहर तक (2) दायीं मुख्य नहर से कोटड़ी चौराहे तक (3) कोटड़ी चौराहा से छावनी जंक्शन तक (4) छावनी जंक्शन से एरोड्राम चौराहा तक (5) एरोड्राम सड़क से आई.पी.आई.ए. सड़क नं. 7 तक (6) आई.पी.आई.ए. सड़क नं. 7 से नगरीय सीमा तक | 48 मीटर 30 मीटर 48 मीटर 24 मीटर 48 मीटर 60 मीटर |
| २ | राज्य राजमार्ग ३३ एवं ५१ | |
| अ | रावतभाटा सड़क (एस.एच. ३३) | |
| | (1) एरोड्राम चौराहे से सीएडी चौराहे तक (2) सीएडी चौराहे से कोटा सरस डेयरी तक (3) कोटा सरस डेयरी से दक्षिणी बाईपास तक (4) दक्षिणी बाईपास से नगरीय सीमा तक | 48 मीटर 36 मीटर 48 मीटर 60 मीटर |
| ब | केशोरायपाटन सड़क (एस.एच.-३३) मेंगा हाईवे १-ए | |
| | (1) एन.एच. ५२ से बलार वितरिका (डिस्ट्रीब्यूटरी) तक (2) बलार वितरीका से नगरीय सीमा तक | 36 मीटर 60 मीटर |
| स | रंगपुर सड़क | |
| | (1) रेलवे ओवर ब्रिज से रंगपुर तक | 30 मीटर |
| द | कैथून सड़क (एस. एच.-५१) | |
| | (1) रेलवे लाईन से एन. एच.-२७ बाईपास तक (2) एन. एच.-२७ बाईपास से कैथून मास्टर | 36 मीटर 60 मीटर |

| | | |
|----------|--|--|
| | प्लान सीमा तक | |
| 3 | प्रमुख मार्ग (सड़कें) | |
| | (1) एरोड्राम चौराहे से कंसुआं जंक्शन तक (2) कंसुआं जंक्शन से डीसीएम चौराहे होते हुए, रायपुरा चौराहे तक (3) रायपुरा चौराहे से बोरखेड़ा तिराहे तक (4) देवली अरब ग्रामीण आबादी से पूर्व में मास्टर प्लान 36 मी. सड़क तक (5) मास्टर प्लान 36 मीटर सड़क से बारां सड़क, सेक्रेट हार्ट के समीप तक (6) महाराव भीमसिंह मार्ग – झालावाड़ सड़क से रावतभाटा सड़क तक (7) विकास पथ – गोबरिया बावड़ी चौराहे से गणेश विद्यार्थी सर्किल से होते हुए रावतभाटा सड़क पर सरस डेयरी तक (8) अनन्तपुरा से भामाशाह मण्डी रेलवे ओवर ब्रिज तक (9) रेलवे ओवर ब्रिज भामाशाहमण्डी से डीसीएम चौराहे तक (10) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से रानपुर आबादी तक | 48 मीटर 36 मीटर 36 मीटर 36 मीटर 48 मीटर 48 मीटर 48 मीटर 48 मीटर 36 मीटर 48 मीटर |
| 4 | उप प्रमुख सड़कें | |
| | (1) अमेड़ा मोड़ से स्टोन मण्डी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-52 तक (2) चन्द्रेसल सड़क-माला फाटक ओवर ब्रिज से रंग तालाब मोड़ तक (3) रंग तालाब मोड़ से आबादी से पहले तक प्रस्तावित उत्तर दक्षिण मास्टर प्लान सड़क तक (4) विकास पथ एवं एम.बी.एस. मार्ग के मध्य स्थित न्यास की योजनाओं में विकसित / विकासरत् अन्य सड़कें (5) एन. एच.-52 से न्यास की लखावा आवासीय योजना तक (6) अन्य प्रस्तावित उप प्रमुख सड़कें | 36 मीटर 18 मीटर 36 मीटर 36 मीटर 36 मीटर 36 मीटर |
| 5 | मुख्य सड़कें | |
| | (1) शास्त्री पार्क से स्टेशन सड़क हाट बाजार मोड़ तक (2) हाट बाजार सड़क मोड़ से नेहरू गार्डन होते हुए अंटाघर चौराहे तक (3) नेहरू गार्डन जंक्शन से कलेक्ट्रेट चौराहे तक | 48 मीटर 30 मीटर 30 मीटर |

| | | |
|---|--|---|
| | (4) बड़ तिराहे से तालाब के सहारे गीता भवन तक (5) गीता भवन से तालाब के सहारे कोटड़ी चौराहे तक (6) नाग-नागिन मन्दिर से बजरंग नगर होते हुए एस.पी. चौराहे तक (7) बाराँ सड़क पर रेलवे लाईन के सहारे संजय नगर होते हुए डकनिया रेलवे स्टेशन तक (8) एन. एच.-52 से बालिता सड़क पर नहर तक (9) बालिता सड़क नहर से बालिता तक (10) देवली अरब सड़क से स्प्रिंग डेल्स स्कूल व प्रस्तावित शैक्षणिक भूउपयोग के साथ साथ नहर तक प्रस्तावित सड़क। (11) अन्य प्रस्तावित मुख्य सड़कें | 24 मीटर 30 मीटर 24 मीटर 24 मीटर 18 मीटर 24 मीटर 24 मीटर 30/24 मीटर |
| 6 | उप मुख्य सड़कें | |
| | (1) बोरखेड़ा पुलिया की पूर्व दिशा में नहर के साथ-साथ उत्तर की ओर जाने वाली सड़क रेलवे हॉस्टिटल तक (2) बाराँ सड़क के दक्षिण में प्रस्तावित सेक्टर प्लान सड़कें (3) बाराँ सड़क के दक्षिण में प्रस्तावित सेक्टर प्लान में विकसित क्षेत्र के मध्य (देवली अरब सड़क से नहर के सहारे सहारे प्रस्तावित सड़कें (4) बालिता सड़क व केशोरायपाटन के मध्य प्रस्तावित सेक्टर प्लान सड़कें (5) केशोरायपाटन सड़क व रेलवे लाईन के मध्य माईनर के सहारे प्रस्तावित सड़कें (6) अन्य प्रस्तावित उप मुख्य सड़कें | 18 मीटर 18 मीटर 12 मीटर 18 मीटर 12 मीटर 18 मीटर |

उपरोक्त मापदण्ड न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं। जहाँ मौके पर अधिक सड़क चौड़ाई उपलब्ध / अनुमोदित हैं, वहाँ पर मार्गाधिकार कम नहीं किया जायेगा।

5.10 (1) ब सड़कों का चौड़ा करना एवं उनका सुधार

विभाग द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि सभी वर्तमान सार्वजनिक मार्ग जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भूमि उपयोग योजना में

प्रस्तावित किया गया है, जहां तक सम्भव हो मानक चौड़ाई के होंगे, किन्तु नगर के भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण तथा नगर के बीच सड़कें चौड़ी किया जाना सम्भव नहीं है या सड़क चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अधिक संख्या में इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानक को माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-52 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-27 का वह भाग जो वर्तमान में नगर के मध्य से होकर गुजरता है। बाईपास बनने के पश्चात् उपलब्ध मार्गाधिकार अनुसार उप प्रमुख / मुख्य सड़क के रूप में नियमित किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित् किया जाये कि भविष्य में किये जाने वाले समस्त विकास कार्य भू-उपयोग में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हों। जहां तक आवश्यक हो, नगर के महत्वपूर्ण चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों की विस्तृत कार्य योजनाएँ बनाकर उनके अनुरूप ही विकास कार्य किये जाने चाहिए।

राजमार्ग एवं प्रमुख बाह्य मार्ग, जिनका मार्गाधिकार 200 फीट व 160 फीट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी निर्धारित किया जावे, के दोनों ओर सड़क के मध्य से 70 फीट / 60 फीट मार्गाधिकार के अनुपातिक दूरी रखते हुए, क्रमशः 16 फीट या 12 फीट चौड़ी सर्विस सड़क रखी जावेगी। इस सर्विस सड़क के बाहर की तरफ दोनों ओर विद्युतीकरण एवं हस्तियाली के लिये क्रमशः 14 फीट / 8 फीट अथवा मार्गाधिकार की समुचित चौड़ाई के अनुपात में अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ा जायेगा।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित मुख्य एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों के मार्गाधिकार में पर्याप्त परिमाप की सर्विस डक्ट का प्रावधान आवश्यक रूप से रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे कि समस्त प्रकार की सर्विस लाईनों के लिए भविष्य में सड़कों की टूट-फूट न हो।

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राजमार्गों / बाईपास के सहारे सभी विकासकर्ताओं द्वारा उपरोक्त मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी सघन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों व दक्षिण में रानपुर ग्रोथ सेन्टर को जोड़ने वाली उप प्रमुख सड़क के दोनों ओर 500 मीटर की गहराई तक प्रस्तावित नगरीय भू-उपयोगों की सीमा के पश्चात्

हाईवे/अन्य डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तत्पश्चात् परिधी नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में समस्त अनुज्ञेय विकास स्वीकृत किये जा सकेंगे।

5.10 (1) स चौराहों का सुधार

राष्ट्रीय राजमार्ग-12, राष्ट्रीय राजमार्ग-27 एवं मेंगा हाईवे-1ए, राज्य राजमार्ग-33 तथा राज्य राजमार्ग-51 नगर के मध्य से गुजरने से विभिन्न चौराहों पर नगरी यातायात एवं भारी यातायात का अतिरिक्त दबाव रहता है, जिनमें एरोड्राम चौराहा, कोटड़ी चौराहा, अण्टाघर चौराहा, नयापुरा चौराहा, आई.एल. चौराहा, घोड़े वाला बाबा चौराहा, सी.ए.डी. चौराहा, गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहा, रायपुरा चौराहा, डी.सी.एम. चौराहा इत्यादि प्रमुख हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त रंगबाड़ी सड़क पर केशवपुरा चौराहा, महावीर नगर चौराहा इत्यादि पर भी यातायात की समस्या रहती है।

हालांकि राजमार्गों के बाईपास निर्माण से नगर में भारी यातायात प्रवेश निषेध होगा एवं नगरीय यातायात सुचारू हो सकेगा। परन्तु दिनों-दिन बढ़ रहे वाहनों की संख्या के कारण नगरीय यातायात प्रबंधन एक चुनौती होगा। अतः नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों की कार्य योजना तैयार कर नियोजित तरीके से चौराहों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नये विकसित होने वाले क्षेत्रों में पहले से ही विभिन्न चौराहों की कार्ययोजना तैयार कर चौराहों का विकास किया जाना प्रस्तावित है ताकि भविष्य में यातायात की समस्या उत्पन्न न हो।

5.10 (1) द पार्किंग व्यवस्था

नगर के व्यस्त क्षेत्रों, परकोटा नगर, छोटा तालाब क्षेत्र, गुमानपुरा, शोपिंग सेंटर, मोटर मार्केट, रंगबाड़ी सड़क, रेलवे स्टेशन के समीप इत्यादि जगहों पर पार्किंग का उचित प्रावधान नहीं है। इन क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त नगर में बिना उचित पार्किंग प्रावधान छोड़े व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं, जिसके कारण पार्किंग की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। अतः उक्त स्थलों पर उचित पार्किंग स्थल विकसित किया जाना अति आवश्यक है।

नगर के यातायात के सुगम संचालन के लिए आवश्यक नगर में विभिन्न स्थलों विशेषकर रामपुरा बाजार, नयापुरा, भीमगंजमण्डी थाना, रेलवे स्टेशन, कोटड़ी-गुमानपुरा सड़क, छावनी चौराहा-गुमानपुरा सड़क, शॉपिंग सेन्टर एवं पुराने नगर में केथूनीपोल, पाटनपोल इत्यादि इलाकों में पार्किंग स्थलों के विकास की योजना एवं मानविक्री तैयार किया जाना आवश्यक है, जिससे कि सड़कों के मार्गाधिकार में वाहन पार्क करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। नगर के सघन आबादी वाले इलाकों जहाँ पर पार्किंग स्थलों हेतु भूमि की उपलब्धता क्षीण है, वहाँ पर बहुमंजिला पार्किंग स्थलों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थानीय निकायों द्वारा की जाने वाली विभिन्न निर्माण स्वीकृतियों जैसे कि बहुमंजिले आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसर इत्यादि में पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जावे।

5.10 (2) बस तथा ट्रक टर्मिनल

1. परिवहन नगर

मास्टर प्लान-2023 की भू-उपयोग योजना के अन्तर्गत झालावाड़ सड़क पर 200 फीट चौड़ी रिंग रोड़ पर अनन्तपुरा योजना के समीप परिवहन नगर, नगर विकास न्यास द्वारा विकसित किया जा रहा है, जहाँ पर नगर के मध्य डी.सी.एम. सड़क, पुराना नगर क्षेत्र इत्यादि स्थलों से ट्रान्सपोर्ट गतिविधियों को आंशिक रूप से स्थानान्तरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त झालावाड़ सड़क पर प्रस्तावित बाईपास, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी के समीप 168 एकड़ भूमि पर परिवहन नगर हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। चम्बल नदी के पश्चिम में पत्थर मण्डी सम्बन्धित गतिविधियों को देखते हुए एवं इस क्षेत्र में विकसित फ्लाईऐश उद्योग एवं कृषिगत उत्पादों के आवागमन के दृष्टिगत बून्दी सड़क पर पूर्व में ही लगभग 295 एकड़ भूमि परिवहन नगर के लिए प्रस्तावित की गई है। जिसमें से 113 एकड़ भूमि मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अतिरिक्त प्रस्तावित है। साथ ही शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में भी लगभग 13 एकड़ अतिरिक्त भूमि परिवहन नगर / ट्रक टर्मिनल हेतु प्रस्तावित है।

2. सार्वजनिक बस सेवा

प्रस्तावित सड़क संरचना काफी हद तक यातायात स्थिति के सुधार में सहायक होगी। विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को कार्य केन्द्रो से सार्वजनिक परिवहन तत्र द्वारा जोड़कर नगर की यातायात सम्बन्धित समस्याओं को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। बढ़ रहे दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों की संख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए सुचारू नगर बस सेवा / एम.आर.टी.एस. / बी.आर.टी.एस. की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जन साधारण को कार्य स्थलों तक पहुंचना आसान हो। अतः विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए नगर बस सेवा विकसित की जानी चाहिए। इन सेवाओं के लिए अवरोध रहित मार्ग चिन्हित किये जाने चाहिए, जिससे कि नगरीय यातायात में बाधा / रुकावट उत्पन्न न हो। नई योजनाओं के विकास की रूपरेखा बनाते हुए नगरीय बस यातायात हेतु बस स्टैण्ड भी विकसित किये जाने चाहिए।

3. बस अड्डा

विद्यमान बस अड्डे के पहुंच मार्ग पर चम्बल पुलिया से तेज घुमाव होने के कारण यहां पर यातायात समस्याँ पैदा होती हैं, साथ ही उक्त भूमि पर बस अड्डा के विस्तार हेतु भी और भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः मास्टर प्लान-2023 की भू-उपयोग योजना के अन्तर्गत बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित करने हेतु मास्टर प्लान में डी.सी.एम. सड़क पर प्रस्तावित स्थल पर नगर विकास न्यास की लगभग 3 एकड़ भूमि पर नया बस अड्डा निर्माणरत् है। इसके अतिरिक्त नगर के दक्षिण में विकसित नये क्षेत्र की सुविधा के दृष्टिगत महाराव भीमसिंह मार्ग पर झालावाड़ सड़क के समीप लगभग 15 एकड़ भूमि पूर्व में ही बस अड्डा स्थल हेतु आरक्षित की गई है। मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित रानपुर ग्रोथ सेन्टर एवं शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में दो स्थलों पर कुल लगभग 38 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर बस अड्डे प्रस्तावित किये गये हैं।

5.10 (3) रेल व हवाई सेवा

1. रेलवे

वर्तमान रेलवे स्टेशन कोटा नगर के उत्तर में स्थित है, जबकि कोटा नगर का अधिकांश विस्तार नगर के दक्षिण में हुआ है। इससे उत्तर-दक्षिण दूरी लगभग 25 कि.मी. तक हो गई है। अतः यह प्रस्तावित है कि नगर के दक्षिण में डकनिया रेलवे स्टेशन को यात्रियों एवं माल की सुविधा की दृष्टि से विकसित किया जावे एवं यहां पर एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव किया जाये। कतिपय तकनीकी कारणों से यदि डकनिया रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव ना हो, तो वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डाढ़देवी रेलवे स्टेशन अथवा अन्य कहीं इस तरह की संभावना तलाशा जाना आवश्यक है। साथ ही रेलवे लाईन के सहारे स्थित रेलवे सीमा/सम्पत्ति में वृक्षारोपण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना आवश्यक है, ताकि रेलमार्ग से नगर में प्रवेश करते समय अच्छा दृश्य प्रस्तुत हो। वर्तमान स्थित समपार फाटकों पर भविष्य में सड़क यातायात को बेहतर तरीके से नियंत्रण करने के लिए समपार फाटकों को बंद करके रेलवे ओवर ब्रिज बनाने चाहिए। रेलवे भूमि सीमा से 100 फीट तक कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जाये।

2. हवाई सेवा

नगर में वर्तमान हवाई अडडा नगर के मध्य घने विकसित क्षेत्र में स्थित है। अतः यह स्थल सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। साथ ही यहां पर उपलब्ध स्थल नियमित सेवा एवं बड़े वायुयानों के संचालन हेतु अपर्याप्त हैं। अतः इसकी मूल्यवान भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग कर इसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। हवाई अडडा हेतु शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में राजस्व ग्राम रामपुरिया स्थित भूमि (लगभग 571 एकड़) एवं जाखमुण्ड स्थित कुछ भूमि (लगभग 92 एकड़) सहित कुल 663 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.11 परिधि नियन्त्रण पट्टी

नगर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियन्त्रण के उद्देश्य से 2031 तक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में आने वाली भूमि का उपयोग कृषि, वन विकास एवं इसके सहायक क्रिया कलापों एवं खनन (स्थल की उपयुक्तता के आधार पर) आदि के लिये किया जा सकेगा। इससे परिधि नियन्त्रण पट्टी में आने वाले ग्रामों, जो कि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 2031 के बाहर हैं, का विकास नियन्त्रित एवं योजनाबद्ध होगा। नगरीयकरण योग्य सीमा व अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य स्थित सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में आता है। इस योजना क्षेत्र में मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत् लगभग 48,621 एकड़ व शेष मास्टर प्लान-2031 के अन्तर्गत् लगभग 61,818 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित है। अतः इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1,10,439 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में अधिसूचित नगरीय सीमा के अन्दर स्थित ग्राम आबादी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। इस योजना क्षेत्र में ग्राम अलनियां में निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय स्थित है।

परिधि नियन्त्रण क्षेत्र का उद्देश्य नगर की परिधि पर व सड़कों के किनारे होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। इस योजना क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग एवं उसकी सहायक गतिविधियां, कृषि सेवा केन्द्र, फार्म हाउस, सीमित खनन कार्य व क्रेशर, मोटल, रिसोर्ट, एम्बूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, दूध डेयरी, कुककुट शालाएँ, फलोद्यान, पेट्रोल पम्प, गैस एवं अन्य ज्वलन शील पदार्थों के गोदाम, ईंट भट्टा व चूना भट्टा एवं जनोपयोगी सुविधाएँ जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल एवं ग्रिड सब स्टेशन इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं।

परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत् प्रस्तावित सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक व जनउपयोगी सुविधाएं स्वीकृत की जा सकेंगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग एवं अल्प आय वर्ग तबकों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाएं यथा हाउसिंग फॉर ऑल,

मुख्यमंत्री जनआवास योजना आदि भी परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय होंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार अनुज्ञेय गतिविधियां भी स्वीकृत की जा सकेंगी। नगरीय सीमा के अन्दर स्थित ग्रामों को नगरी ग्रामों के रूप में विकसित किया जायेगा, ताकि आस-पास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। नगर में स्थित ईंट भट्टा को योजनाबद्ध रूप से परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में उचित स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु चयनित स्थल भी परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में विकसित किये जा सकेंगे।

5.11 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर किन्तु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गांवों का विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। गांवों का प्राकृतिक आबादी विस्तार नियोजित रूप से बढ़ने दिया जायेगा, ताकि व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित ढंग से आबादी का विस्तार हो सके। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

ग्रामीण आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवों को नियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार योजना बनाई जायेंगी, जिसमें आवश्यक भू-उपयोग को समायोजित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों की दर्ज आबादी से 500 मीटर की परिधि में उपलब्ध न्यास/राजकीय भूमि पर न्यास द्वारा आवासीय एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु योजनाएं सूजित की जा सकेंगी एवं इन योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों को नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

5.12 विशेष नगरीय विस्तार केन्द्र

मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात् प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल में रानपुर ग्रोथ सेन्टर एवं शम्पूरा ग्रोथ

सेन्टर के अन्तर्गत् लगभग कुल 15,647 एकड़ भूमि में विभिन्न नगरीय भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं।

5.12 (1) रानपुर ग्रोथ सेन्टर

रानपुर ग्रोथ सेन्टर को मास्टर प्लान-2031 में पृथक से योजना क्षेत्र माना गया है। ग्राम रानपुर के समीप काफी मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है, अतः यह योजना क्षेत्र एक आत्म निर्भर, रोजगारोन्मुखी नियोजित ग्रोथ सेन्टर की तरह विकसित किया जायेगा। नगर के बढ़ते विस्तार एवं आकार को देखते हुए कोटा के दक्षिण में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले आन्तरिक पलायन को नगर के बाहरी क्षेत्रों में स्थान एवं नगरीय सुविधाएँ देने के लिए रानपुर ग्रोथ सेन्टर की परिकल्पना की गयी है। नगर के दक्षिण में नगरीय विस्तार से करीब 5 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से 2 कि.मी. की दूरी पर रीको द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जिसमें वर्तमान में कई मध्यम व लघु उद्योग व कृषि आधारित उद्योग स्थित हैं। साथ ही रीको द्वारा एक संस्थानिक क्षेत्र भी विकसित किया गया है, जिसमें 6 अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, दन्त चिकित्सालय महाविद्यालय एवं कई अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। निकट ही भीमपुरा औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित है। रानपुर में सरकारी भूमि पर नगर विकास न्यास की कई आवासीय एवं संस्थागत योजनाएँ भी विकासरत है। इस योजना क्षेत्र से कुछ दूर ग्राम अलनिया में निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित हुआ है।

नगर के इस भाग में वृहद शैक्षणिक संस्थान जैसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (I.I.I.T.) एवं निजी क्षेत्र के दो विश्वविद्यालय भी प्रस्तावित हैं। इस योजना क्षेत्र में अन्य नगरीय गतिविधियों हेतु वाणिज्यिक, भण्डारण एवं गोदाम, सैटेलाइट अस्पताल, अन्य सामुदायिक सुविधायें, बस अड्डा, ट्रक ट्रॅक्सिनल एवं जनोपयोगी सुविधाओं हेतु भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों एवं डेयरी उद्योगों हेतु औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी प्रस्तावित किया गया है।

रानपुर को कोटा शहर से जुड़ाव के लिए तीन वैकल्पिक मार्गों का प्रावधान रखा गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग-52से सम्पर्क सड़क, ग्राम बंधा एवं धर्मपुरा सड़क दक्षिणी बाईपास पर स्थित अण्डरपास से होते हुए एवं ग्राम लखावा होते हुए गणेश उद्यान के समीप से शहर में प्रवेश करने वाली सड़क। इन सम्पर्कों को शीघ्र ही पूर्ण तरह विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि रानपुर ग्रोथ सेन्टर नगरीय गतिविधियों एवं कोटा शहर की मुख्य धारा से अलग-थलग ना रहे। रानपुर ग्रोथ सेन्टर में प्रस्तावित भू-उपयोगों को तालिका संख्या 25 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 25 प्रस्तावित भू-उपयोग-रानपुर ग्रोथ सेन्टर – 2031

| क्र. सं. | विवरण | भू-उपयोग क्षेत्रफल (एकड़ में) | प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का % | नगरीकरण योग्य क्षेत्र का % |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | आवासीय | 1,992.00 | 19.89 | 18.82 |
| 2 | वाणिज्यिक | 314.00 | 3.14 | 2.97 |
| 3 | औद्योगिक | 1,005.00 | 10.04 | 9.50 |
| 4 | सरकारी एवं अर्द्धसरकारी | 27.00 | 0.27 | 0.26 |
| 5 | आमोद-प्रमोद | 18.00 | 0.18 | 0.17 |
| 6 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 873.00 | 8.72 | 8.25 |
| 7 | हाईवे / अन्य डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र | 5,296.00 | 52.89 | 50.05 |
| 8 | परिसंचरण | 488.00 | 4.87 | 4.61 |
| | कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र | 10,013.00 | 100.00 | 94.62 |
| 9 | जलाशय | 375.00 | | 3.54 |
| 10 | कृषि एवं पौधशालाएं | 86.00 | | 0.81 |
| 11 | सरकारी आरक्षित | 108.00 | | 1.02 |
| 12 | राख निस्तारण | 0.00 | | 0.00 |
| | नगरीकरण योग्य क्षेत्र | 10,582.00 | | 100.00 |

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान।

रानपुर योजना क्षेत्र में नगर के दक्षिण –पश्चिम में रावतभाटा सड़क पर स्थित रथकाँकरा ग्राम के निकट विकसित नगरीय गतिविधियों के मद्देनजर ग्राम आबादी को विस्तार देते हुए नियमित आकार में विभिन्न नगरीय भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 685 एकड़ है। इस क्षेत्रफल को रानपुर योजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल की गणना में ही सम्मिलित किया गया है। कुल प्रस्तावित क्षेत्र में से 543 एकड़ आवासीय, 9 एकड़ वाणिज्यिक, 8 एकड़ जनोपयोगी सुविधाएँ, 52 एकड़ सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, 13 एकड़ आमोद–प्रमोद तथा 60 एकड़ भूमि परिसंचरण प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है। इन भू–उपयोग के क्षेत्रफल को भू–उपयोग योजना सारणी संख्या–25 की गणना में सम्मिलित किया गया है।

5.12 (2) शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर

शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर, मास्टर प्लान–2031 में बृद्धी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र का भाग है। राजस्व ग्राम शम्भूपुरा एवं निकटवर्ती ग्राम रामपुरिया में काफी मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है, अतः यह योजना क्षेत्र एक रोजगारोन्मुखी विकास के लिए विकसित किया जायेगा। रामपुरिया स्थित सरकारी भूमि पर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी आवासीय योजना विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। नगर के पश्चिमी दिशा में बढ़ते विस्तार एवं आकार को देखते हुए कोटा से बृद्धी के मध्य में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से कोटा की ओर होने वाले पलायन को नगर के बाहरी क्षेत्र में स्थान एवं नगरीय सुविधाएँ देने के लिए भी शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर की विकास योजना तैयार की गयी है। कोटा नगर के लिए नये प्रस्तावित हवाई अड्डे के अतिरिक्त नगरीय विकास के सभी भू–उपयोगों जैसे आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के लिए यहाँ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस क्षेत्र में पत्थर व्यवसाय की संभावनाओं के दृष्टिगत् थोक पत्थर व्यवसाय हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। समीप ही भण्डारण एवं गोदाम व औद्योगिक प्रयोजनार्थ एवं ट्रांसपोर्ट नगर हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जो कि उक्त क्षेत्र में आर्थिक अवसर उपलब्ध करायेंगे। तालिका संख्या 26 शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर में इन सुविधाओं का वितरण दर्शाती है –

तालिका संख्या – 26
प्रस्तावित भू-उपयोग-शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर – 2031

| क्र. सं. | विवरण | भू-उपयोग क्षेत्रफल (एकड़ में) | प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का % | नगरीकरण योग्य क्षेत्र का % |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | आवासीय | 728.00 | 15.52 | 14.37 |
| 2 | व्यावसायिक | 238.00 | 5.07 | 4.70 |
| 3 | औद्योगिक | 76.00 | 1.62 | 1.50 |
| 4 | सरकारी एवं अर्द्धसरकारी | 36.00 | 0.77 | 0.71 |
| 5 | आमोद-प्रमोद | 144.00 | 3.07 | 2.84 |
| 6 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 235.00 | 5.01 | 4.64 |
| 7 | हाईवे / अन्य डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र | 1968.00 | 41.96 | 38.85 |
| 8 | परिसंचरण | 1265.00 | 26.97 | 24.98 |
| | कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र | 4690.00 | 100.00 | 92.60 |
| 9 | जलाशय | 195.00 | | 3.85 |
| 10 | कृषि एवं पौधशालाएं | 180.00 | | 3.55 |
| 11 | सरकारी आरक्षित | 0.00 | | 0.00 |
| 12 | राख निस्तारण | 0.00 | | 0.00 |
| | नगरीकरण योग्य क्षेत्र | 5065.00 | | 100.00 |

स्रोत: नगर नियोजन विभाग एवं सलाहकार अनुमान।

5.13 बाढ़ नियंत्रण

कोटा नगर में दक्षिण से उत्तर की ओर तेज ढलान वाली पठारी भूमि स्थित है। नगर के मध्य से गुजरने वाले प्रमुख नालों के दक्षिण पठार कैचमेन्ट क्षेत्र में वर्षा होने से यह समस्त पानी एक साथ कोटा नगर की ओर आता था। फलस्वरूप कोटा नगर में विकसित हुई नई कॉलोनियों में और औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़ की समस्याएं पैदा हो जाती थीं। इस कारण विगत् कई वर्षों में काफी जान व माल की हानि हुई।

अतः दक्षिणी पठारी क्षेत्र से कोटा नगर की ओर आने वाले पानी को नियन्त्रित करने हेतु विस्तृत कार्य योजना बना कर डायवर्जन चैनल का निर्माण किया

गया, जो कि ग्राम बंधा एवं धर्मपुरा की दिशा से आने वाले बारिश के पानी को चम्बल नदी की तरफ मोड़ता है। इस प्रथम चरण के डायवर्जन चैनल के निर्माण से विंगत् 5 वर्षों में कोटा नगर को बाढ़ की विकट समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। डायवर्जन चैनल के द्वितीय चरण का कार्य विकासरत् है।

इसी प्रकार अन्य दिशाओं से नगर के ओर आने वाले बारिश के पानी के प्रबंधन हेतु अन्य डायवर्जन चैनल, तालाब संरक्षण, चैक डेम निर्माण, एनिकट निर्माण इत्यादि विकल्पों पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। बाढ़ नियन्त्रण योजना क्रियान्वयन होने के पश्चात् नगर के मध्य स्थित मौजूदा नालों में पानी का फैलाव कम हो जायेगा। इससे नालों के सहारे बेकार पड़ी बहुमूल्य भूमि का विभिन्न नगरीय उपयोगों हेतु उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा इन भूमियों पर अतिक्रमण एवं कच्ची बस्तियों का निर्माण एवं अनियोजित वाणिज्यिक विकास इत्यादि विकसित होने की सम्भावना बनी रहती है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही बाढ़ के दौरान इन क्षेत्रों में जानमाल की हानि की भी आशंका बनी रहती है।

5.14 क्षेत्रीय विकास

कोटा नगर के सही मायने में विकास के लिये इसके प्रभाव क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। उक्त विकास को दिशा प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। इसके लिये विभिन्न संसाधनों एवं क्षमताओं का अध्ययन कर क्षेत्रीय सड़क, रेल एवं हवाई सम्पर्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। पदानुक्रम में कस्बों व गांवों की पहचान कर विभिन्न स्तर की सुविधाएँ विकसित की जाना प्रस्तावित है। लघु एवं मध्यम स्तर के कस्बों को सैटेलाइट विकास केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ताकि नगर में आस-पास के क्षेत्रों से होने वाले आंतरिक पलायन पर अंकुश लगे। इन कस्बों / ग्रामों में नगर स्तरीय सुविधाओं का विकास किया जाना एवं आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

6

योजना का क्रियान्वयन

योजना का क्रियान्वयन

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्ति रूप प्रदान किया जा सकता है जब इसको क्रियान्वयन करने के लिये शक्तिशाली कदम निर्धारित समय में उठाये जायें। कोटा का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करते वक्त एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण का आधार बनाया गया है। वर्तमान उद्योगों को कम से कम स्थान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं को पर्याप्त स्तर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नगर में अच्छी सुविधाएँ विकसित करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने और कोटा को आवास एवं पर्यटन की दृष्टि से स्वास्थ्यकर स्थान बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही योजना को तैयार किया गया है।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान स्थानीय अभिकरण, यथा सम्भव नगर निगम का गठन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं नगर विकास न्यास का गठन राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकायों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से विनियमित किया जा सके। हालांकि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिकाओं / निगमों को समुचित अधिकार प्रदान किये गये हैं। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएँ भी कार्यरत हैं, जो अपने कार्य क्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं।

6.2 प्रस्तावित आधार

खण्ड क्रिया पर आधारित विखण्डित प्रगति, समन्वित विकास की योजनाओं में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिये योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त अधिकार, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह एकल विकास एवं समन्वयक संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके। अतः प्रस्तावित क्रिया गया है कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार प्रदान किये जाये, जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास क्रियाओं पर इनका समग्र नियन्त्रण हो। इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

किसी भी नगर का विकास अन्ततः उसके नागरिकों की आशाओं एवं आकांशाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान के उद्देश्यों की त्वरित प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि नागरिकों को सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाये। कोई भी योजना जो जनता के हित एवं कल्याण हेतु बनाई जाती है, जनता की सक्रिय सहभागिता के बिना किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकती है।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं अवाप्ति

मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क विन्यास तथा विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं तथा विशेष बाजारों के भू-उपयोग का स्थल पर अंकन नहीं होने से आम जनता को उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती। अतः यह आवश्यक है कि नगर विकास न्यास मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों, विशेष बाजारों एवं सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग का स्थल पर अंकन करें, जिससे उन प्रस्तावित सड़कों एवं भू-उपयोग के स्थलों में अनाधिकृत निर्माण या विकास नहीं हो। मास्टर प्लान के विभिन्न योजना क्षेत्रों के मानचित्र मुख्य स्थलों पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किये जायें।

साथ ही यह भी आवश्यक है कि विभिन्न सड़कों, विशेष बाजारों एवं सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू-उपयोगों के अन्तर्गत् आ रही निजी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नगर विकास न्यास/सम्बन्धित विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से की जाये, जिससे आम जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं एवं अधिकार से वंचित नहीं रहें तथा मास्टर प्लान में प्रस्तावित सुनियोजित विकास की उपलब्धि हाँसिल की जा सके। निजी भूमि पर योजनाओं के विकास हेतु अन्य राज्यों में प्रचलित नगर नियोजन नियमों का अध्ययन कर व्यावहारिक व्यवस्था लागू की जाना प्रस्तावित है।

मास्टर प्लान में भू-उपयोग सामान्य रूप से ही दर्शाया जाता है। भू-उपयोग निश्चित् करना एक जटिल प्रक्रिया है, इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि ही अंतिम निर्णय देने के लिये सक्षम हैं। यह भी संभव है कि पूर्व में हुए कुछ भू-उपयोग परिवर्तन सहवन (त्रुटिवश) से छूट सकते हैं, अतः उनकी जानकारी होने पर उन्हें समायोजित कर लिया जायेगा।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ / अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये भू-योजना मानचित्र-2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

सहवन से यदि सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई स्वीकृति यथा 90 बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपान्तरण व नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, योजना का अनुमोदन, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं हो पाया है, तो उसे समायोजित माना जाएगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र, वन भूमि आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है, तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों तथा

जलाशयों, वन भूमि इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास / निर्माण / नियमन / रूपांतरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों।

प्रस्तावित नगरीय उपयोगों के मध्य यदि कोई वन भूमि स्थित है तो उसको यथावत वानिकी उपयोग हेतु ही आरक्षित रखा जायेगा। मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुसार संबंधित नगरीय उपयोगों हेतु योजनाएं अनुमोदित करते समय वन भूमि को यथावत वानिकी उपयोग हेतु ही रखा जायेगा। यदि वन विभाग द्वारा वन भूमि पर किसी उपयोग हेतु भूमि हस्तान्तरित/अनुमति प्रदान की जाती है तदानुसार भू-उपयोग हेतु योजना स्वीकृत की जा सकेगी।

क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

6.5 विस्तृत योजना हेतु अतिरिक्त बिन्दु

कोटा मास्टर प्लान-2031 की सफल क्रियान्विति हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाते समय निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी :-

6.5 (1) कोटा मास्टर प्लान में विभिन्न स्थलों पर बस अड्डे हेतु स्थल आरक्षित किये गये हैं। आवश्यकताओं के दृष्टिगत इन स्थलों की विस्तृत कार्य योजना बनाते समय इन्ट्रा-सिटी बस अड्डे हेतु भी भूमि आरक्षित की जावे।

6.5 (2) आपदा प्रबन्धन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, विभिन्न विभागों के प्रावधान यथा नगर निगम एवं नगर विकास न्यास के भवन विनियम, सिंचाई विभाग के उच्चतम बहाव स्तर (HFL), विद्युत विभाग के सुरक्षात्मक मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।

6.5 (3) चम्बल पार क्षेत्र में विकास के दृष्टिगत खेड़ली फाटक सड़क को बालिता सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता है। इस हेतु इस एलाइनमेंट में चम्बल नदी पर अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस सड़क पर भविष्य में यातायात की दृष्टि से वर्तमान चोड़ाई 60 फीट को बढ़ा कर 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है।

6.5 (4) शहर के मध्य चल रही औद्योगिक इकाईयाँ, गोदाम एवं अन्य गतिविधियाँ जिनके कारण पर्यावरण एवं यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है, को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु पृथक से नीति निर्धारित की जावे।

6.5 (5) भावी विकास हेतु चम्बल नदी के दोनों किनारों पर न्यूनतम 30 मीटर एवं जलाशयों, नहरों व प्रमुख नालों इत्यादि के साथ- साथ विस्तृत

योजना बनाते समय न्यूनतम 12 मीटर बफर जोन छोड़ा जावे जिसमे सड़क / वृक्षारोपण / हरितिमा पट्टी का प्रावधान रखा जा सकेगा।

6.5 (6) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/ प्रस्तावित बाईपास सड़कों के मार्गाधिकार 200 फीट अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मानदण्डों जो भी अधिक हो के अनुरूप रखे जाकर इन राजमार्गों के दोनों ओर 30 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी रखी जावेगी। सड़क के मार्गाधिकार में दोनों ओर उपयुक्त चौड़ाई की सर्विस सड़क का प्रावधान रखा जावेगा ताकि बाईपास के साथ-साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित क्षेत्र के विकास से यातायात का दबाव सीधे राजमार्ग पर न हो एवं शहरी एवं क्षेत्रीय यातायात को पृथक किया जा सके।

6.6 उपसंहार

कोटा नगर का यह मास्टर प्लान (प्रारूप) आगामी 20 वर्षों के लिये तैयार किया गया है। अतः नगर का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाना आवश्यक है, जिससे मूलभूत सुविधाओं का समुचित उपयोग किया जा सके। मास्टर प्लान अनुवर्तन कार्यक्रम के अन्तर्गत् मास्टर प्लान क्षेत्र के चरणबद्ध विकास हेतु वांछित योजना निर्धारित समय में तैयार की जायेगी। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु जन जागरूकता, जन सहयोग एवं स्थानीय निकायों व अन्य विभागों द्वारा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

6.7 योजना का क्रियान्वयन

कोटा नगर के मास्टर प्लान में नगर में भावी नियोजित विकास हेतु क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। स्थानीय निकाय मास्टर प्लान की सफल क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के महेनज़र सेक्टर प्लान/ जोनल प्लान बनाकर करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी 20 वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार- विमर्श कर सेक्टर प्लान/ जोनल प्लान तैयार करेंगी व मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेंगी व उसकी क्रियान्विति नियोजित विकास

की दृष्टि से करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास होगा।

मौके की स्थिति एवं उपयोग अनुसार विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र-2012 तैयार किया जाकर इसका समावेश भू-उपयोग योजना-2031 तैयार करते समय किया गया है। विद्यमान निर्माण/भवन तथा अन्य संरचनाओं द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने पर ही प्रस्तावित भू-उपयोग के तहत् स्वीकृत की जा सकेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी०बी० सिविल रिट पीटीशन नं० 1554/2004 के अन्तर्गत हुए निर्णय एवं तदनुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक प10(44) नविवि /3/2009 पार्ट घ दिनांक 25/07/2017 के तहत कोटा शहर का मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को अग्रिम आदेश तक यथावत् रखा जाना है। अतः मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर वर्तमान में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत इन आपत्ति/सुझावों पर कार्यवाही की जावेगी।

अतः मास्टर प्लान-2031 के अंतर्गत् मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित भूउपयोग, मास्टर प्लान-2023 के अनुरूप, राज्य सरकार के अग्रिम निर्देशों तक मान्य होंगे। साथ ही 2031 की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित परिसंचरण नेटवर्क में न्यास द्वारा तैयार किये गये अनुमोदित सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों एवं अन्य प्रस्तावित सड़कों का समावेश किया गया है। अतः मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अंतः क्षेत्रों में भी प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित परिसंचरण नेटवर्क ही मान्य होगा।

↔ ↔ ↔

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय - 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:-

- (क) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेशमें विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (ख) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वर्तु :-

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाये तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है।
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :-

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस से विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आक्षेप तथा सुझाव आमन्त्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान प्रभावित भूमि स्थित है,

मास्टर प्लान के संबंध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर, जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :-

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान करने का निर्देश देते हुए, अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :-

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वांकित नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) अधिनियम, 1962 के उद्धरण

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)
RULES, 1962**

[Notification No. F.4(32)LSG/A?59, dated 2-4-1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 8-6-1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely:

RULES

1. **Short title and Commencement :** (1) These rules may be called “The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962 ”
(2) These rules shall come into force from their publication in the official gazette.
2. **Definitions’ – In these rules, unless the subject of context otherwise requires :**
 - (1) “Act” means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),
 - (2) “Trust” means a Trust as constituted under the Act,
 - (3) “Section” means a Section of the Act,
 - (4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.
3. **Manner of publication of draft Master Plan and the contents there-of under section 5 (i).**

[“(1) “The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy there-of available for inspection at the office of the trust concerned and publishing a notice in the form “A” in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. 2 [If the officer or authority appointed

under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection / suggestions with respect to the Draft of the Master Plan.”]2

(2) The notice referred to in the sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body Operating in the area include in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans & documents, namely:-

- (a) Town Map showing General Layout of the roads & streets in the town.
- (b) Base Map showing the Generalized existing land use pattern, such as residential, commercial, Industrial, Public & Semi-public uses etc.
- (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, Industrial, Public & Semi-public uses etc.
- (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
- (e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the authority deems fit or as the State Government may direct the Officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

- [1] After considering the objections, and representation which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council [if constituted under Section 3(2) of the Act] finalize the Master Plan and submit the same to the State Government for approval.
- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government, it shall publish in the official Gazette, a notice in Form ‘B’ stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day”.]

-
- 1. Substituted by Clause 2 of Notification No. F.3(123)TP/36, 24-2-1970 vide C.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-331.
 - 2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21-09-1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27-09-1979, page 339.
 - 3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) Tp/63, dated 24-2-1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-131.
 - 4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/111/83, dated 27-10-1983 pub. in Raj. Gaz. 4(Ga) (i) dated 16-2-1984 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक 10(3)न.वि.वि./3/80

जयपुर/दिनांक: 27/12/01

अधिसूचना

नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदल्त षष्ठियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को कोटा के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षैतिज वर्ष 2023 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :—

राजस्व ग्रामों की सूची : तहसील लाडपुरा

| <u>क्र. सं.</u> | <u>राजस्व ग्राम का नाम</u> | <u>क्र सं.</u> | <u>राजस्व ग्राम का नाम</u> |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1. | नांदना उर्फ बड़गांव | 2. | रामनगर |
| 3. | नान्ता | 4. | कुन्हाड़ी |
| 5. | सकतपुरा | 6. | भदाना |
| 7. | गणेशपुरा | 8. | डडवाड़ा |
| 9. | खेड़लीपुरोहित | 10. | खण्ड गांवड़ी |
| 11. | दोस्तपुरा | 12. | लाडपुरा |
| 13. | रामपुरा | 14. | किशोरपुरा |
| 15. | कोटड़ी | 16. | गुमानपुरा |
| 17. | बालाकुण्ड | 18. | श्योपुरा |
| 19. | केशोपुरा | 20. | गणेशपुरा |
| 21. | रंगबाड़ी | 22. | आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब |
| 23. | सोगरिया | 24. | रंगतालाब उर्फ काला तालाब |
| 25. | अर्जुनपुरा | 26. | बोरखेड़ा |
| 27. | मानपुरा | 28. | देवली अरब |
| 29. | बोरखण्डी | 30. | नया नोहरा |
| 31. | तेखड़ा | 32. | हनुवत खेड़ा |
| 33. | रामचन्द्र पुरा | 34. | राजनगर |
| 35. | रायपुरा | 36. | छत्रपुरा |
| 37. | कन्सुआ | 38. | अनन्तपुरा |
| 39. | लखावा | 40. | हाथीखेड़ा |
| 41. | धाकड़खेड़ी | 42. | उम्मेदगंज |

| | | | |
|-----|---------------------|-----|------------|
| 43. | खेड़ा जगपुरा | 44. | सुखपुरा |
| 45. | दौलतगंज उफ नया गांव | 46. | बालीता |
| 47. | रोझड़ी | 48. | नयाखेड़ा |
| 49. | गिरधरपुरा | 50. | कंवरपुरा |
| 51. | रोटेदा | 52. | चन्द्रेसल |
| 53. | दसलाना | 54. | मण्डानिया |
| 55. | आंवली | 56. | झालीपुरा |
| 57. | रत कांकरा | 58. | बन्दा |
| 59. | धर्मपुरा | 60. | रानपुर |
| 61. | चकरानपुरा | 62. | कोयला तलाई |
| 63. | उम्मेदपुरा | 64. | भीमपुरा |

राज्यपाल की आज्ञा से
ह०
(एच. एस. भारद्वाज)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प० 10 (3) नविव/३/८०

जयपुर, दिनांक 15/04/05

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण में इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में तैयार किये गये मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है।

“क्षेत्र का नाम”

इस विभाग की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 27-12-2001 के द्वारा यथा अधिसूचित “कोटा नगरीय क्षेत्र”

इस मास्टर प्लान की प्रति का निरीक्षण नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

-ह०-

(सी. एस. बेनीवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. मुख्य नगर नियोजक, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक टीपीआर 1115 / एमपी / कोटा / 3606 दिनांक 31-03-05 के संदर्भ में।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

-ह०-

(दिलीप सिंह बारेठ)
उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: टीपीआर 1116/मास्टर प्लान/कैथून/2013/ दिनांक 16 मई, 2013

अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 की उप धारा (1) संपर्कित धारा 2 की उप धारा (1) के बिन्दु संख्या 10 के अन्तर्गत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10 (3) नविव/3/80 दिनांक 27-12-2001 द्वारा कोटा नगरीय क्षेत्र में 64 राजस्व ग्राम सम्मिलित करते हुए उसका सिविक सर्वेक्षण करने एवं कोटा के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने के लिए मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को नियुक्त किया गया था। कोटा के नगरीय क्षेत्र में 33 अतिरिक्त राजस्व ग्राम समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-02-2010 एवं दिनांक 13-08-2010 द्वारा और सम्मिलित किये गये हैं।

इस प्रकार कोटा मास्टर प्लान-2023 के नगरीय क्षेत्र में कुल 97 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त नगरीय क्षेत्र में कैथून नगर पालिका स्थित है, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

कैथून के इस प्रारूप मास्टर प्लान के अन्तर्गत नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के प्रस्ताव निम्न राजस्व ग्रामों में प्रस्तावित किये गये हैं :-

| क्र. सं. | राजस्व ग्राम का नाम |
|----------|---------------------|
| 1 | कैथून |
| 2 | भीमपुरा |
| 3 | आरामपुरा |
| 4 | जलखेड़ा |

अतः कोटा मास्टर प्लान-2023 (पार्ट) के रूप में कैथून मास्टर प्लान-2023 के इस प्रारूप के संबंध में राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां एवं सुझाव मुख्य नगर नियोजक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान जयपुर-302004, वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा अथवा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका कैथून (जिला कोटा) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को दिनांक 16-05-2013 से 14-06-2013 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नगर पालिका भवन, कैथून में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका मय मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, कैथून से क्रय की जा सकती है।

-ह०-

(एन. के. खरे)

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(3)नविवि/3/80 पार्ट-1

जयपुर,दिनांक: 04/09/2013

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सप्तित धारा 2 कीउपधारा (1)कोबिन्दु संख्या (10)के अन्तर्गत प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को कोटा के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्व करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

राजस्व ग्रामों की सूची**जिला-कोटा**

| क्र.सं. | राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी) | राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी) |
|---------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | नांदना उर्फ बड़गांव | NANDANA URF BARGAON |
| 2. | राम नगर | RAM NAGAR |
| 3. | नान्ता | NANTA |
| 4. | कुन्हाड़ी | KUNARI |
| 5. | सकतपुरा | SAKATPURA |
| 6. | भदाना | BHADANA |
| 7. | गणेशपुरा | GANESHPURA |
| 8. | डडवाड़ा | DADWARA |
| 9. | खेड़लीपुरोहित | KHERLI PROHITAN |
| 10. | खण्ड गांवड़ी | KHAND GAORI |
| 11. | दोस्तपुरा | DOSTPURA |
| 12. | लाडपुरा | LADPURA |
| 13. | रामपुरा | RAMPURA |
| 14. | किशोरपुरा | KISHOREPURA |
| 15. | कोटड़ी | KOTRI |
| 16. | गुमानपुरा | GUMANPURA |
| 17. | बालाकुण्ड | BALAKUND |
| 18. | श्योपुरा | SHEOPURA |
| 19. | केशोपुरा | KESHOPURA |
| 20. | गणेशपुरा | GANESHPURA |
| 21. | रंगबाड़ी | RANGBARI |
| 22. | आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब | ANANDPURA URF FOOTA TALAB |
| 23. | सोगरिया | SOGARIA |
| 24. | रंग तालाब उर्फ काला तालाब | RANG TALAB URF KALA TALAB |
| 25. | अर्जुनपुरा | ARJUNPURA |

| | | |
|-----|-----------------------|-------------------------|
| 26. | बोरखेड़ा | BORKHERA |
| 27. | मनपुरा | MANPURA |
| 28. | देवली अरब | DEOLI ARAB |
| 29. | बोरखण्डी | BHORKHANDI |
| 30. | नया नोहरा | NAYA NOHRA |
| 31. | तेखड़ा | TEKHRA |
| 32. | हनुवत स्वेड़ा | HANUWANT KHERA |
| 33. | रामचन्द्र पुरा | RAMCHANDER PURA |
| 34. | राजनगर | RAJNAGAR |
| 35. | रायपुरा | RAIPURA |
| 36. | छत्रपुरा | CHHATARPURA |
| 37. | कन्सुआ | KANSUWA |
| 38. | अनन्तपुरा | ANNANTPURA |
| 39. | लखावा | LAKHAWA |
| 40. | हाथीखेड़ा | HATHI KHERA |
| 41. | धाकड़स्वेड़ी | DHAKARKHERI |
| 42. | उम्मेदगंज | UMMEDGANJ |
| 43. | खेड़ा जगपुरा | KHERA JAGPURA |
| 44. | सुखपुरा | SUKHPURA |
| 45. | दौलतगंज उर्फ नया गांव | DAULATGANJ URF NAYAGAON |
| 46. | बलीता | BALITA |
| 47. | रोझड़ी | ROJHARI |
| 48. | नयाखेड़ा | NAYAKHERA |
| 49. | गिरधरपुरा | GIRDHARPURA |
| 50. | कंवरपुरा | KANWARPURA |
| 51. | रोटेदा | ROTEDA |
| 52. | चन्द्रेसल | CHANDRESAL |
| 53. | दसलाना | DESLANA |
| 54. | मण्डानिया | MANDANIA |
| 55. | आंवली | ANWALI |
| 56. | झालीपुरा | JHALIPURA |
| 57. | रतकांकरा | RATHKANKRA |
| 58. | बन्दा | BANDA |
| 59. | धर्मपुरा | DHARAMPURA |
| 60. | रानपुर | RANPUR |
| 61. | चकरानपुरा | CHAKRANPURA |
| 62. | कोयला तलाई | KOYLA TALAI |
| 63. | उम्मेदपुरा | UMMEDPURA |
| 64. | भीमपुरा | BHIMPURA |
| 65. | शम्भूपुरा | SHAMBHUPURA |
| 66. | देवनगर उर्फ बोरतलाई | DEVNAGAR URF BORTALAI |
| 67. | गोवर्धनपुरा | GORDHANPURA |
| 68. | गंगायचा | GANGAYCHA |
| 69. | गांवड़ी | GAONRI |

| | | |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 70. | अरन्या | ARNYA |
| 71. | रसूलपुर | RASOOLPUR |
| 72. | खेड़ा रसूलपुर | KHERA RASOOLPUR |
| 73. | भोजपुरा | BHOJPURA |
| 74. | चडीन्दा | CHAREENDA |
| 75. | आरामपुरा | ARAMPURA |
| 76. | भीमपुरा | BHIMPURA |
| 77. | छत्रपुरा | CHHATRAPURA |
| 78. | मोतीपुरा | MOTIPURA |
| 79. | नगपुरा | NAGPURA |
| 80. | प्रहलादपुरा | PRAHALADPURA |
| 81. | ताथेड़ | TATHER |
| 82. | कैथून (नगर पालिका क्षेत्र) | KAITHOON (MUNICIPAL AREA) |
| 83. | जालखेड़ा | JALKHERA |
| 84. | बृजेशपुरा | BRIJESHHPURA |
| 85. | खेड़ली पाण्डया | KHERLI PADYA |
| 86. | चैनपुरा | CHAINPURA |
| 87. | रंगपुर | RANGPUR |
| 88. | किशनपुरिया तकिया | KISHANPURA TAKIYA |
| 89. | देवली माछियान | DEOLI MACHHIYAN |
| 90. | नोटाना | NOTANA |
| 91. | रामराजपुरा | RAMRAJPURA |
| 92. | पिपलदा शेखान | PIPALDA SHEKHAN |
| 93. | राम खेड़ली | RAMKHERLI |
| 94. | गोदल्याहेड़ी | GODLYAHERI |
| 95. | मोरपा | MORPA |
| 96. | रामनगर | RAMNAGAR |
| 97. | जामपुरा | JAMPURA |
| 98. | अभयपुर | ABHAIPUR |
| 99. | लाडपुरा कैथून | LADPURA KAITHOON |
| 100. | जाखोड़ा | JAKHORA |
| 101. | किशनपुरा कैथून | KISHANPURA KAITHOON |
| 102. | रूपारेल | ROOPAREL |
| 103. | विजयपुरा | VIJAIPURA |
| 104. | पाचन कुई | PACHAN KUI |
| 105. | केवलनगर | KEWALNAGAR |
| 106. | रूपपुरा | ROOPPURA |
| 107. | बावड़ी खेड़ा | BAORI KHERA |
| 108. | आलनिया | ALNIYA |

| जिला-बूँदी | | |
|------------|-------------------|-----------------|
| 109. | जाखमुण्ड | JAKHMUND |
| 110. | गोविन्दपुर बावड़ी | GOVINDPUR BAORI |
| 111. | भोपतपुरा | BHOPARPURA |
| 112. | संवर | SAWAR |
| 113. | सीन्ता | SEENTA |
| 114. | तीरथ | TEERATH |
| 115. | महराना | MEHRANA |
| 116. | विनायका | VINAYKA |
| 117. | बल्लोप | BALLOP |
| 118. | तुलसी | TULSI |
| 119. | रामपुरिया | RAMPURIYA |

राज्यपाल की आज्ञा से

-ह०-

(एन. के. गुप्ता)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, केन्द्रीय मुख्यालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, कोटा।
5. जिला कलेक्टर, बूँदी।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
8. रक्षित पत्रावली।

-ह०-

वरिष्ठ नगर नियोजक

परिशिष्ट -6

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(3)नविवि/3/80पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 04/08/2014

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 27.12.2001 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.02.10 एवं 13.08.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित 'कोटा मास्टर प्लान, 2023 (पार्ट) के रूप में कैथून मास्टर प्लान, 2023 के नगरीय क्षेत्र' के लिए तैयार किये गये मास्टर-प्लान 2023 को अनुमोदित कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2023 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, कैथून एवं नगर सुधार न्यास, कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रश्मि शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधिक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान. जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान. जयपुर।
4. अतिरिक्त. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, कोटा।
6. सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कैथून, जिला कोटा।
9. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-टीपीआर/1121/MP/कोटा

दिनांक: 17/05/2016

अधिसूचना

सर्वसाधारण कासे सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959(राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उप धारा (1) एवं राजस्थान नगर विकास न्यास (साधारण) नियम, 1692 के नियम 3 के अंतर्गत् कोटा के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान कोटा-2031 के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं :—

राजस्व ग्रामों की सूचीजिला-कोटा

| क्र.सं. | राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी) | राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी) |
|---------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | नांदना उर्फ बड़गांव | NANDANA URF BARGAON |
| 2. | राम नगर | RAM NAGAR |
| 3. | नान्ता | NANTA |
| 4. | कुन्हाड़ी | KUNARI |
| 5. | सकतपुरा | SAKATPURA |
| 6. | भदाना | BHADANA |
| 7. | गणेशपुरा | GANESHPURA |
| 8. | डडवाड़ा | DADWARA |
| 9. | खेड़लीपुरोहित | KHERLI PROHITAN |
| 10. | खण्ड गांवड़ी | KHAND GAORI |
| 11. | दोस्तपुरा | DOSTPURA |
| 12. | लाडपुरा | LADPURA |
| 13. | रामपुरा | RAMPURA |
| 14. | किशोरपुरा | KISHOREPURA |
| 15. | कोटड़ी | KOTRI |
| 16. | गुमानपुरा | GUMANPURA |
| 17. | बालाकुण्ड | BALAKUND |
| 18. | श्योपुरा | SHEOPURA |
| 19. | केशोपुरा | KESHOPURA |
| 20. | गणेशपुरा | GANESHPURA |
| 21. | रंगबाड़ी | RANGBARI |
| 22. | आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब | ANANDPURA URF FOOTA TALAB |
| 23. | सोगरिया | SOGARIA |

| | | |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 24. | रंग तालाब उर्फ काला तालाब | RANG TALAB URF KALA TALAB |
| 25. | अर्जुनपुरा | ARJUNPURA |
| 26. | बोरखेड़ा | BORKHERA |
| 27. | मनपुरा | MANPURA |
| 28. | देवली अरब | DEOLI ARAB |
| 29. | बोरखण्डी | BHORKHANDI |
| 30. | नया नोहरा | NAYA NOHRA |
| 31. | तेखड़ा | TEKHRA |
| 32. | हनुवत खेड़ा | HANUWANT KHERA |
| 33. | रामचन्द्र पुरा | RAMCHANDER PURA |
| 34. | राजनगर | RAJNAGAR |
| 35. | रायपुरा | RAIPURA |
| 36. | छत्रपुरा | CHHATARPURA |
| 37. | कन्सुआ | KANSUWA |
| 38. | अनन्तपुरा | ANNANTPURA |
| 39. | लखावा | LAKHAWA |
| 40. | हाथीखेड़ा | HATHI KHERA |
| 41. | धाकड़खेड़ी | DHAKARKHERI |
| 42. | उम्मेदगांज | UMMEDGANJ |
| 43. | खेड़ा जगपुरा | KHERA JAGPURA |
| 44. | सुखपुरा | SUKHPURA |
| 45. | दौलतगंज उर्फ नया गांव | DAULATGANJ URF NAYAGAON |
| 46. | बलीता | BALITA |
| 47. | रोझड़ी | ROJHARI |
| 48. | नयाखेड़ा | NAYAKHERA |
| 49. | गिरधरपुरा | GIRDHARPURA |
| 50. | कंवरपुरा | KANWARPURA |
| 51. | रोटेदा | ROTEDA |
| 52. | चन्द्रेसल | CHANDRESAL |
| 53. | दसलाना | DESLANA |
| 54. | मण्डानिया | MANDANIA |
| 55. | आंवली | ANWALI |
| 56. | झालीपुरा | JHALIPURA |
| 57. | रतकांकरा | RATHKANKRA |
| 58. | बन्दा | BANDA |
| 59. | धर्मपुरा | DHARAMPURA |
| 60. | रानपुर | RANPUR |
| 61. | चकरानपुरा | CHAKRANPURA |
| 62. | कोयला तलाई | KOYLA TALAI |
| 63. | उम्मेदपुरा | UMMEDPURA |
| 64. | भीमपुरा | BHIMPURA |
| 65. | शम्भूपुरा | SHAMBHUPURA |
| 66. | देवनगर उर्फ बोरतलाई | DEVNAGAR URF BORTALAI |
| 67. | गोवर्धनपुरा | GORDHANPURA |

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 68. | गंगायचा | GANGAYCHA |
| 69. | गांवडी | GAONRI |
| 70. | अरन्या | ARNYA |
| 71. | रसूलपुर | RASOOLPUR |
| 72. | खेड़ा रसूलपुर | KHERA RASOOLPUR |
| 73. | भोजपुरा | BHOJPURA |
| 74. | चडीन्दा | CHAREENDA |
| 75. | आरामपुरा | ARAMPURA |
| 76. | भीमपुरा | BHIMPURA |
| 77. | छत्रपुरा | CHHATRAPURA |
| 78. | मोतीपुरा | MOTIPURA |
| 79. | नगपुरा | NAGPURA |
| 80. | प्रहलादपुरा | PRAHALADPURA |
| 81. | ताथेड़ | TATHER |
| 82. | कैथून (नगर पालिका क्षेत्र) | KAITHOON (MUNICIPAL AREA) |
| 83. | जालखेड़ा | JALKHERA |
| 84. | बृजेशपुरा | BRIJESHHPURA |
| 85. | खेड़ली पाण्डया | KHERLI PADYA |
| 86. | चैनपुरा | CHAINPURA |
| 87. | रंगपुर | RANGPUR |
| 88. | किशनपुरिया तकिया | KISHANPURA TAKIYA |
| 89. | देवली माछियान | DEOLI MACHHIYAN |
| 90. | नोटाना | NOTANA |
| 91. | रामराजपुरा | RAMRAJPURA |
| 92. | पिपलदा शेखान | PIPALDA SHEKHAN |
| 93. | राम खेड़ली | RAMKHERLI |
| 94. | गोदल्याहेड़ी | GODLYAHERI |
| 95. | मोरपा | MORPA |
| 96. | रामनगर | RAMNAGAR |
| 97. | जामपुरा | JAMPURA |
| 98. | अभयपुर | ABHAIPUR |
| 99. | लाडपुरा कैथून | LADPURA KAITHOON |
| 100. | जाखोड़ा | JAKHORA |
| 101. | किशनपुरा कैथून | KISHANPURA KAITHOON |
| 102. | रूपारेल | ROOPAREL |
| 103. | विजयपुरा | VIJAIPURA |
| 104. | पाचन कुई | PACHAN KUI |
| 105. | केवलनगर | KEWALNAGAR |
| 106. | रूपपुरा | ROOPPURA |
| 107. | बावड़ी खेड़ा | BAORI KHERA |
| 108. | आलनिया | ALNIYA |
| जिला-बून्दी | | |
| 109. | जाखमुण्ड | JAKHMUND |

| | | |
|------|-------------------|-----------------|
| 110. | गोविन्दपुर बावड़ी | GOVINDPUR BAORI |
| 111. | भोपतपुरा | BHOPARPURA |
| 112. | संवर | SAWAR |
| 113. | सीन्ता | SEENTA |
| 114. | तीरथ | TEERATH |
| 115. | महराना | MEHRANA |
| 116. | विनायका | VINAYKA |
| 117. | बल्लोप | BALLOP |
| 118. | तुलसी | TULSI |
| 119. | रामपुरिया | RAMPURIYA |

कोटा मास्टर प्लान प्रारूप-2031 के संबंध में दिनांक 17.05.2016 से दिनांक 16.06.2016 तक की समयावधी में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर को अपनी आपत्ति एंव सुझाव प्रेषित कर सकते हैं, आपत्ति एंव सुझाव नगर विकास न्यास, कोटा, वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन कोटा को भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधी में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नगर विकास न्यास, कोटा में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय, नगर विकास न्यास, कोटा से क्रय किये जा सकते हैं। तथा मास्टर प्लान प्रारूप कोटा-2031 नगर विकास न्यास, कोटा की वेबसाईट www.uitkota.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

—ह0—

(श्रीमति इंदिरा)

मुख्य नगर नियोजक,

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-टीपीआर/1121/MP/कोटा/9181-9183

दिनांक: 18/05/2016

संचयकत शासन सचिव-प्रथम
नगरीय विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- प्रारूप मास्टर प्लान कोटा-2031 को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु राज हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 5(1) के अंतर्गत संशोधित अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मास्टर प्लान-2031 (प्रारूप) को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 5 की उप धारा (1) के अंतर्गत जनता से आपत्ति सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु दिनांक 17.5.2016 को प्रकाशित किया गया है। जारी अधिसूचना में केंथून मास्टर प्लान-2023 जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन पश्चात धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है, के 4 राजस्व ग्राम भी शामील हो गये हैं। इन 4 राजस्व ग्रामों को धारा 5(1) की अधिसूचना में से विलोपित किये जाने हेतु धारा 5(1) की संशोधित अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित है।

जारी की जाने वाली संशोधित अधिसूचना दो प्रति मय सी.डी. में संलग्न कर प्रेषित है। कृपया संशोधित अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 18.5.16 में प्रकाशित किये जाने हेतु भिजवाने का कृपा करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

भवदीया

(श्रीमति इंदिरा)
मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :-
1. सचिव नगर विकास न्यास, कोटा को दो रथानीय समाचार पत्रों में
विज्ञाप्ति प्रकाशित करायें जाने हेतु।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
3. अतिरिक्त मुख्य नगर नियाजक (पूर्व)

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–टीपीआर/1121/MP/कोटा/2012

दिनांक: 18/05/2016

संशोधित अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक टीपीआर/1121/MP/कोटा दिनांक 17/05/2016 द्वारा कोटा शहर के मास्टर प्लान–2031 का प्रारूप राजस्थान सरकार सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के तहत आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया है। कोटा मास्टर प्लान प्रारूप–2031 के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में शामिल 119 राजस्व ग्रामों में से राज्य सरकार द्वारा कैथून मास्टर प्लान–2023 के निम्न 4 राजस्व ग्राम भी शामिल हैं :–

1. कैथून (नगर पालिका क्षेत्र)
2. भीमपुरा
3. आरामपुरा
4. जलखेड़ा

अतः अनुमोदित मास्टर प्लान–2023 में शामिल उक्त 4 राजस्व ग्रामों के क्षेत्र को छोड़कर शेष 115 ग्रामों हेतु तैयार किये गये मास्टर प्लान (प्रारूप)–2031 पर ही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के तहत आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किये गये हैं। तदानुसार इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.5.16 में से उक्त 4 राजस्व ग्रामों को विलोपित किया जाता है।

—४०—

(श्रीमति इंदिरा)

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(3)नविवि/3/80पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 22/11/2017

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के द्वारा यथा अधिसूचित कोटा नगरीय क्षेत्र (राज्य सरकार की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 15.04.2005 द्वारा अधिसूचित कोटा मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं अधिसूचना दिनांक 04.08.2014 द्वारा अधिसूचित कैथून मास्टर प्लान-2023 के क्षेत्र को छोड़कर) के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान-2031 की प्रति का अवलोकन सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्य सरकार की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 15.04.2005 द्वारा अधिसूचित कोटा मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में एवं अधिसूचना दिनांक 04.08.2014 द्वारा अधिसूचित कैथून मास्टर प्लान-2023 के क्षेत्र में क्रमशः कोटा मास्टर प्लान-2023 तथा कैथून मास्टर प्लान-2023 प्रभावशील रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

-ह0-

(अर्जुन राम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान. जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान. जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, कोटा।
5. जिला कलेक्टर, बृन्दी।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
8. रक्षित पत्रावली।

-ह0-

(प्रदीप कपूर)
एडवायजर (टी.पी.)